April to June 2016
E- Journal

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 1.9411 (2015)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

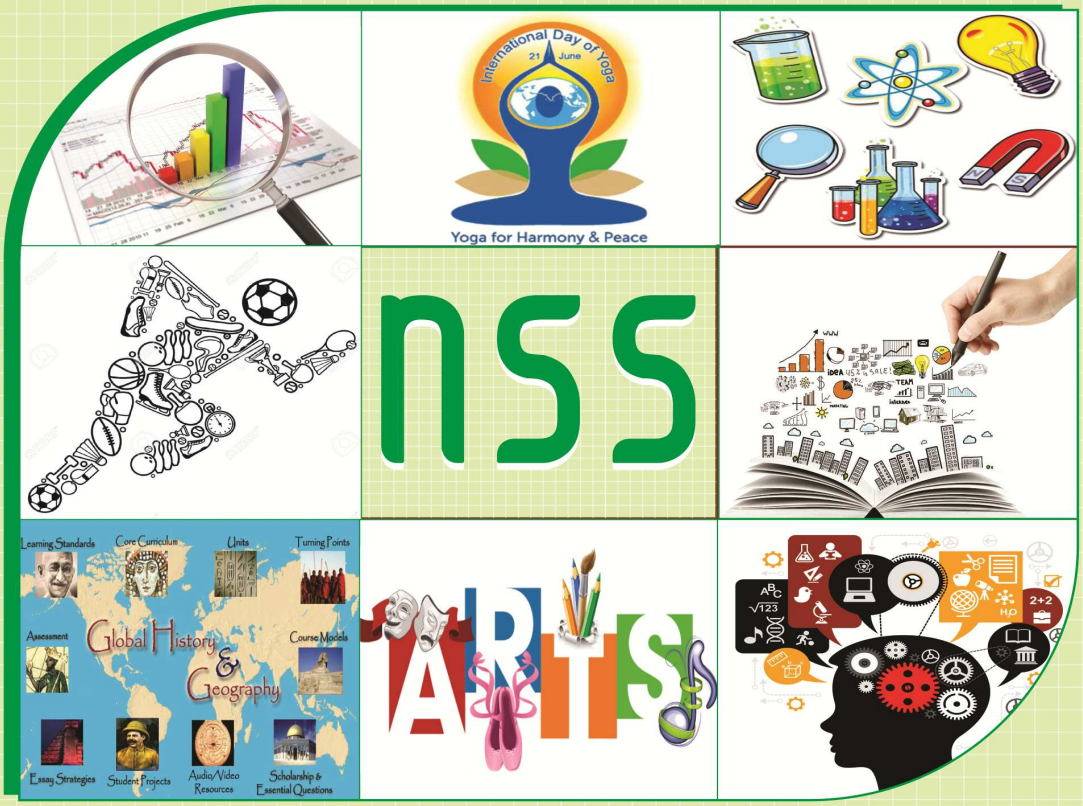

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 02
02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल..... 03/04
03. निर्णायक मण्डल 05
04. प्रवक्ता साथी..... 07
05. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं जनजाति विकास - कांकेर जिले के विशेष संदर्भ में (प्रो. आर. प्रसाद, डॉ. प्रीति वैष्णव).. 09
06. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में साक्षर भारत मिशन की भूमिका कांकेर जिले के विशेष संदर्भ में (नीलिमा वैष्णव) .. 11
07. मानव संसाधन विकास में जनजातियों की सहभागिता (डॉ. एल. आर. सिन्हा)..... 13
08. गाँव से नगर की ओर पलायन - एक समीक्षा (डॉ. प्रीति वैष्णव)..... 14
09. Chhattisgarh Gramin Bank And Its Impact On Tribal Economy - A Case Study 16
(Dr. Preeti Vaishnav)
10. Impact of Environmental Economics on Health Status in India 19
(Prof. Rohini Prasad, Preeti Vaishnav)
11. मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन (बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में)(डॉ. राकेश कुमार चौरे)..... 24
12. महात्मा गाँधी की हरिजन यात्रा और उसका प्रभाव (बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. संतोष उसरेठे) 28
13. राष्ट्रीय समविकास योजना का मध्यप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रो पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. अजय वाघे) 30
14. वैदिक साहित्य में सामाजिक चेतना(डॉ. लज्जा शुक्ला) 33
15. Study of Long-Term Solar Output Variability and their effect on the Earth's Magnetosphere 35
and Galactic Cosmic Rays (A. P. Tiwari, A. K. Saxena, C. M. Tiwari)
16. मैत्रीय पुष्पा के कथा-साहित्य में चित्रित समाज और नारी (डॉ. रश्मि प्रीति गुरु) 39
17. मैत्रीय पुष्पा के कथा-साहित्य की नारियाँ - व्यक्तित्व और संघर्ष (डॉ. रश्मि प्रीति गुरु) 41
18. Stoichiometry and product analysis during the oxidation of aldose by thallium (III) acetate 43
(Soma Mishra)
19. Dependence of rate on the variation of initial concentration of thallic acetate 45
(Soma Mishra)
20. भारतीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक चेतना एवं संबद्धता का विश्लेषण (मतदान व्यवहार के संदर्भ में) 48
(डॉ. ऋतु उमरे(सेन))
21. मतदान व्यवहार का सैद्धान्तिक विश्लेषण (डॉ. ऋतु उमरे(सेन)) 51
22. Rebellion Theme in Shakespeare's Tragedies (Dr. Pallavi Sharma)..... 54
23. म.प्र. वित्त निगम द्वारा प्रदत्त औद्योगिक ऋणों का तुलनात्मक अध्ययन (इन्दौर जिले के संदर्भ में)(डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा)56
24. स्वयं के परिवार से दूर रहने वाली विवाहित कार्यकारी महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता, तनाव एवं वैवाहिक .. 58
समायोजन का अध्ययन (माया देवड़ा, डॉ. रशीदा काँचवाला)
25. Himalayan Fibres And The Possibilities Of Sustainable Livelihood Among Bhotia Tribes 61
In Uttarakhand (Sambaditya Raj, Prof. Himadri Ghosh, Dr. Prabir Kumar Choudhuri)
26. धर्मनिरपेक्षता - भारतीय संदर्भ (डॉ. हनुमान प्रसाद मीना) 64

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर ..... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार ..... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू ..... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी ..... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमौंडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा ..... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव ..... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. ..... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. ..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. ..... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम ..... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ..... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा ..... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे ..... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय ..... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव ..... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी ..... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव ..... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया ..... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम ..... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. आर.पी. सहारिया ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तख्तपुर जिला,बिलासपुर (छ.ग.) भारत
(31) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(32) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे ..... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(33) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा ..... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. के.एल. साहू..... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन ..... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(39) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित ..... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव .....प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत .....निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन .....सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी .....प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय .....प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल .....प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर .....प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र .....प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट .....प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा .....संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान .....प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड .....संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी.....अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल .....अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे.....संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी .....प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव .....प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, राजनीति विभाग शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा .....प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव .....प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(20) प्रो.डॉ. कान्ता अलावा ..... प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन .....प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

****** विज्ञान संकाय ******

गणित:- .... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:-....................... **(1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो.डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:-........................ **(1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

वनस्पति:- .... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... **(1) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा,** एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:-............ **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सूक्ष्म जीव विज्ञान:-........... **(1) अनुराग झँवेरी,** बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

****** वाणिज्य संकाय ******

वाणिज्य :- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल , शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

****** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ******

प्रबंध :- .... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी , शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:- .... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा ,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

****** विधि संकाय ******

विधि:- .... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

****** कला संकाय ******

अर्थशास्त्र:-..................... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:- .... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्र:- ..... **(1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन , शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया , शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दी:- ..... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:- ..... **(1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृत:- ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:- ..... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:- ..... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अर्चना भार्गव, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

मनोविज्ञान:- ..... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:- ..... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:- ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञान:- .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:- ..... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:- ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** प्राचार्य, अरावली शिक्षा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

****** आर्किटेक्चर संकाय ******

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान ..... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. आर.के. गुजेटिया .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत .....ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर .....शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी .....शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन .....शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा .....कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित .....जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार .....शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा .....शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक .....शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान .....शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान .....शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र .....शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन .....शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान .....शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित .....शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी .....शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी .....स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े .....शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित .....शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता .....शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना .....शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे .....पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी .....आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट .....शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद .....शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर .....सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल .....शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया .....शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी .....शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी .....महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा .....श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव .....शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे .....शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान .....शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर .....शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार .....शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश .....शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव .....सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी .....शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे.....शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी .....शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल.....शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल.....शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन .....शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे .....शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा.....शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव .....शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला .....शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया .....शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल .....शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल.....शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान .....शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा .....शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला- रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा .....शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी .....शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान .....शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर .....शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा .....पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश .....शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित.....छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा .....एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री .....सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला .....शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. डॉ. आर.सी. पान्टेल.....शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.)
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई.....शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन.....वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ .....राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख .....एस.एस.जी. पारीख पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा.....पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया.....हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह .....केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल .....शोध सलाहकार, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं जनजाति विकास- कांकेर जिले के विशेष संदर्भ में

प्रो. आर. प्रसाद * डॉ. प्रीति वैष्णव **

प्रस्तावना – सरकार की 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश धीरे-धीरे ग्राम-ऋणग्रस्तता को समाप्त करना था और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को संस्थानात्मक उधार उपलब्ध कराना था। नए आर्थिक कार्यक्रम के इस पहलू को आगे बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार ने 26 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। 2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य विशेष रूप में छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्त्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित कर सकें।

अध्ययन क्षेत्र कांकेर जिला है जो कि जनजातिय बाहुल्य जिला है, अत: अध्ययन से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जनजातियों के विकास में कितना योगदान रखता है।

कांकेर जिला एवं जनजातिय परिदृश्य – छत्तीसगढ़ अंचल का कांकेर जिला-अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य वाला तथा वनाच्छादित क्षेत्र है। यह क्षेत्र 20°15'55'' अक्षांश व 81°30'00'' देक्षांश पर स्थित है। समुद्र तट से इस क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 1234 मीटर है। यहां की औसत वर्षा 350.36 कि.मी.होती है। यहां का तापमान अधिकतम 44.5 से.ग्रे. न्यूनतम 2.5 से.ग्रे. है। जिले में जनांनिकीय दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजाति तथा जाति परिदृश्य दिखाया गया है।

तालिका - अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों की संख्या

क्र.	कुल जन-संख्या	कुल जन-संख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या	कुल जन-संख्या में अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत
1.	**6,50,934**	**3,65,031**	**27,663**	**56.08%**	**4.25%**

स्त्रोत – जिला विकास – प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, जिला उत्तर बस्तर – कांकेर

इसी प्रकार जिले की कुल जनसंख्या 6,50,934 में से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 3,65,031 तथा अनुसूचित जाति जनसंख्या 27,663 हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति का 56.08 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति का 4.25 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या 60.33 प्रतिशत होने के कारण कांकेर जिले को जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है।

जिले में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति

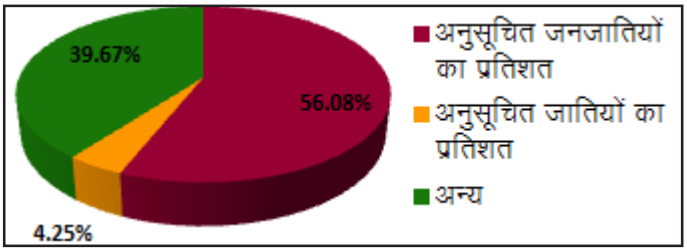

शोध प्राविधि – इस अध्ययन हेतु कांकेर जिले के छ.ग. ग्रामीण बैंक की तीन शाखाओं का चयन किया गया, तथा प्रत्येक बैंक के अंतर्गत 5 ग्राम का चयन किया गया, इस प्रकार 15 न्यादर्श ग्राम के अंतर्गत 320 न्यादर्श परिवारों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है। न्यादर्श परिवारों से अनुसूची के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि इनके विकास में ग्रामीण बैंक की क्या भूमिका है।

न्यादर्श परिवार तथा जातिगत संरचना – न्यादर्श परिवारों को चार श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है –

तालिका – न्यादर्श परिवार तथा जातिगत संरचना

क्र.	**समुदाय**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1.	अनुसूचित जनजाति	149	46.56
2.	अनुसूचित जाति	25	7.81
3.	पिछड़ा वर्ग	110	34.37
4.	सामान्य	36	11.25
	योग	**320**	**100**

कुल सर्वेक्षित न्यादर्श परिवारों की संख्या 320 हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या 149 हैं, जिसका प्रतिशत 46.56 है। इस प्रकार सर्वेक्षित कुल न्यादर्श परिवारों की संख्या में अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या सर्वाधिक है, इसका कारण अध्यायित जिले का जनजाति बाहुल्य जिला होना है।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र अध्ययन शाला) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
** अतिथि व्याख्याता (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छत्तीसगढ़) भारत

परिणाम एवं विश्लेषण – प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि जनजाति विकास में ग्रामीण बैंक क्या भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जनजातियों के विकास के बिना हम जिले के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते क्यों यहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या जनजातियों की ही है।

तालिका – बैंक से जुड़ने के पश्चात् न्यादर्श परिवार तथा उनकी आय से संतुष्टि

क्र.	समुदाय	संतुष्ट	असंतुष्ट	अनुत्तरित	योग
1.	अनुसूचित जनजाति	97 (65.100)	30 (20.13)	22 (14.76)	**149 (46.56)**
2.	अनुसूचित जाति	11(44)	8(32)	6(24)	**25(7.81)**
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	85 (77.27)	25 (22.72)	0	**110 (34.37)**
4.	सामान्य	30 (83.33)	4 (11.11)	2 (5.55)	**36 (11.25)**
	योग	**223 (69.68)**	**67 (20.93)**	**30 (9.37)**	**320 (100)**

स्त्रोत – 1. समंक प्राथमिक समंकों पर आधारित।
2. कोष्ठक के समंक प्रतिशत हैं।

तालिका से ज्ञात होता हैं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 46.56 प्रतिशत न्यादर्श में से 65.10 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आय से संतुष्ट हैं, 30 प्रतिशत जनसंख्या असंतुष्ट हैं तथा 14.76 न्यादर्श ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया कि वे अपनी आय से संतुष्ट हैं अथवा नहीं क्योंकि गांवों में लोग अपनी आय के संबंध में किये गये प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहते। इसी तरह सामान्य वर्ग के न्यादर्श सर्वाधिक 83.33 अपनी आय से संतुष्ट है, क्योंकि बैंक की योजनाओं के माध्यम से उन्हें पहले की तुलना में अधिक आय प्राप्त हो रही है।

निष्कर्ष – छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तथा जनजातीय विकास में सीधा संबंध पाया जाता है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना ही ग्रामीण विकास हेतु कि गई हैं इसलिए इनकी पहुंच गांवों तक होती हैं, कांकेर जिले की 95.18 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है।अत: जिले के विकास के लिए इन गांवों का विकसित होना अतिआवश्यक है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि बैंक से जुड़ने के पश्चात् जनजातियों के आय, उपभोग तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ हैं पहले वे अपनी कृषि हेतु पर्याप्त धनराशि न होने के कारण सही ढंग से कृषि कार्य नहीं कर पाते थे लेकिन अब उन्हें बैंक से पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने से इनका उत्पादन सही हुआ तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कई जनजाति परिवारों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ हैं। जिससे वे अपने परिवार मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के साथ ही, अपने बच्चों को शहरों में शिक्षा हेतु भेज कर उन्हें निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो इनके विकास को इंगित करता हैं।

सुझाव :

अध्ययन सुझाव निम्न है –

1. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, साथ ही साथ बैंक के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या भी उनके काम के अनुरूप पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वे अपना कार्य उन्नत तरीके से कर सकें।
2. बैंक द्वारा नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जनजातियों एवं ग्राम वासियों को बैंक की योजनाओं से अवगत करा कर इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सके।
3. किसानों को विशेष बीमा दी जानी चाहिए ताकि यदि उसे कुछ हो जाये तो उनके परिवार के सदस्यों को सहारा मिल सके।
4. बैंक से जुड़े जनजातियों को समय पर ऋण अदा कर देना चाहिए ताकि वे दुबारा ऋण राशि प्राप्त कर अपने कृषि कार्य को उन्नत तरीके से करते रहे। परंतु सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि कई कृषकों द्वारा ऋण अदायगी से पूर्व अन्य सामाजिक, धार्मिक कार्यो में धनराशि खर्च कर दी जाती है। जिससे वे ऋण अदा नहीं कर पाते और उनके द्वारा ली गई ऋण राशि निरन्तर बढ़ती जाती हैं जिससे उन्हे नुकसान होता है अत: समय पर ऋण जमा करने हेतु इन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए।
5. बैंक के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से गांवों का दौरा किया जाना चाहिए तथा ग्रामीणों से मित्रवत् व्यवहार रखकर उन्हें उनके लिए बनाई गई योजनों से अवगत कराना चाहिए।
6. जिले में कृषकों द्वारा धान, गेहूं, मक्का आदि लगाया जाता है, परंतु तिलहन जिनसे अधिक मात्रा में आय प्राप्त हो सकती है। उसका उत्पादन नहीं किया जाता है, अगर थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते है, तो वो भी घरेलू प्रयोग हेतु। ग्रामीणों को ऐसे उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो और बैंक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
7. जिन ग्रामों में सिंचाई की सुविधा का अभाव है, वहां पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि सिंचाई की वजह से उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े।
8. बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी नियमित रूप से समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे गांवों तक बैंक की नित–नई योजनाओं को पहुंचाते रहे।
9. बैंक की शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा हैं, जिससे कि बैंक के कार्य जल्दी हो सके।अत: कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
10. कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है अत: यहां के कृषकों को व्यापारिक फसलों के उत्पादन से होने वाले लाभों को बताना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. **तिवारी विजय कुमार (2001) – छत्तीसगढ़ की जनजातियां**, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, 'रामदूत' डॉ. भालेराव मार्ग, गिरगांव, मुम्बई,, पृष्ठ – 10
2. **अग्रिम दिग्दर्शिका (2006)** बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, हाटकचोरा, जगदलपुर, पृष्ठ क्रं. 37–47.
3. **अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) प्रतियोगिता दर्पण,** उपकार प्रकाशन, 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा, पेज – 154 से 155.
4. **चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (2009–10) प्रधान कार्यालय,** 15 रिक्रिएशन रोड, चौबे कालोनी, रायपुर, पृष्ठ 15–16.
5. **जिला विकास–पुस्तिका** – जिला उत्तर बस्तर – कांकेर, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, कांकेर (छ.ग.) द्वारा प्रकाशित, वर्ष 2008–09, पृ. क्र. 10.

****

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में साक्षर भारत मिशन की भूमिका कांकेर जिले के विशेष संदर्भ में

नीलिमा वैष्णव *

प्रस्तावना – 'पृथ्वी के जैसी क्षमता, सूर्य के जैसा तेज, समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा जैसी शीतलता, पर्वतों जैसी हिम्मत एवं डटे रहने की भावना से परिपूर्ण हर महिला हैं।'नारी के और भी कई गुण हैं, जो उसे दूसरों से विशिष्ट बनाते है। नारी में दया करूणा, ममत्व भावना, प्रेम, सहनशीलता जैसे कई गुण विद्यमान होते हैं, जिसके कारण यह भी कहा जाता हैं कि नारी ही समाज की जननी है।

नारी को निर्णय लेने व उस पर क्रियान्वयन करने की स्वतंत्रता व उस क्षमता का विकास जिससे वह अपने विकास की धारा स्वयं तैयार कर सकें, महिला सशक्तिकरण कहलाता हैं।

प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं के भारी प्रवाह के कारण विकास हेतु साक्षरता एक आवश्यक हथियार हैं। साक्षरता द्वारा महिला के हाथ में शब्दों में लिखी सूचना रूपी ताले को खोलने की चाबी आ जाती हैं। आज के आधुनिक संसार में विकास हेतु साक्षरता एक प्राथमिक योग्यता अथवा शर्त हैं।

महिलाएं, साक्षरता अभियान की सक्रिय एवं समर्पित भागीदार रही हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए सराहनीय योगदान दिया हैं एवं कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने उत्प्रेरक जत्था, कलाकार, स्वयंसेवक एवं प्रशिक्षण अभियान में समाज की विभिन्न वर्गो की स्त्रियां एक साथ आई हैं। इस अभियान में समाज की विभिन्न वर्गो की स्त्रियां एक साथ आई हैं। इस प्रकार के बलों के समायोजन का एक प्रेरणादायक प्रभाव रहा एवं बड़ी मात्रा में महिलाओं को खुली भागीदारी हेतु सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

साक्षर भारत मिशन में वैसे तो सभी वर्ग एवं लिंग के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जा रहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो बहुत से तकनीकी विषयों में पिछड़े हुए है, अत: धीरे-धीरे इन अभियानों के माध्यम से उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी हो पर रही हैं। हिन्दी, गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों के प्रारंभिक ज्ञान तो प्राप्त कर ही रहें है साथ ही साथ विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा स्वयं को वर्तमान पीढ़ी के साथ तालमेल बैठाना भी सीख पा रहे हैं।

रात्रिकालीन यह शिक्षा प्रेरकों द्वारा दी जाती हैं। नारी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षित नारी ही पूरे समाज को उन्नति की ओर ले जा सकती हैं। साक्षर भारत मिशन के योगदान से इसमें वृद्धि देखा जा सकता हैं।

अध्ययन पद्धति – इस अध्ययन हेतु कांकेर विकास खंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित साक्षर भारत मिशन में प्रौढ़ महिलाओं को साक्षरता प्रदान करने हेतु संचालित पांच केन्द्रों का चयन किया गया प्रत्येक केन्द्रों से पंद्रह ग्रामीण महिलाओं का दैव निर्दशन के आधार पर चयन किया गया, इस प्रकार कुल 75 ग्रामीण महिलाओं का चयन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य साक्षर भारत मिशन में महिलाओं की साक्षरता स्थिति का पता लगाना तथा ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी है या नहीं इसका पता लगाना है।

परिणाम एवं विश्लेषण – प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से निम्न परिणाम प्राप्त हुये :-

तालिका 1- साक्षर भारत मिशन में महिलाओं की शिक्षा संबंधी अवधारणा

क्र.	तथ्य	हां %	नहीं %	कुल %
1.	पढ़ने में इच्छुक न्यादर्श	75 (100%)	0 (0%)	75 (100%)
2.	शिक्षा के लिए प्रेरित न्यादर्श	74 (98.67%)	1 (1.33%)	75 (100%)
3.	महिलाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था	72 (96%)	3 (4%)	75 (100%)
4.	महिला शिक्षा को आवश्यक मानती हैं	75 (100%)	0 (0%)	75 (100%)
5.	बुनियादी शिक्षा के पश्चात् पढ़ना चाहती हैं	74 (98.61%)	1 (1.33%)	75 (100%)

स्त्रोत – प्राथमिक संमक पर आधारित आंकडे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सभी नवसाक्षर महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, 4 प्रतिशत मिशन में महिलाओं के लिए किए गए व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। 99 प्रतिशत महिलाएं आगे और पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, जो कि इस मिशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

* व्याख्याता पंचायत, शासकीय बा.उ.मा. विद्यालय,सरोना, कांकेर (छत्तीसगढ़) भारत

तालिका 2 – साक्षर भारत मिशन से महिलाओं के अधिकारों की जानकारी

क्र.	तथ्य की जानकारी	हां %	नहीं %	कुल %
1.	शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों व नियमों	71 (94.67%)	4 (3.33%)	75 (100%)
2.	शासन द्वारा दिये जाने वाले भत्तों	67 (89.33%)	8 (10.67%)	75 (100%)
3.	आप अपने क्षेत्र के पंच, सरपंच का ज्ञान	75 (100%)	0 (0%)	75 (100%)
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमों	68 (90.67%)	7 (9.33%)	75 (100%)
5.	महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं	66 (88%)	9 (12%)	75 (100%)

स्त्रोत – प्राथमिक संमक पर आधारित आंकडे

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 94.67 प्रतिशत नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं को महिलाओं के लिए बनने वाले कानून की जानकारी है, 89.33 प्रतिशत नवसाक्षर को भत्तों की जानकारी हैं। सभी न्यादर्श अपने गांव के सरपंच तथा पंच को जानती है। 90.67 प्रतिशत महिलाएं परिवार कल्याण के नियमों की जानकारी रखती है तथा 88 प्रतिशत महिलाएं महिला एवं बालविकास द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हैं।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है, साक्षरता की जब महिलाएं साक्षर होगी तभी उनका विकास होगा। साक्षर भारत मिशन से जुड़ी शत् प्रतिशत महिलाएं साक्षर हुई है। जो मिशन की सफलता का द्योतक है। जिससे महिलाएं शिक्षित हो अपने दैनिक कार्यो सहित कई पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा दायित्यों का निर्वाह करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मिशन की यह बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं जा सकती हैं क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है

सुझाव – प्रस्तुत लघुशोध का अध्ययन करने के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये गयें –

1. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षर बनाया जायें।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिये।
3. इन क्षेत्रों की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत समाचार पत्र महिलाओं से संबंधित पत्र आदि की सुविधा प्रदान की जायें।
4. इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये इनके लिये कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे वह समाज की शिक्षा दिशा पर पर्याप्त रूप से राशि व्यय करना चाहिए।
5. महिलाओं को साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाया जायें।
6. महिलाओं को तकनीकी एवं कम्प्यूटर का ज्ञान दिया जायें।
7. साक्षर करने के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षिण/जानकारी देना चाहिए ताकि महिलायें कुटीर उद्योग से जुड़ सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राय पारसनाथ, अनुसंधान परिचय, पृष्ठ - 63-73 लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, संजय प्लेस आगरा
2. स्टेट रिसोर्स सेंटर साक्षर भारत मिशन, मुद्रक महावीर ऑफसेट, रायपुर
3. देब तुहिन निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र (प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा) साक्षरता/शिक्षा से महिला सशक्तिकरण
4. पाठक एन. पी, भारत में महिला सशक्तिकरण - एक आर्थिक दृष्टि, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

****

मानव संसाधन विकास में जनजातियों की सहभागिता

डॉ. एल. आर. सिन्हा *

प्रस्तावना – वर्तमान परिपेक्ष्य में बस्तर संभाग का क्षेत्रफल 39057.45 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से भी बड़ा है। यहां की जनसंख्या 30,90,828 हजार है। यहां रोजगार का बहुत ही निम्न स्तर है। यहां कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या अधिक हैं।अत: यह जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र है। बस्तर संभाग का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक की यहां स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इतने बड़े भूभाग में फैले जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी समस्या है। यहां के कार्यशील जनसंख्या जो कि अशिक्षित, अप्रशिक्षित है, इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध काराने का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। ग्राम पंचायतें ही रोजगार सृजन करने की महत्वपूर्ण एजेंसी हो सकती है। ग्रांम पंचायतों द्वारा महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं को लागू करने के जवाबदारी भी है। बेरोजगार जनजातियों को कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करके उनके कौशल उन्नयमन कर विकास कार्य में सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है।

बस्तर संभाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। इसकी आकर्षक छठा मनमोह लेती है। बस्तर संभाग का जिक्र आते ही वह कहावत चरित्रार्थ होने लगता है कि 'सपन्नता में विपन्नता'। भारत को स्वतंत्र हुये 60 वर्ष हो चुके है लेकिन अभी भी बस्तर संभाग अपने पिछड़ेपन की गाथा दोहराते आ रहा हैं। बस्तर संभाग में आज भी व्यापक अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, माहमारियाँ इसकी पहचान बनी हुई हैं। बस्तर की गरीबी तभी दूर हो सकता है जब यहां के जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाएं। विकास की पहली किरण शिक्षा हैं। यहां की भौगोलिक एवं भाषाई विषमता को ध्यान में रखते हुये स्थानीय बोलियों में शिक्षा दी जाए। विकास की पहली किरण शिक्षा हैं, यहां की भौगोलिक एवं भाषाई विषमता को ध्यान में रखते हुये स्थानीय बोलियों में शिक्षा दिया जाए। जब तक लोग पढ़ लिखकर शिक्षित व साक्षर नहीं होगे तब तक जनजातियों में विकास की बात करना बेईमानी होगी। लोगों की रूचि को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा दिया जाना समीचीन होगा। जनजातियों के मन में विश्वास जगाना होगा कि शिक्षा से विकास संभव हैं। जब लोग शिक्षित होगे तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे। बस्तर संभाग में यहां के प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुये मूलभूत उद्योगों की स्थापना किया जाना अत्यधिक आवश्यक है जिससे स्थानीय स्तर पर काम चाहने वाले जनजातियों को रोजगार मिले। स्कूलों में स्थानीय बोलियों के जानकारों को शिक्षक बनाया जाए। इसी प्रकार आंगन बाड़ी कार्य कर्ताओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु स्थानीय जनजातियों को ही सेवा में भर्ती किया जाए।

यहां के वनोपज को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के बाजारों का विकास किया जाए जैसे– कोण्डागांव में पुराने वस्त्रों को पुन: उपयोगी बनाया जाता है। उसी प्रकार यहां कि जनजातियों को भी उनकी रूचि व उपलब्ध वनोपज के आधार पर लघु व सीमांत उद्योग का निर्माण कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। स्थानीय स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण देकर यहां उपलब्ध वनोपज– तेंदूपत्ता, साल बीज, लाख, टोरा, महूंआ, चिरौजी, तिखूर, बेहड़ा, सिहारी पान, बगई जैसे कच्चे माल का उपयोग कर उसे अंतिम उपभोग वस्तु में यही परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा स्थानीय स्तर पर अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा जिससे क्षेत्र का स्वत: ही विकास होने लगेगा।

औषधि पौधे यहां अकूत मात्रा में उपलब्ध हैं, इनकी पहचान कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इसी प्रकार काष्ठ शिल्प तथा बांस शिल्प में भी लोगों को प्रशिक्षत कर जनजातियों को रोजगार देकर उनका विकास किया जा सकता है। बस्तर संभाग में इसी प्रकार खान से संबंधित संसाधन जैसे– लोहा, टिन, कोरंडम आदि यहां के मुख्य खनिज पदार्थ हैं, इन खनिजों को ध्यान में रखकर इनका विदोहन करने के लिए जनजातियों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता हैं।

राष्ट्र की प्रमुख इकाई के रूप में गांवों की संज्ञा दी जाती है, देश का विकास गांवों के विकास पर निर्भर है। जब तक गांवों का सर्वागीण विकास नहीं होगा, देश का सर्वागीण विकास नहीं होगा। इसी बात को लक्ष्य कर केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं, जिसमें वर्तमान में गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति को 100 दिन निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा हैं।इसमें अकुशल, अशिक्षित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में अत्यधिक बेरोजगार लोगों को इसके दायरे में लाकर तथा स्थानीय स्तर पर जनजातियों की बेरोजगारी को दूर कर लगभग 9 माह रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

यहां वर्ष भर व्यापक मात्रा में बारिश होती है, जो कि नदी नालियों में बहकर समाप्त हो जाती है,अगर उनको वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाए तो न केवल पानी की बरबादी को रोका जा सकता है, बल्कि कृषकों की माली स्थिति में सुधार हो सकता हैं। इस हेतु जगह–जगह बांध, स्टाप डेम, आदि का निर्माण किया जाना चाहिए न केवल कृषकों की हालत में सुधार होगा बल्कि जनजातियों को वर्ष में दो बार रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी गरीबी दूर होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छत्तीसगढ़) भारत

गाँव से नगर की ओर पलायन – एक समीक्षा

डॉ. प्रीति वैष्णव *

प्रस्तावना – भारत में विकास के साथ– साथ लोगों का नगर की ओर पलायन बढा हैं। 'स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में 83 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या से, वर्तमान जनगणना 2011 में यह घटकर 69 प्रतिशत हो गई हैं'। यदि घटने का यह सिलसिला जारी रहा तो तीन से चार दशक में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने की संभावना हो सकती है , और भारत वासियो के लिये यह इतिहास बन कर रह जायेंगा कि भारत कभी गाँवो का देश हुआ करता था, जो भारत की मुख्य पहचान हैं ।

ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन

आर्थिक विकास के साथ लोगों का गाँव से शहर की ओर पलायन में वृध्दि हुई है। लोग विभिन्न उद्देश्यो– रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ सुविधाओं, आकर्षक जीवन व्यतीत करने कि लालसा, आर्थिक स्तर में सुधार, सामाजिक स्तर को उँचा उठाना एवं राजनीति में सक्रियता आदि की पूर्ति के लिए गॉव से शहर कि ओर पलायन करते हैं, इस प्रक्रियां के संभावित कारण–भारत में ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि हैं, वर्तमान में दिनोदिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जोत के आकार में निरंतर कमी होने पर उत्पादन से सभी आवश्यकताओं का पूरा न होना तथा सरकारी प्रयासो के असफल होने के कारण पालयन के प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।

आर्थिक आधार पर ग्रामीण जनता को तीन भागों में बाट सकते है, निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग, इन तीनों के पलायन कि प्रवृत्ति एवं उद्देश्यों में असमानता हो सकती है। जैसे निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंध रखने वाले व्यक्ति प्राय: रोजगार प्राप्त करने के लिए पलायन करते है। वही उच्च तथा कुछ मध्यम वर्गीय लोग– रोजगार, शिक्षा तथा शहर में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के आकर्षण के कारण प्रवास करते है। यह प्रवास समय के आधार पर स्थाई तथा अस्थाई दोनो हो सकता है। आये दिन बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशनों पर काफी संख्यां में ऐसे व्यक्ति पलायन करते हुए देखे जा सकते हैं। इन में उन व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक होता है, जो अपनी सीमित भूमि पर कृषि करते है, तथा जब ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हे उचित मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या संबंधी आकड़े – 2011 के नये जनसंख्या वितरण संबंधी आकड़ो के अनुसार देश कि कुल 121.01 करोड़ की जनसंख्या में 37.7 करोड़ शहरी क्षेत्रों में व शेष 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार देश कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.16 प्रतिशत है, जबकि 68.84 प्रतिशत जनसंख्या अब गांवों में निवास करती है। इससे पूर्व 2001 कि जनगणना के अनुसार देश में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का वितरण क्रमश: 27.81 प्रतिशत व 72.19 प्रतिशत था। 2011 के दशक में देश की शहरी जनसंख्या जहां 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई है, वही ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि 9.05 करोड़ रहीं है। इस प्रकार 2001 से 2011 कि दशक में देश कि ग्रामीण जनसंख्या में जहां 12.18 प्रतिशत कि वृद्धि दर्ज कि गई है वही शहरी जनसंख्या में वृद्धि 31. 80 प्रतिशत रहीं हैं।

तालिका– ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या

जनगणना वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत मे	शहरी जनसंख्या प्रतिशत मे
1901	89.2	11.0
1951	82.7	17.3
1961	82.0	18.0
1971	80.1	19.9
1981	76.7	23.3
1991	74.3	25.7
2001	72.2	27.8
2011	68.8	31.2

Census of India-2011

पलायन का प्रभाव – पलायन के अच्छे तथा बुरे दोनो प्रकार के प्रभाव हमे देखने को मिलते हैं। जहां जीवन स्तर, श्रम कि गतिशीलता, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी, आर्थिक दशाओं में सुधार, कार्य क्षमता तथा समाजिक सुरक्षा की प्राप्ति में वृद्धि होती हैं। वहीं मुख्य कार्य से अलग होना , एकाकी जीवन व्यतीत करना, चरित्र हीनता में वृद्धि, गंदी बस्तियों का निर्माण, शहर की आधारभूत सूविधाओं के भार में वृद्धि तथा स्वास्थ में गिरावट का सामना करना पड़ता हैं।

पलायन नियंत्रण के लिए सुझाव – ऐसा नहीं हैं कि भारत सरकार ने ग्रामीण पलायन को रोकने का प्रयास नहीं किया। सरकार समय–समय पर विभिन्न योजनाएं जैसे–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन, प्राधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, विभिन्न भूमि विकास योजनाओं एवं लघु एवं कुटीर उघोगों के विकास के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के साथ गांवो के विकास के लिए– स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़क निर्माण संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित किया, जिसका प्रभाव हमे देखने को मिलता। पर ये योजनाएं पूरी तरह से सफल हुई, यह नहीं कह सकते, तभी तो आज लोगों कि पलायन प्रवृत्ति बढ़ने की पुष्टि आकड़ों द्वारा होती है। यदि वास्तव में सरकार पलायन रोकना चाहती है, तो ऐसी नीतियों का निर्माण करें जों ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप

* अतिथि व्याख्या (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छत्तीसगढ़) भारत

योजनाएं बनाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जो गरीबी दूर करने में सहायक सिध्द हो, ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों कि नियुक्ति, शिक्षण संस्थाओं, तथा गांवों में सभी आधारभूत सुविधाओं का बेहतर विकास और समय-समय पर योजनाओं का निरीक्षण, मूल्यांकन तथा कार्यों की स्वीकृत राशि के दुरूपयोग की स्थिति में, संबंधित लोगो कि जांच कर नियमत: कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए।

निष्कर्ष – आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्रामीणो के शहर की ओर पलायन में वृद्धि होती जा रही है। विश्व में भारत को '**गांवो का देश**' के नाम से जाना जाता हैं। गांवो में ही भारत की सभ्यता और संस्कृति का पालन-पोषण एवं संरक्षण होता है।

अत: विश्व में अपनी मूल पहचान बनाये रखने के लिए, ग्रामीणों का शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकने संबन्धी प्रयास सामाजिक संगठनों, निजी क्षेत्रों एवं सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जनसंख्या-2011, सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, 90-97, प्रतियोगिता दर्पण 2011 ए स्वदेशी,बीमा नगर आगरा -282002
2. सुदंरम के. पी. एम. एवं दत्त जी-जनसंख्या और आर्थिक विकास, 24-43, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर नई दिल्ली-110055
3. Census 2011 Provisional Population India

****

Chhattisgarh Gramin Bank And Its Impact On Tribal Economy - A Case Study

Dr. Preeti Vaishnav *

Introduction - Chhattisgarh Gramin Bank (CGGB's) was established by the notification dated 30th June 2006 issued by ministry of finance, Govt. Of India, exercising the power vested, under Regional Rural Bank etc. 1976 (21 of 1976) sub section 1 of section 23, amalgamation by three erstwhile Regional Rural Banks sponsored by State Bank of India in Chhattisgarh State namely Baster kshetriya Gramin Bank, Bilaspur Raipur kshetriya Gramin Bank and Raigarh kshetriya Gramin Bank etc.

Goals Of Tribal Development - The goals of tribal development in India were best summarised in Nehru's foreword to verrier Elwin's book on NEFA as follows:-

1. People should develop along the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on them we should try to encourage in every way their own traditional arts and culture.
2. Tribal rights in land and forest should be respected.
3. We should try to train and build up a team of administration and development some technical people from outside will no doubt be needed specially in beginning, but we should avoid introducing too many out side into tribal territory.
4. We should not over administer these areas or over whelm them with multiplicity of schemes. We should rather work through and not in rivalry to their own social and cultural institution.
5. We should guide results not by statistics or the amount of money spent but by the quality of human character that is involved.

Objective Of The Study :

The objectives of the present study are as follows :

1. To examine the impact of Chhattisgarh Gramin bank's on loans in increasing income of the borrowers.
2. To study the role of the bank in creating employment opportunities through various schemes.
3. To examine the role of the bank in increasing the employment, income and living standards of the borrowers.

Methodology - The study is based on field survey of 149 schedule tribal families 25 schedule cast families and 146 other families thus total 320 families drawn from selected 3 branch of Chhattisgarh Gramin Bank kanker, Gramin bank charama and Gramin bank dudhawa also of North Bastar in Tribal area of Chhattisgarh. In the connection of this study under the selected out of sampled banks following scheme are working for improving to beneficiaries are as following

Kishan credit card, krishi yantri karan, krishi sawdhi rin, on form jal prabandhan yojana, varsha jal sangrahan yojana, krishi sambandhi kriyaklap, shakambhari yojana, swarn sahayata samooh ko vittposhan, swarn jayanti gram swarojgar yojana, home loan, swarojgar credit card yojana, vyavsay samridhi yojana, vyaktigat rin, upbhog rin.

Out of above schemes I have selected nine schemes for evaluating and find out the impact of banks in these scheme three scheme are very impact able such as:- (1) Kishan credit card yojana, (2) krishi sawdhi rin, (3) swarojgar credit card yojana etc.

Profile Of The Beneficiaries - The pace of development of a society is largely dependent on the socio economic condition of the people, besides economic condition, tradition and motivation of the society play a predominant role of developing the economy. There fore, the direction and pace of development from place to place and society to society. In order to have a better and clear understanding of the role played by the CGGB's in tribal rural development a brief socio-economic analysis of the prominent characteristics of the borrowers was felt necessary.

Age And Sex Of The Borrowers - An over whelming majority of the borrowers in all the sample branches were male (about 78%) and only a small percentage were female (about 28%) young (up to 35 year) and middle aged (36-45 year) people constituted 75 percent of the borrowers, hence the study was restricted to a great percentage of young and middle age group borrowers.

Type And Size Of Family - Most of the sample families in the study area were large in size with family units of 4-8 members and extended on to the joint families in composition which accounted for 73.8 %Of the borrowers.

Educational Qualification - Broadly speaking education plays a unique role in the process of development particularly

*Guest Lect. (Economics) Govt. P.G. College, Kanker (C.G.) INDIA

in tribal society to spread knowledge and awareness among them. The level of education of the sample borrowers was as high as 69%. This high literacy rate may be due to the fact that education is provided free at primary levels.

Ownership And Condition Of House - Dwelling house one of the important factors which determines the social status of the people was studied from different points of view like nature of ownership type and condition of houses, number of rooms, types of roofing, electricity and water facilities etc. It is significant to now that in the study area the tribal borrowers were less interested to build pucca houses.

Cropping Pattern - It was found that the average size of landholding was very small in the survey area and a majority (39%) of the borrowers reported small holding (1 to 2 hect) and 30% had marginal holding(less than 1 hect) followed by 20% having semi medium(2 to 4 hect) and 9 % having medium(4 to 10 hect.) holding, However, 2% of the borrowers fall under landless category. The choice and combination of cropping pattern largely depends on factors like physiography, soil, climate condition, irrigational status, economic setup etc. The cropping pattern was found to be not uniform in the study area. Both the Jhumming pattern and selected agriculture systems were practised and the main crop cultivated were paddy, maize, wheat, millet, sugarcane, pulses, fruits (Water melon, mango, lemon, banana,) and miner forest product.

Occupational Pattern - Agriculture, horticulture and forestry were the prominent sources of livelihood of the borrowers in the study area, particularly in remote areas. There were wide variations, regarding principal and subsidiary. Occupations among the beneficiaries. The overall picture indicated that agriculture and horticulture were main occupation of a majority of borrowers while transport service, handicraft, small business etc. Were subsidiary activities of livelihood However, it was observed that the occupational pattern of the borrowers has been changing very fast to various activities.

Banking Habit - The process of rural development largely depends upon the community banking habit which influence the money flow to the rural economy. It was observed that the banking habit of the beneficiaries was very insignificant out of 320 borrowers, 70% reported that they opened an account with CGGB only for getting loan, However, beneficiaries of small business and service sector reported better banking habits. The saving habit of the beneficiaries was also found to be very poor, The reasons for lack of saving habit as reported were insufficient income and long distance to bank branches.

Impact Analysis - To analyse the impact of the CGGB's loans on tribal development the following parameters have been chosen.

Impact On Principal Occupation - The resources for tribal development in the study area is a bulk but the problem of unemployment and factors there are different in the study area. Some times it is found that due to the lack of proper utilisation of resources or not applying of scientific process in production results in unemployment. It is found that the income level in the rural areas was low and the primary objective of the banks is to support the rural people by providing credit to raise their level of living.

Table -1 indicate that 54 out of the sample borrowers(10%) reported themselves unemployment before availing of loans. Thus, the financial of the CGGB helped the rural borrowers to solve their unemployment problem and underemployment problem to a large extent by creating new employment opportunities in the survey areas. There were 76 sample borrowers who principal occupation was agriculture. But in the post-loan period, the borrowers changed their occupation and 17.10% agriculturists reflected other occupations. Among the principal occupation of tribal borrowers, percentage of change between pre-loan period and post loan period was highest in transport and other services occupation. 28 sample borrowers who principal occupation was horticulture in pre-loan period but after post loan period increase the borrowers no. 39, it is found in the study that the CGGB has taken steps to create opportunities for better utilisation of available manpower through programmer of horticulture, animal husbandry.

Table 1 - Change of principal occupations and economic activities.

Principal occupation	Pre -loan period	Post- loan period	% of change
Agriculture	200	197	-1.5
Horticulture	08	10	25
Poultry	12	18	50.00
Fishery	24	20	-16.66
Small business	22	40	81.81
Unemployed	54	35	-35.18
Total	320	320	

Source:- 1. Survey of 320 beneficiaries.2.Figures are primary data.

There were 24 sample borrowers whose principal occupation was fishery. But the post loan period the borrowers changed their occupation and 16.66 percent fishery reflected other occupations. Small business with percentage of 81.81 comes next followed by poultry with a percentage of change of 50.00. These impressive change in the principal occupations of tribal borrowers reflect appreciable performance of the CGGB in generating employment opportunities as well as in converting unpaid domestic workers into income earners in the study areas. It was found that the activities financed by CGGB became the main occupation of the majority of rural borrowers during post loan period.

Impact On Annual Income - From the previous discussion it is observed that the bank loan has a positive impact on income generation of the borrower. Here an attempt has been made to quantify this effect from direct information on income collected through the present field study. However, accurate estimation of income is difficult as most of the borrowers do not maintain proper financial records of their businesses. Therefore, the tabulated data may not depict an accurate picture.

Table-2 shows that the borrowers average income increased substantially in the post-loan period. Average incremental income per beneficiary after receiving the loan was Rs. 715 i.e. an income of 41.44 percent.

Purpose wise, the increase in net income was observed in all the activities during the post-loan period. The highest increase in the average incremental income per borrower was found in the other service sectors. The average annual incremental increase in this sector was estimated at Rs. 840. It shows an increase of 51.21 percent. Similarly, the small business also shows a very encouraging amount of average incremental income per borrower with 45.22 percent. Average incremental income of the borrowers engaged in fishery loans was Rs. 552 and incremental income of the borrowers engaged in horticulture was Rs. 740 followed by poultry raising. However, for the borrowers who took loans for agriculture their receivable income increased only marginally Rs. 239. This may be due to continued use of primitive methods in agriculture in the study areas. It can be concluded from the above discussion the CGGB's loan has helped the sample borrowers in raising their level of income and there by in improving their economic condition.

Conclusion - At last it appears important that CGGB provide a strong base for development of tribal area wherefrom enormous possibilities generate for development. From the study it was observed that the CGGB's loan played an important role in improving the economic conditions of the borrowers. The Chhattisgarh Gramin Bank was found to be a major source of information as well as credit for the rural people living in far flung rural areas. It helped the rural poor in eabling them to take up economic activities by providing credit through simple procedures at a lower rate of interest. The CGGB's finance has significantly contributed in the increase of annual income of the borrowers and generating employment in various activities.

References :-

1. 1st Annual Report 2006-07, Chhattisgarh Gramin Bank, Main office, Recriation Road, choube colony, Raipur (C.G.)
2. Nadeem Hasnain(2007), Tribal India, page no. – 31 and 45, palaka prakashan Delhi.
3. Dr. Prakash Chandra Mehta(1999), "Tribal Development", Shiva publishers distributors 1-na-2 sector-4, Hiran magri Udaipur.
4. Dr. R. Prasad-Marketing problems of minor forest produce in tribal areas of Chhattisgarh, Kurukshetra – A Journal on Rural development, vol.53, No.- 4, feb. 2005, Govt. Of India, New Delhi.
5. National Cooperative Union of India, 1998, A Profile of Cooperative Movement of India, New Delhi.

Table-2 : Purpose-wise Annual net income and incremental income earned by respondent.

(Amount Rs)

Activity	Total Beneficiaries	Average Net IncomePer Beneficiaries		Average Incremental income per Beneficiaries	%of increase
		Pre-loan period	Post- loan period		
Agriculture	63	1045	1284	239	22.87
Horticulture	39	2240	2980	740	33.03
Poultry	48	2320	3052	732	31.55
Fishery	55	1520	2072	552	36.31
Small business	64	1780	2585	805	45.22
Other	51	1640	2480	840	51.21
Total Beneficiaries	320	1725	2440	715	41.44

Source :- 1. Survey of 320 beneficiaries. 2. earning calculated in Rs.

****

Impact of Environmental Economics on Health Status in India

Prof. Rohini Prasad * Preeti Vaishnav **

Introduction - The world health status encompasses in itself both economic and social aspects. From the economic point of view, an improvement in the health of masses increases their productive capacity and automatically raises the level of national output. From the social point of view, it gives a means for enjoying life more comfortably as also a status and respect in social set-up. Thus good health of any individual is among the most valuable passions of human life. It forms an important segment in the development of human capital of the country. The constitution of World Health organization says, "Enjoyment of the high standard of health is one of the fundamental right of every human being." According to Ethel Shanas and George L. Maddox, "health and illness affect an individual's performance of basic personal tasks and daily living and of expected roles. Impairment and disability increases the probability of failure in carrying out tasks and social roles and such failures in turn increases dependency."

Good health depends upon factors such as good food, good environment to live and work. Increases in will being would mean expansion of human capabilities to function (Amartya sen, 1998) But with growing prosperity and technological advances, the task of ensuring health and well being or the world is becoming even more expensive and complicated then before.(Gopalan, c.2004)

In the pace of rapid economic development. We are ruthlessly exploiting our natural resources. This has disturbed the ecological balance in the environment of the economy. The fast depletion of natural resources, cutting of trees, excessive mining and industrial activity, overgrazing of animals, excess of vehicles on roads have deteriorated the quality of environment and thereby the quality of life. Thus has affected the health status of the citizen of the country.

India's forest constitutes 2% of world's forest areas but is forced to support 12% of the world's population and 14% of the livestock population. According to a recent publication by the World Bank (2006), in the developing countries, excluding China, at least 100 million more people are living in poverty today than a decade ago. The gap between rich and poor has widened. More than 16% of the world population still lacks access to safe water, and each year 2.4 million children die of water borne diseases. As many as one million people have entered the 21st century unable to read and write. Some 1.8 million people die each year due to indoor air pollution in rural areas alone (World Bank, 2005).

Thus on the one hand, highly growth is required to improve the standard of living, but on the other hand, the expensive and intensive extraction of natural resources affects the quality of life. Thus there is a need to develop proper policy mix between growth requirement and standard of environment for quality of life. Thus paper is an investigation of health status and quality of life different states of the country.

Objectives of the study

Objectives of the present study are as follows:

1. To study the status of health in the country.
2. To examine the relationship between health status and quality of life.
3. To estimate the effects of various indicators of quality of life and environmental factors on health status namely infant mortality ate and death rate.

Methodology - There are many variables to take stock of health status of the society, expected age of life, death rate, mortality rate, lower expenditure on medicine, low incidence of disease like T.B., Small pox, Cancer, and heart disease, etc. This information's are not easily available at state level in India. We therefore, in this paper have considered death rate and mortality rate as a measure of health status of the society.

The other important aspect of the society is the quality of life. It is a function of economic well-being, social empowerment and access to basic amenities. It is well recognized that GNP has limited capacity to capture various human dimension quality of the index for different states in India.

***Professor, S.D.S. in Economics, Pt. R.S.U.,Raipur (C.G.) INDIA**
****Guest Lect. (Economics) Govt. P.G. College, Kanker (C.G.) INDIA**

1. Per capita income (x1t): It is measured as total income divided by total population of the same year. Income determines a man's way of living, his housing condition, his food habits, his dress and location of his residence. It is measure of consumption basket and access to the market. Therefore, higher the PCI, higher should be the quality of life. The states are ranked in descending order; the state with higher PCI was given first rank. It is indicated by R1.
2. Female literacy rate (x2t): It is measured as percentage of literate female to total adult female population. A literate female is more concerned about the health and hygienic condition for her family: female are better should be the quality of life. It is also ranked in descending order and indicated by R2.
3. Female wore participation rate (x3t): It is measured as percentage of female worker in total female work force. The participation of female in economic activities on the one hand provides bigger basket of female, but on the other hand, it decrease her devotion of time to her family members. For the low wage earners, the females forced to work to support their family members. Hence greater the participation of females in economic activities, poorer would be the quality of life. It is ranked in ascending order and indicated by R3: state with lowest value of female participation rate is given first rank and so on.
4. Health expenditure (x4t): Expenditure on provision of health facilities includes health care services like hospitals, medicines etc. that are important for health of the society. It reflects the health infrastructure of the society. It is measured by the per capita expenditure on health, better is the quality of life. We, therefore, have ranked the states in descending order; the state with highest per capita expenditure on health is given first rank and so on among the states of India. It is shown by R4.
5. Percentage of population below poverty line (x5t): Population below poverty line is a curse to the society. Such a section of population is not able to meet even its basic needs. As a result, they create more pressure on quality of environments. Hence if the population below poverty line is high, the quality of life of that region may be considered as poor. This indicator is given rank in ascending order, state with lowest percentage of population below poverty line is given first rank and so on, It is denoted by R5.
6. Percentage of forest areas (xt6): is necessary for the human health. It clean the environment and given fresh air to breathe and to live a healthy and longer life. A forest area provides many recreational between forest areas and quality of life. It is ranked in descending order; the state with highest forest coverage is given first rank and so on. It is denoted by R6.

There variables constitute the quality of life of the community. In order to construct the composite index of quality of life, we have worked out tht average ranking of all the states in India.

Composite index of quality of life (Rx) = (R1+R2+R3+R4+R5+R6) / 6

Higher the value of index lower is the quality of life. We have therefore, ranked this quality of life index in ascending order, the states with lowest value of this is given first and so on.

Even its basic need. As a result, they create more pressure on quality of environment. Hence if the population below poverty line is high, the quality of life of that region may be considered as poor. This indicator is given rank in ascending order, i.e., states with lowest percentage of population below poverty line is given first rank and so on. It is denoted by R_s.6. percentage of forest area (X_{61}): Plantation is necessary for the human health. It cleans the environment and gives fresh air to breath and live a healthy and longer life. Forest area provides many recreational services to the society. So there should be positive relationship between forest area and quality of life. It is ranked in descending order, i.e., the state with highest forest coverage is given first rank and so on. It is denoted by $R_{6.}$

These variables constitute the quality of life of the community. In order to construct the composite index of quality of life, we have worked out the average ranking of all the states in india.

Composite index of quality of life (Rx) = $(R1+R_2+R_3+R_4+R_5+R_6) / 6$

Higher the value of index lower is the quality of life. We, therefore, ranked this quality of life index in ascending order, i.e., the states with lowest value of this index is given first rank and so on.

We have tried to interlink this quality of life index with the index of health status in different states. This will help us to understand whether the states with better quality of life are able to improve their health status in terms of lower death and mortality rate.

Finally, we have tried to identify the socio-economic and environmental factors which determine the health status of the states. For this, the health status indicator, i.e., death rate and mortality rate is regressed on per capita income, female literacy rate, and female work participation rate, percentage of expenditure on health, percentage of population below poverty line and percentage of forest area. The model used for estimation is as follows:

$$Y t = f(X_{1t,} X_{2t,} X_{3t,} X_{4t,} X_{6t})$$

Where Y_t refers to the dependent variable. In this study, the dependent variables are death rate and infant mortality rate of the state.

X_{1t} = per capita income (in Rs.)
X_{2t} = percentage of female literacy rate
X_{3t} = female work participation rate
X_{4t} = percentage of expenditure on health
X_{5t} = percentage of population below poverty line
X_{6t} = percentage of forest area

Model: $Y_t = B_0 + 6_1X_{1t}+6_2X_{2t}+6_3X_{3t}+B_4X_{4t}+13_5X_{5t}+f1_6X_{6t}+U_t$

The data on these variables are collected from published sources like Statistical Abstract of India, Population Census etc. This information is related to the health status and indicators of quality of life. This is a comparative study of different states of India.

Table- 1(See in last page)

After independence, several efforts have been made in India to reduce poverty and raise the quality of life. As a result of various policies and programmers, the poverty ratio has decreased from 44 percent in 1983 to 26 percent in 2001. Literacy Rate has increased from 43.57 percent in 1981 to 65.38 percent in 2001. Per capita consumption of electricity, which is an important from 129 kg in 1980-81 to 345.75 kg in 1999-2000,a threefold increase during this period.

Regarding the health sector, the expenditure on health services has increased. It was 1.9 percent of total expenditure during fifth plan which has increased to 2.4 percent of total expenditure during 2003-04. According to official reports, the number of hospitals per one lakh population has increased from 0.99 to 1.32 Number of beds per one lakh population was 73.64 in 1981 which has increased to 78.70 in 2001. Increase was also recorded for dispensaries and primary health centers during this period. As a result of these efforts, some improvement is recorded in health determinants. Birth rate has decreased from 33.9 (1991) to 29.5 (2001), to 4.4 (2008) death rate has decreased from 12.5 (1991) to just 9.8 (2001), 2.7 (2008) infant mortality rate has decreased from 110 (1991) to 80 (2001), 30 (2008) child mortality rate has decreased from 41.2 to 26.2, 14.7 and life expectancy has increased from 55.5 (1991) to 61 in 2001. Thus, there is a tendency of overall improvement in the health status of the country. It is, therefore, important to analyze the pattern of these improvement at state level. A pertinent question is: Are the states of India experiencing same pattern in these indicators ?

Health Status in India - The state level data on indicators of health status, i.e. death rate and infant mortality rate, shows wide variations. Mostly the states with high infant mortality rate are showing incidence of death rate (table-2). Such states are Madhya Pradesh c.g., Orissa, Uttar Pradesh, Assam and Andhra Pradesh. On the other hand Kerala. Punjab and Gujarat are the states which have low level of infant mortality rate and death rate. While Kerala is found to be having the better health status followed by Maharashtra, West Bengal, Punjab and Tamil Nadu, Orissa, Madhya Pradesh, Utter Pradesh and Assam have poor health status in India.

Quality of life in India - The estimates of quality of life were obtained by the average ranking of the state in terms of the rank in all the six indicators of quality of life as mentioned in the methodology. They are presented in table-2. The estimates show that Kerala has the highest quality of life as it has the highest quality of life as it has highest female literacy and percentage of forest area. Punjab is at the second position as it has highest per capita income and lowest population below poverty line and a low level of female participation rate. West Bengal is also having the high quality of life as it is moderate in terms of per capita income, but high female literacy rate and health expenditure and low female work participation rate. On the other hand Bihar has the lower quality of life due to its lowest per capita income, female literacy rate and a high level of poverty. Assam has the highest female work participation rate and a high level of poverty. Poverty is enforcing the females to work. This makes its quality of life poor in spite of having higher percentage of forest area. Thus better quality of life cannot be ensured just by higher level of per capita income. The following table explains health status and quality of life in the states of India.

Table- 2 (See in last page)

Comparative Analysis of Health Status and Quality of life - Further, an attempt is made to compare the health status and the quality of life indices of the states in India. Table-2 shows that the states which are having better quality of life have also shown better health status. They are Kerala, Punjab and West Bengal. On the other hand, the states which have low quality of life and poor health status are Assam, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. A two-way classification of states on the basis of the ranks of quality of life and health status is given in Table-3. It shows that Maharashtra and Tamil Nadu have moderate quality of life but are better in health status. Andhra Pradesh, Haryana and Rajasthan are at the moderate level in both the indices. Gujarat and Karnataka are the states with better quality of life but are moderate in the health status. Very miserable is the situation of Assam, Madhya Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh. In these states, both the qualities of life as well as the health status are very poor. The rank correlation coefficient between health status and quality of life is found to be 0.83 which is positive and significant. This shows that the health tatus is highly related with the quality of life in the state.

It is now important investigate whether the states with better quality of life are able to improve their position in the health status. Negative value of Rx-Ry (table-2) shows that the state's rank is better placed in quality of life compared to their rank in health status.

These states are Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Punjab and Rajasthan. These states need more emphasis to improve upon their health status. Out of these, Orissa and Madhya Pradesh position is very serious because of poor quality of life followed by still worst position in health status. On the other hand, for some states the Rx-Ry is position, i.e., they are better placed in health status compared to their position in quality of life. These states are Bihar, Assam, Maharashtra and Tamil Nadu. It is a matter of some satisfaction that the states like Bihar and Assam could do better in terms of health status in spite of their poor position in quality of life. These states need to give more emphasis on the better hints of both health and quality of life.

Regression Results - The above analysis shows that the health status in India is showing wide variations. Therefore, there is a need to identify the factors which are responsible for variations in health status. For this, the regression results are obtained as shown in table-4(a). The value of R^2 shows that about 49 percent variations in death rate are explained by the model. The impact of per capita income, female literacy rate, female work participation rate, and health expenditure is found to be positive but insignificant. The impact of population below poverty line is positive and significant. This means that if the population below poverty line S MORE, DEATH RATE IS HIGH. Poverty is associated with the problems of malnutrition, higher degree of congestion, poor living conditions and death due to epidemics. The impact of forest area is found to be negative and significant. This means that greater the forest area, less is the environmental degradation and hence less is the death rate. Here it is difficult to understand how death rate is lower in the states with high forest area. The population living in forest area has different ways of life and thinking towards nature. This might be helping them to reduce the death of the region. Thus environmental concerns are important even in reducing death rate.

The picture becomes more interesting when we regress infant mortality rate on the indicators of quality of life (table-4b). Now, none of the economic and social factors, namely per capita income, female literacy rate, female work participation rate, health expenditure and population below poverty line significantly influences the infant mortality rate. It is only the forest area which has a negative and significant impact on the infant mortality rate. It is difficult to understand how the per capita income, female literacy rate, female work participation rate, health expenditure and population below poverty line are not determining factors in reducing the infant mortality rate. Here again, the importance of environment concern in controlling the infant mortality rate is justified.

Conclusion - The study shows wide variations in the health status of the states in India. It was found that the states in which the infant mortality rate is high has a high death rate, i.e., poor health status. Quality of life index was prepared on the basis of per capita income, female literacy rate, female work participation rate, percentage of expenditure on health, population below poverty line, and the forest area. The quality of life index was found to be highly correlated with the index of health status. The states having high quality of life are also having high health status. Thus our analysis shows that quality of life is a very important variable in order to improve health status in India. It is surprising to note that states like Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh and Orissa could not transform their position in quality of life into betterment of health status of the state. But on the other hand, states like Bihar, Assam, Maharashtra and Tamil Nadu could do better in their health status compared to their position of quality of life. Among the factors of quality of life, only population below poverty line and forest area are the most important to improve health status. Both of these factors can not be improved just on the basis of economic growth or market forces. There is a strong need for government intervention to reduce population below poverty line and improve forest area, which will help finally in improving health status of the state.

References :-

1. Chatterjee, D.P. (2004), 'Environmental Movement in a Local Context: The Case of Antipollution Movement in a Small Locality of West Bengal' Guru Nanak Journal of Sociology, Vol. 25, No. 1
2. Chatterjee, Debu Prasad (1998-99), 'Environmentalism and Appropriate Technology', Socialist Perspective, 26
3. Reddy, A.K.N. (1994), Technology Development and the Environment: An Analytical Framework' in Ramchandra Guha (ed.). Social Ecology, Delhi: Oxford University Press.
4. Puma Chandra Upadhyaya (2003), 'Poverty and Health Condition of theNats of Mirjapur', Man in India, - A Quarterly Journal of Anthropology, Vol. 83, No. 3 & 4.

Table- 1: Health Indicators in India

Expenditure on health(per lakh population)	Rs. 760.8 crore (1.9%)	Rs. 6097.6 crore (2-4%)	Rs. 5336.8 crore (-0.5%)
No. of hospital(per lakh population)	0.99	1.32	-0.33
No. of beds (per lakh population)	73.64	78-70	-5.06
No. of dispensaries(per lakh population)	2.45	3.25	-0.8
No. of PHC_S(per lakh population)	1.06	3.55	-2.49
Birth rate (per lakh population)	33.9	29.5	+4.4
Death rate(per lakh population)	12.5	9.8	+2.7
Infant mortality rate(per lakh population)	110	80	+30
Child mortality rate(per lakh population)	41.2	26.5	+14.7
Life expectancy (in years)	55.5	61	-5.5

Source: Ministry of Health and Family Welfare, 2005-06.

Table- 2: Index of Health Status and Quality of life (Indicators of Health Status)

States	IMR	DR	Health Status (Ry)	Quality of Life (Rx)	(Rx-Ry)
Andhra Pradesh	66(10)	8.1(10)	10(10)	7.67(9)	-1
Assam	73(11)	9.5(12)	11.5(12)	10.5(4)	2
Bihar	62(8)	8.2(11)	9.5(9)	11.83(15)	6
Gujarat	60(7)	7.8(8)	7.5(7.5)	7(5)	-2.5
Haryana	65(9)	7.6(6)	7.5(7.5)	7.5(7)	-0.5
Karnataka	58(6)	7.6(6)	6(6)	6.67(12)	-2
Kerala	11(1)	6.6(1)	KD	4.33(1)	0
M.P. + C.G.	96(15)	10(13)	14(14)	9.67(12)	-2
Maharashtra	45(2)	7.5(4)	3(2)	7.5(7)	5
Orissa	90(14)	10.2(15)	14.5(15)	9.5(11)	-4
Punjab	51(4.5)	7(3)	3.75(4)	5.33(2)	-2
Rajasthan	79(12)	7.9(9)	10.5(11)	9.17(10)	-1
Tamil Nadu	49(3)	7.6(6)	4.5(5)	7.5(7)	2
Utter Pradesh	82(13)	10.1(14)	13.5(13)	9.83(13)	0
West Bengal	51(4.5)	6.8(2)	3.25(3)	6.17(3)	0
Rank Correlation Coefficient		0.834674			

Source: Computed

****

मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन (बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राकेश कुमार चौरे *

शोध सारांश – मराठा शासन एक सुव्यवस्थित व नियमों से पूर्ण व्यवस्था थी। विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से करने हेतु विभिन्न स्तरों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें विशेष अधिकार प्रदत्त किए गए थे, जिससे वे संबंधित क्षेत्रों में सुचारू रूप से कार्य कर सके। उनके अधिकारों व कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र रखा गया था। इस प्रकार मराठा शासन काल में विभिन्न स्तरों की प्रणाली को आत्मसात करते हुए वह उसमें परिवर्तन करते हुए मराठा शासकों ने नई व्यवस्था का जन्म दिया जिसका स्वरूप आज की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में दिखलाई पड़ती है।

शब्द कुंजी – जागीर, परगना, सायर, पंडरी।

प्रस्तावना – 18 वीं सदी में सतपुड़ा के अरण्यमय मैदान में रघोजी भोंसले ने नागपुर में मराठों का राज्य स्थापित किया। उस समय में मध्यप्रदेश पर राजगोंडों का शासन था। वह सतारा के महाराजा शाहू का **'सेना साहब सूबा'** था और 1930 ई. में उसे गोंडवाने से चौथ वसूल करने की सनद मिली थी। [1] रघुजी प्रथम ने देवगढ़ राज्य के अंतिम मराठा राजकुमारों का सफाया कर राज्य के विशाल भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1753 में रघोजी का देहावसान हो गया था। इसके पश्चात् 1772 से 1775 ई. तक साबाजी तथा 1775 से 19 मई 1788 ई. तक मुधोजी ने राज्य किया। मुधोजी की मृत्यु के पश्चात् रधोजी द्वितीय नागपुर का स्वतंत्र शासक बन गया। 1803 ई. में द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में रघोजी भोंसले ने दौलतराव सिंधिया के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी, परंतु दोनो मराठा शक्तियाँ पराजित हो गई। दोनो को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली के साथ संधियाँ करनी पड़ी। रघोजी द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने 17 दिसम्बर 1803 ई. में देवगाँव की संधि की जिसकी अंतिम शर्त के अनुसार 'माउन्ट एलफिस्टन' नागपुर का रेजीडेन्ट नियुक्त किया गया, इसने यहाँ चार वर्ष तक कार्य किया। [2] सम्भवत: इसी समय से बैतूल की शासन व्यवस्था आंशिक रूप से ब्रिटिश रेजीडेन्ट द्वारा की जाने लगी थी। इसी समय से बैतूल जिले का भू-भाग भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया।

भू-राजस्व व्यवस्था – मराठों के उदय के पूर्व राज्य की सम्पूर्ण भूमि छोटे-छोटे जमींदारों में बटी हुई थी। गाँवों पर उनके नियंत्रण से रैयत पर बहुत अत्याचार होते थे। मराठों की सत्ता काबिज हो जाने बाद भी राज्य में जमींदारी व्यवस्था बनी रही। इस सम्बंध नागपुर के ब्रिटिश रेजीडेन्ट जेनकिन्स ने लिखा है कि **इसके पीछे मराठों की नीति या स्वार्थ नहीं था 'सभी जमींदारों को मराठों ने समाप्त नहीं किया। उनके स्थानों पर वे अपना कार्य करते और कृषकों पर बड़ा प्रभाव रखते थे'** जमींदारों के कारण वे सरकार का या कृषकों का कितना हित साध्य करते थे यह संदेहास्पद है। [3] जमींदारों में अधिकार समाप्त होने पर भी उन्हे कायम रखने में मामलतदारों पर नियंत्रण रहता या और मामलतदारों के साथ उनके भी हिसाब प्रस्तुत हुये बिना कोई भी हिसाब मंजूर नहीं होता था। [4] मराठों के सैनिकी पराक्रम प्रसिद्ध होने पर भी उनका कार्य मूलत: कृषि था। सभी मराठा सरदारों के पूर्वज कृषक थे किन्तु उनहे अपने धर्म और वतन की रक्षा के लिये हथियार उठाना पड़ा। अत: कृषकों के हित सदैव उनके मन में थे। यह अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है।जमींदारों के क्रियाकलाप अगर राज्य मे हित में हों सो उनकी रक्षा करने की मराठों की परम्परा और विचार पूर्वक निश्चित की नीति थी। किन्तु उन्हे जमींदारों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अवैध क्रियाकलापों की समझ थी। अत: कई अवसरों पर मराठा सैनिकों को उन्ही के विरूद्ध हथियार उठाने को बाध्य होना पड़ता था।

राजस्व व्यवस्था – मराठों ने सन् 1790 में यद्यपि राजस्व के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। तथापि वह पूर्ण रूपेण व्यवस्थित और तार्किक न बन सका। भूमि कर निर्धारण का कार्य गाँव स्तर पर होता था और इस नियम में समय-समय पर नागपुर शासन के आदेशानुसार परिवर्तन भी होते रहते थे। भूमि की नाप का आधार किसानों के हलों की संख्या थीं। कर निर्धारण का कार्य पटेल अथवा गोंटिया और कृषकों के बीच आपसी समझौते द्वारा किया जाता था। प्रत्येक परगनें का कर निर्धारण वहाँ के कमाविसदार द्वारा गाँव की संख्या के आधार पर किया जाता था। इसके निर्धारण में पूर्व-प्रचलित परम्परा और क्षेत्र की समकालीन स्थिति पर ध्यान रखा जाता था। कर वसूली नागपुर से प्राप्त निर्देशानुसार विगत वर्ष की वसूली के आधार पर की जाती थी। इसके विपरीत उसमें हमेशा वृद्धि के संकेत मिलते रहे। मराठा शासकों में राजस्व में वृद्धि करते रहने की आम प्रवृति थी। [5]

बोनी समाप्त होने के बाद कमाविसदार अपने क्षेत्र के किसानों से गत वर्ष की बकाया राशि की अदायगी हेतु तकाजे भी करते रहते थे। अगस्त मास के अन्त मे सूबेदार सभी कमाविसदारों को यह निर्देष देता था कि वे गत वर्ष के कर निर्धारण के अनुसार कुल राजस्व की राशि 1/3 अंश वसूल कर उसे 5 अक्टूबर तक सरकारी खजाने में जमा कर दें। कमाविसदार तदनुसार अपने क्षेत्र के पटेल या गोटिया को यह निर्देश भेजता था कि गाँव में जाकर वे चालू वर्ष के लिये भूमि कर का निर्धारण करें और पिछला बकाया यदि कोई हो तो वसूल करके ले आवें। यदि कोई गाँव में जाकर विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में अधिक राजस्व पटाने की क्षमता रखता था तो कमाविसदार गोंटिया या पटेल से इस संदर्भ में विचार विमर्श कर लगान की राशि में वृद्धि कर देता था।

*अतिथि विद्वान (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, परासिया, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

इसका ब्यौरा पटेल या गोंटिया के पास रहता था। इस तरह किसानों को भविष्य में पटाई जाने वाली किष्तों की राषि का ब्यौरा मालूम हो जाता था। परगना के वार्षिक लगान का 1/3 भाग जिसका निर्धारण विगत वर्ष के अनुसार ही होता था, वसूल किया जाकर सितम्बर या अक्टूबर माह में खजाने में जमा कर दिया जाता था। वार्षिक कर निर्धारण का कार्य पड़ती जमीन की मात्रा, मौसम की खराबी और जानवरों की बीमारी आदि प्रश्नों पर विचार करने के बाद ही किया जाता था। लगान की दूसरी किस्त भी 1/3 अंश की होती थी। इस अंश की भी वसूली कमाविसदार अपने क्षेत्रों का दौरा करके अपने को वहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराता था। [6]

कर – मराठा शासन अनेक प्रकार के कराधान के लिये विख्यात रहा है। राजस्व से प्राप्त होने वाली आय के दो भागों में विभाजित किया गया था (1) मूल जमा और (2) सेवाई। विभिन्न कारणों को आधार बनाकर भूमि पर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता था उसको 'सेवाई' कहा जाता था। उदाहरण के लिये विभिन्न त्यौहारों के समय यहाँ की जनता के द्वारा भेंट स्वरूप कमाविसदारों को प्रति गाँव एक रूपया दिया जाता था। यह कर सूबेदार, फड़नवीस और नायब फड़नवीस के लिये भी वसूल किया जाता था। यह वसूली परम्परा के अनुरूप थी, जिससे मराठा अधिकारियों को अनुभाग मिलता था। मादक द्रव्यों की बिक्री हेतु दिये गये लाइसेन्स के रूप में **'आबकारी कर'** लगाया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जायी जाने वाली तथा ऐसी ही अन्य अनेक वस्तुओं पर बिक्री कर **'सायर'** नामक कर लगाया जाता था। किसानों के अतिरिक्त जो ओर लोग थे उन पर भी एक विशेष **'पंडरी'** नामक कर लगाया जाता था। आयातीत् अनाज पर प्रति गाड़ी पीछे तीन पायली की दर से कर लगाया जाता था। इसको जमींदारी टैक्स कहा जाता था। आर्थिक आवश्यकतानुसार इन करों की दरों में समय-समय पर वृद्धि भी हुआ करती थी। इस प्रकार मराठा शासन काल में प्रचलित करों की विविधता और समय-समय पर उनमें वृद्धि करते रहने की बहुत खराब प्रवृति विद्यमान थी। इसके कारण उत्पादन और वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इतिहास प्रभाकर गद्रे ने लिखा है कि- **राजस्व के अतिरिक्त अन्य 35 कर लगाये जाते थे।** 7 राज्य के संकटकाल में राज्य की आय बढ़ाने के लिये अन्योन्य करों की सहायता ली जाती थी। अत: यह आभास होता है कि इस काल में करों की संख्या अधिक थी। प्रत्यक्ष अभिलेखों में 12 करों का उल्लेख प्राप्त होता है। अन्य कर भी हो सकते हैं।

टकसालें – मराठों ने सर्वप्रथम मण्डला में टकसाल लगाई। यह 1990 के पूर्व बालाजी खेर ने लगाई। इस टकसाल से बनने वाले रूपये का नाम बालाषाही था। नागपुर के भोंसलों ने विविध टकसालों को संगठित कर उसे एक रूप देने के लिये सभी टकसालें बंद कर जबलपुर में नई टकसाल प्रारंभ की। [8]

सिक्के और प्रचलित मापदर – 1818 ई. के पूर्व यहाँ धातुओं के सिक्कों का प्रचलन कम था इसलिये वस्तुओं का क्रय विक्रय कौड़ियों के माध्यम से होता था कौड़ियों का मान इस प्रकार था- **चार कौड़ी – 1 गंडा , पाँच गंडा – 1 कोरी , बीस कोरी – 1 दोगानी, सोलह दोगानी – 1 रूपया** धीरे-धीरे कौड़ियों का चलन समाप्त हो गया और मराठों ने नागपुर राज्य का रूपया जारी किया अनाज का प्रचलित माप-तौल इस प्रकार था। [22] **सकफोहाई- 4.9/16 छटाँक एक अथेलिया-2 कोहार्शएक, चौथिया- 2 अथेलिय, एक काठा – 4 चौथिया या 4 सेर 9 छटाँक, चार पायली – 1 काठा, बीस काठा- 1 खण्डी बीस खण्डी- 1 गाड़ा।** सूत, गुड़ और लाख आदि चीजें तौलकर बेची जाती थीं। इनकी तौल का निम्न मापदण्ड को अपनाया जाता था। **पाँच सेर- 1 पंसेरी, आठ पंसेरी- 1 मन** [9]

संचार व्यवस्था – भोंसला राज्य काल में भू-मार्गों तथा नदियों के द्वारा व्यापारिक एवं यात्री आवागमन होता था। राज्य में अनेक मार्ग थे। यात्रियों तथा व्यापारियों हेतु आवागमन के मार्ग स्पष्ट थे। मण्डला तथा जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जिनका उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, भोंसला राज्य की राजधानी नागपुर तथा रतनपुर राज्य से सीधा सम्पर्क था। पड़ोस के सागर भोपाल, रीवा आदि नगरों से भी सम्पर्क था। सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रीवा-नागपुर था जो गढ़ा मण्डला के भू-भाग थे होकर गुजरता था। फ्रांस का निवासी जिन लॉ प्रथम यूरोपीय प्रवासी था जिसने 1749 में इस मार्ग की यात्रा की थी उसने इस मार्ग को बहुत ऊँचा नीचा पथरीला और नदी नालों से भरा कंटकाकीर्ण बताया है। इसी मार्ग से लेकी कोलब्रुक तथा एगुंला वीरस्वामी ने भी प्रवास किया था। उन्होने इस मार्ग की अनेक सुख-सुविधाओं का वर्णन किया है जिससे मराठों का समाज कल्याणकारी कार्यों का पता चलता है। जिन लॉ ने जिल मार्गों की यात्रा की उनमे मिर्जापुर लालगंज कटरा काटकरी, लाउट रीवा अमरपाटण, बांदीपुर, तारेजारी, विजुरी, मोरोनारा (मुरवारा) वेलारी, विल्हेरी, कुआ, गोसलपुर, गढ़ा विपरीत दरोमा (धूमा) लखनादौन, छपारा, मोहगाँव, डोंगरताल, रामटेक, कामठी, नागपुर प्रमुख थे। [10]

18 वीं शताब्दी में आवागमन तथा व्यापार में वृद्धि हुई फलस्वरूप नवीन मार्ग खुले। इन्ही मार्गों से यात्री गंगा के थाले में जाने लगे। राज्य के विभिन्न सूबों के मंत्री तथा कुटनीतिज्ञ भी इन्हीं मार्गों से यात्रा करते थे। इनमें सागर, नागपुर, पुणे मार्ग प्रमुख था। इसी मार्ग से अंग्रेज से अंग्रेज कुटनीतिज्ञ थामस हेनरी, कोलब्रुक तथा लेकी नागपुर से मिर्जापुर गये जहाँ उनका स्थायी आवास था और इसी मार्ग से मद्रास उच्च न्यायालय का तमिल अनुवादक एंगुला वीरास्वामी हैदराबाद नागपुर, मण्डला जबलपुर मार्ग से मिर्जापुर गये। तथा त्रिस्थली यात्रा कर ओरिसा से मद्रास लौट गया।

डाक व्यवस्था – रेलवे तथा बस मार्गो के अभाव में पत्राचार हरकारों के माध्यम से होता था। वह हरकारे साबकारी डाक और सरकारी डाक लाते ले जाते थे। किसी को बुलाने के लिये भेजे हरकारे को **'मसाला जासूद'** कहते थे। जिसका व्यय प्राप्यक को देना पड़ता था। [11] इस प्रकार नागपुर के भोंसला राज्य की संचार व्यवस्था का अध्ययन करने पर पता चलता है कि आवागमन मुख्यत: भू-मार्गो पर आश्रित था। अधिकतर मार्ग सामाजिक एवं राजनीतिक उपयोग हेतु निर्मित किये गये थे। व्यापार एवं यात्री गमनागमन करने हेतु बहुत से अन्य मार्ग थे। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण मराठा शासनकाल में संचार साधनों का समुचित विकास न हो सका। वस्तुत: इन क्षेत्र में संचार क्रांति का सूत्रपात अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के पश्चात् हुआ।

पुलिस व्यवस्था – मराठा शासन काल में नियमित पुलिस व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केवल कोतवाली की नियुक्ति की जाती थी। अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी उस गांव के गौटिया पर रहती थी। मराठा शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने हेतु विशिष्ट अधिकारियों की व्यवस्था एवं नियुक्ति का भी उल्लेख मिलता है।

सूबेदार (मामलतदार) – मराठा राज्य को परगना, सरकार और सूबा में विभाजित किया गया था। शिवाजी के राज्यकाल में सूबे के अधिकारी को सूबेदार या मुख्य देशाधिकारी कहा जाता था। मामलतदार और कमाविसदार प्रांत में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने निर्धारित क्षेत्र में सैनिक, असैनिक व फौजदारी मामलों से संबंधित कार्यों को करता था। [12]

कमाविसदार – यह परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। उसे अपने क्षेत्र में सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी और माल सबंधी सभी अधिकार प्राप्त थे। कमाविसदार, सूबेदार के प्रति जिम्मेदार होते थे और उसके निर्देशानुसार ही अपने क्षेत्र में शासन करने के लिये बाध्य थे। कमाविसदार को अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना के साथ–साथ राजस्व की वसूली और सरकार के हितों की रक्षा का भी दायित्व वहन करना पड़ता था। [13] कमाविसदार द्वारा मराठा शासन को प्रत्येक देहात की राजस्व की स्थिति राजस्व के साधन और प्रमुख कास्तकारों की जानकारी मिलती थी। कमाविसदार अपने कार्य क्षेत्रों में (परगनो) में दौरा करते और उपयुक्त स्थानों में जकात के लिये चौकी स्थापना करते थे, इस तरह इस क्षितिज में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मराठा नौकरशाही का विस्तार हुआ।

फड़नवीस –फड़नवीस का कार्य आय और व्यय का हिसाब रखता था। उसका एक सहायक होता था, जिसे नायब फड़नवीस कहते थे।

बड़कर –बड़कर को कमाविसदार के पास परगने की सामान्य स्थिति, फसल की दशा एवं अन्य मामलों की सूचना भेजनी पड़ती थी।

मराठा शासन के अधिकरियों में से कुछ को निश्चित वेतन और कुछ को भत्ता दिया जाता था। अन्य साधनों द्वारा भी उसको कुछ आय हो जाती थी। किसी भी अधिकारी का पद वंशनुगत न था और वह उस समय तक पद पर बना रह सकता था जब तक उसे राजा की कृपा प्राप्त रहती थी।

पटेल – पटेलों की नियुक्ति इस क्षेत्र में मराठा शासन की देन है। भूमिकर के निर्धाकरण एवं उसकी वसूली में पटेल सरकार को सहयोग देता था। इसके बदले में उसे निश्चित वेतन प्राप्त होता था तथा राजस्व के रूप में सरकार को पटाई जाने वाली राषि पर प्रति रूपये एक आना की दर से वह लाभांश पाता था। कभी–कभी उसे कुल जमा होने राषि से अधिकतम सत्रह प्रतिषत लाभांश मिलता था। [14]

न्याय व्यवस्था– मराठा शसन प्रणाली में न्याय व्यवस्था से संबंधित किसी विशिष्ट पद का उल्लेख नहीं मिलता है। सामान्य तौर पर इस कार्य का निर्वहन गौटिया, पटेल या सूबेदार के द्वारा किया जाता था। इनके न्याय करने व निर्णय देने के तरीके की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। सूबेदार को मृत्युदण्ड देने का अधिकार था। तात्कालीन न्याय व्यवस्था में यह भी देखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अंतिम निर्णय का अधिकार राजा के पास था। [15]

पंचायत व्यवस्था– मध्य प्रांत में पंचायतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की प्राचीन परम्परा रही है। मराठा शासन में भी ये पंचायतें बनी रहीं, यद्यपि इनके गठन और स्वरूप में समय–समय पर परिवर्तन होते रहे। गाँवों में गोंटिया किसानों के आपसी विवादों को तय करने के लिये पंचायतों का आयोजन करवाता था। कभी–कभी कमविसदार व अन्य उच्चाधिकारी भी पंचायतों के माध्यम से मामलों को निपटाने का आदेश देते थे। जनता द्वारा पंचायत की माँग को गाँव का गोंटिया अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उच्चाधिकारियों का भय रहता था। पंचायतों का आयोजन व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर होता था। विशेषकर उसका आयोजन शासकीय हस्तक्षेप से दूर रहने के लिये किया जाता था। पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सामान्य मताधिकार के अनुसार किया जाता था। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी, निष्ठा स्वयं कार्य कुशलता के लिये प्रसिद्ध होता था, पंचायत का स्थायी सदस्य बना लिया जाता था। वह व्यक्ति समाज में असीम सम्मान पाता था। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे, जो विशेष सम्मान प्राप्त करने के लिये पंचायत के कार्यो में योगदान देते रहते थे। इसके सदस्य अवैतनिक हुआ करते थे। पंचायतों के संचालन में **'पंजियों'** का विशेष महत्व होता था, परंतु मराठों (भोंसलों) ने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया था। पंचायतों के निर्णय को लोग ईश्वर का निर्णय मानकर स्वीकार करते थे। एगन्यू के अनुसार पंचायतों के निर्णय आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। पंचायतों द्वारा किये गये निर्णय जन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जनता को सम्पन्नता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते थे, हालाकि इन निर्णयों में तार्किक दृष्टिकोण और व्यवस्था का अभाव परिलक्षित होता था। मि. एनफिल्टन भी पंचायतों के कार्यो से बहुत प्रभावित हुये थे। वे लिखते हैं कि पंचायतों का निर्णय स्पष्ट और निष्पक्ष होता था। इससे गरीबों को बहुत लाभ होता था। वे अनावश्यक मुकद्मेबाजी की लम्बी प्रक्रिया से मुक्त हो जाते थे। [16]

सैनिक व्यवस्था– हैह्यवंशी शासकों को पराजित करने के बाद मराठा शासक एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए पर उनके विरूद्ध अराजकता एवं अशांति को रोकने तथा आंतरिक शांति एवं बाह्य आक्रमणकारियों से क्षेत्र को बचाने हेतु मराठा शासकों की स्वयं की एक सैन्य व्यवस्था को अपनाया था। जिसमें मराठों के अलावा बाह्य व्यक्तियों को शामिल किया गया था। इस प्रकार बैतूल जिले का अधिकांश भू–भाग जागीरों में विभक्त था। सभी जागीरें जनजाति बाहुल्य एवं वनाच्छादित थी। जागीर की देखभाल की जिम्मेदारी जागीरदार पर होती थी जागीर–क्षेत्र में शांति, सुव्यवस्था और सुरक्षा हेतु जागीरदार प्राय: छोटी–छोटी सेनायें एवं पुलिस रखते थे। मध्यकाल तक जिले की सभी जागीरें देवगढ़ के गोंड शासकों के अधीन थी तथा उन्हें कर दिया करती थी। 1854 में बैतूल जिले पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात् जागीरों पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया उनकी नई सनदें जारी की गई। कु–प्रबंध के कारण कुछ जागीरें कोर्ट ऑफ वार्डस भी हुईं। 1947 तक जागीरों पर ब्रिटिश प्रभुत्व बना रहा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् लगभग सभी जागीरों का अस्तित्व समाप्त हो गया।

निष्कर्षत: मराठा (भोंसला) प्रशासन एवं व्यवस्था का अध्ययन करने पर ज्ञात है कि वह मध्यकालीन ढाँचे पर आश्रित थीं। इस काल में भू–राजस्व की कोई उचित व्यवस्था नही थीं। वस्तुत: वह पटेल अथवा गाँव के मुखिया पर निर्भर थी। जागीरदारी प्रथा यथावत् बनी रही। प्रशासन में गतिशीलता लाने के लिये भोंसलों ने अनेक पदों का सृजन किया। किन्तु प्रशासन में नवीनता का अभाव बना रहा। सूबेदार तथा कमाविसदार राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी थे। जिन्हें असीमित अधिकार प्रदान किये गये थे। उनके मनमाने शासन से राज्य की जनता अत्यधिक पीड़ित थीं। संचार के क्षेत्र में भी कोई उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित नहीं होते। सभी सड़क मार्ग पुराने ही थे। कुछ नवीन मार्ग अवष्य ही बनाये गये थे जो सामरिक तथा राजनैतिक दृष्टि से उपयोगी माने जा सकते हैं। जनसमान्य हेतु यातायात मुख्यत: प्राचीन मार्गों से ही संचालित होता रहा। संसाधनों के अभावों में नागरिक सुरक्षा भी नाममात्र की थी। गाँव में पुलिस के अभाव में नागरिकों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती थी। मराठा न्याय व्यवस्था भेदभावपूर्ण थी जो जाति और वर्ण पर आधारित थी। पुरातन पंचायत व्यवस्था को बनाये रखना भोंसला प्रशासन का वास्तव में एक सराहनीय कार्य था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रघोजी भोंसले– जन्म सन् 1668। जन्म स्थान–सतारा जिले का पांडववाड़ी ग्राम, विशेष मल्हार राव कृत 'राजाराम चरित्र' पृ. 37–

38, सतारा के राजा द्वारा मराठा सरदारों को सनद के रूप में दिये जाने वाले भू-भाग पर राज्य करने को ही मुलकगिरी कहा जाता था।
2. सरदेसाई, सखाराम; मराठों का नवीन इतिहास तृतीय खण्ड, पृ. 510
3. जेनकिन्स रिपोर्ट, खण्ड 1, पृ. 95
4. गद्रे, डॉ. प्रभाकर; मराठा आधिपत्य में गढ़ा मण्डला 2007, पृ. 147
5. जेनकिन्स रिपोर्ट, वही
6. वही
7. वर्मा, भगवान सिंह; छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारम्भ सन् 2008, पृ. 65
8. गद्रे, डॉ. प्रभाकर; वही, पृ. 150
9. वही, पृ. 157
10. हेविट सेटलमेन्ट रिपोर्ट, पृ. 57
11. वही
12. सेन, सुरेन्द्रनाथ; एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दि मराठाज, पृ. 252
13. एगन्यू रिपोर्ट, पृ. 11
14. गद्रे, डॉ. प्रभाकर; मराठा आधिपत्य में गढ़ा मण्डला 2007, पृ. 150
15. वही
16. माहेश्वरी, आर.जी.; शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ 1955, विविध खण्ड ,पृ. 84

****

महात्मा गाँधी की हरिजन यात्रा और उसका प्रभाव (बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संतोष उसरेठे *

शोध सारांश – गाँधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को अपूर्व दृढ़ता के साथ संचालित किया अपितु देश के सर्वतोंमुखी सुधार और उद्धार के लिये रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाये जो देश की सामाजिक स्वतंत्रता के लिये आवश्यक थे। गाँधीजी ने सामाजिक विषमता के शिकार अछूतों को केवल समानता का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष ही नहीं आरंभ किया बल्कि युग-युग से निराश, दीन, दलित, असहाय अछूतों के बीच रहकर और उनके लिये निरंतर कार्य करते हुये देश की चिरदलित, शोषित और तिरस्कृत हरिजनों में नये जीवन का संचार भी किया। उन्होंने हरिजनोउद्धार के लिये झोली फैला कर चंदा इकट्ठा किया, उनके बीच रहे और उनके जैसे काम किये।

शब्द कुंजी – हरिजनोद्धार ।

प्रस्तावना – सविनय अवज्ञा आंदोलन की षिथिलता से 1932 तथा 1933 में कांग्रेसियों का ध्यान अब शासन विरोधी आंदोलन से हटकर पिछडे वर्गो के उत्थान की ओर आर्कषित हो रहा था। यह एक नया आंदोलन था जिसका स्वरूप विध्वंसात्मक न होकर रचनात्मक था तथा इसके माध्यम से कांग्रेस को यह दावा करने का भी अवसर मिल सकता था कि वह समाज के किसी वर्ग विशेष का नही अपितु, सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय स्तर पर हरिजन उद्धार के इस नये कार्यक्रम के जनक महात्मा गाँधी थे, जिन्होंने इसे लागू किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्यूनल अवार्ड के फलस्वरूप हिन्दू समाज के एक बहुत बडे वर्ग पिछडे वर्ग के पृथक हो जाने की प्रबल संभावनाएँ उत्पन्न हो गई थीं। अत: गाँधीजी के लिये जो कि भारत की एकता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस दिशा में रचनात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया था।

महात्मा गांधी ने 07 नवम्बर 1933 को वर्धा, जहाँ साबरमती छोड़ने के बाद उन्होंने सेवाग्राम की स्थापना की थी, से ऐतिहासिक हरिजन दौरा प्रारंभ हुआ। यह दौरा मध्यप्रदेश के लिये विशेष महत्व रखता है। क्योंकि इसके अंतर्गत वे राज्य के सुदूर छोटे-मोटे गाँवों में गये और राज्य की जनता तक हरिजनोंद्धार का मूल्यवान सारगर्भित संदेश प्रसारित किया। उस समय राज्य की जनता ने उनका भव्य तथा हार्दिक स्वागत किया। इससे गाँधीजी बहुत प्रभावित हुये और सागर के निकट अनंतपुरा ग्राम के संबंध में तो उन्होंने '**हरिजन**' में एक लंबा लेख ही लिख डाला। मध्यप्रदेश के अनंतपुरा ग्राम को यह सौभाग्य प्राप्त है कि बापू ने वहाँ साधारण झोपड़ी में रात्रि व्यतीत की और झोपड़ी दर झोपड़ी जाकर ग्रामवासियों से उनके जीवन यापन व सुखदुख की जानकारी ली।

इस दौरे की दो और विशेष बात रहीं जिनकी जानकारी आगे के विवरण को समझाने में सहायक हो सकती है। एक तो यह कि इस दौरे में गाँधीजी हरिजनों के लिये जो कोष एकत्रित कर रहे थे। उसमें सारे देश के समान राज्य की जनता ने भी मुक्त-हस्त से दान दिया। गाँधीजी के हाथ पसारने भर की देर थी कि जिसके पास जो कुछ था वह लेकर उनके हाथ पर रखने के लिये दौड़ पड़ा। स्त्रियों ने अपने सबसे प्रिय आभूषण उतार कर उनके हाथ में रख दिये। निर्धनों के पास जो कुछ था वहीं उन्होंने गाँधीजी को दे दिया और अनेक अवसर पर उन्होंने इन चीजों को नीलाम कर धन एकत्रित किया। दूसरी बात यह थी कि छुआछूत के विरूद्ध गाँधीजी ने जो आंदोलन छेड़ा था। उसका सनातनी लोग विरोध कर रहे थे और उन्होंने कुछ लोगों को गाँधीजी के पीछे लगा रखा था। गाँधीजी ने इन्हें हर तरह से समझाने बुझाने का प्रयास किया। एकाध स्थान पर उन्हें अपने साथ मंच पर बोलने का अवसर भी दिया किन्तु शीध्र ही यह स्पष्ट हो गया कि जनमत सनातनी लोगों के साथ नहीं है। आखिर कुछ स्थानों के बाद ये लोग स्वयं ही निराश होकर लौट गये। [2]

नवम्बर 1933, को गाँधीजी ने वर्धा के सेवाग्राम आश्रम दस महीने की अपनी ऐतिहासिक हरिजन यात्रा का प्रारंभ किया। [3] गाँधीजी का यह दौरा मध्यप्रदेश के लिये भी अपना अनूठा महत्व रखता है क्योंकि इस यात्रा के दौरान वे प्रदेश के विभिन्न अंचलों तथा विभिन्न प्रमुख नगरों में गये और क्षेत्र की आम जनता तक उन्होंने अपना हरिजनोद्धार का संदेश पहुँचाया और इस कार्य में अपना यथा संभव योगदान देने की अपील की। [4]

बैतूल आगमन – छिन्दवाड़ा से चलकर गाँधीजी 29 नवम्बर 1933 को बैतूल पहुँचे। [53] रास्ते में खैरपानी और मुलताई में भी कुछ समय के लिये रूके। मुलताई में श्री शंकर धर्माधिकारी के सभापतित्व में गौशाला में एक सभा हुई। जिसमें लगभग दस हजार जनता उपस्थित थी। स्वागताध्यक्ष श्री केदारनाथ ने उन्हें मुलताई तहसील की ओर से 202 रूपये की थैंली भेंट की। तहसीलवासियों ने गाँधीजी को मानपत्र भी दिया जो रजतपत्र में रखा गया था। [54] इस सभा का नियंत्रण श्री बिहारीलाल पटेल की धर्मपत्नि ने बहुत चतुराई से किया जिससे गाँधीजी को प्रसन्नता हुई।

तदुपरान्त लगभग साढे आठ बजे रात्रि को गाँधीजी बैतूल पहुँचे, जहाँ कड़कड़ाती सर्दी की परवाह न करते हुये भी हजारों नर-नारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रात्रि विश्राम के पश्चात् 30 नवम्बर को प्रात:काल गाँधीजी खेड़ी और बारासिंगा आश्रम पहुँचे जहाँ प्रसिद्ध अंग्रेज महिला मिस. मेरी गाँधीजी के परामर्श पर एक गोंड़ बालिका के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। इस यात्रा में गाँधीजी के साथ श्री दीपचन्द गोठी तथा ब्यौहार राजेन्द्र सिंह भी थे। [55]

सतपुड़ा के नैसैर्गिक सौंदर्य की गोद में – खेड़ी गाँव पहुँच कर गाँधीजी

*अतिथि विद्वान (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, अमरवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

मिस.मैरी से मिले। गाँव में सभा भी हुई। यहाँ के महंत श्री रंगराव जी ने बताया कि यहाँ के सभी मंदिर हरिजनों के लिये खुले हैं जिससे बापू को बड़ी प्रसन्नता हुई। मिस मैरी बार को साथ लेकर गाँधीजी कुछ दूरी पर स्थित श्री डंकन के आश्रम की ओर रवाना हुये। श्री डंकन मद्रास के थियोसाफिकल कॉलेज के प्रिसिंपल थे और वे एक वर्ष तक सतपुड़ा के जंगलों में रहे थे। रास्ते में मिस.मैरी से गोंडों के जीवन के संबंध में गाँधीजी ने अनेक बातें कीं। श्री डंकन के आश्रम में पहुँचे कर गाँधीजी एक टीले पर उस मंदिर को देखने पहुँचे जो हरिजनों के लिये खोल दिया गया था। उन्हें एक कुर्सी पर बैठाकर ऊपर ले जाया गया था। सामने ही कल-कल करती ताप्ती नदी बह रही थी और सतपुड़ा की सघन वनराषि अपना संपूर्ण वैभव पसारे खड़ी थी। बापू इस दृष्य को देखकर अभिभूत हो गये और कुछ समय के लिये ध्यानावस्थित हो गये। इसके बाद गहरी सांस लेकर बोले - **'मुझे समय मिलता तो कुछ दिन तक ऐसे स्थान पर अवश्य रहता लेकिन मेरे भाग्य में यह सब नहीं है।'** इसके बाद श्री डंकन से उन्होंने प्रस्तावित आश्रम की रूपरेखा पर विचार विनिमय किया और उन्हें साथ लेकर लगभग 9 बजे बैतूल लौट आये।[56] इस यात्रा में गाँधीजी ने हरिजन मोहल्लों का निरीक्षण भी किया। जहाँ भी वे जाते हरिजनों से बात करते और उन्हें गीता की प्रतियाँ बाँटते।[57] उन्होंने सेठ लक्ष्मीचंद जी का बगीचा भी देखा। तत्पश्चात् सार्वजनिक सभा में भाषण देने के लिये गाँधीजी चौक पहुँचे जहाँ एक सुंदर मण्डप बनाया गया था। गाँधीजी का भाषण सुनने के लिये पन्द्रह से बीस हजार की संख्या में नर-नारी उपस्थित थे। गाँधी चौक पहुँचने के सारे रास्ते लगभग बंद हो गये थे। आसपास के मकानों की छत भी खचाखच भरी थी और सबकी आंखे युग-पुरूष के दर्शनलाभ को आकुल थी। ठीक एक बजे महात्माजी साथियों समेत मोटर से उतरे और मंच पर विद्युत की तरह चमक उठे। सभा की अध्यक्षता श्री दीपचन्द गोठी ने की।[58] श्री.के.एम.धर्माधिकारी जी ने जिले की ओर से महात्माजी को 401 रू. की थैली भेंट की।[59] इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्री रामदयाल खण्डेलवाल ने मानपत्र पढ़ा।

'मेरी चीज मुझे' - मानपत्र पढ़ते समय वे इतने भाव-विभोर हो उठे कि पढ़ने के बाद उसे गाँधीजी को समर्पित करने का ध्यान ही न रहा। गाँधीजी को इस पर बड़ी हँसी आई और उन्होंने कहा - 'भाई मेरी चीज मुझे दो, कहाँ लिये जाते हो'। अध्यक्ष महोदय ने शरमाते हुये मानपत्र उन्हें समर्पित कर दिया।[60] इसके बाद जिला काउन्सिल के अध्यक्ष श्री बाबूलाल ने भी मानपत्र समर्पित किया। तब गाँधीजी का व्याख्यान आरंभ हुआ जिसे श्री रामनाथ सुमन ने अपनी बुलंद आवाज में दुहराया।

गाँधीजी ने कहना शुरू किया -'**मेरे पास अभी एक पर्चा आया है वह यह है। इसमें शिवप्रसाद जी ने लिखा है कि ब्राम्हाण के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उदर से और शूद पैरों से उत्पन्न है। इसलिये ये सभी एक नही कहे जा सकते। फिर भी मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि पैरों को काट डालने से जैसे शरीर के प्रत्येक अंग को हानि होगी। आज वही हानि हिन्दू समाज को अस्पृष्य जातियों को दूर करने से होंगी। इसलिये अब अस्पृष्यता का अंत कर देना चाहिये।**'

इसके बाद गाँधीजी ने कहा कि मेरे पास अब सिर्फ अठ्ारह मिनट शेष रहे हैं और इसी बीच मुझे अपना सौदा करना है। आशा है आप लोग ठीक-ठीक बोली लगायेंगे। ढ़ाई बज चुका था इसलिये शीघ्रता से सब काम निपटाया गया। **'महात्मा गाँधीजी की जय'** के नारों से वातावरण गूँज उठा। बापू को स्टेशन तक विदा करने के लिये हजारों नागरिक आये थे। गंज पर गुजराती मण्डल की ओर से श्री प्रेमशंकर भाई ने थैली भेंट की।[61]

निष्कर्षत: गाँधीजी ने मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा किया, जिसमें हरिजनों के लिये धनराशि एकत्रित करना एवं अस्पृष्यता निवारण उनका मुख्य उद्देश्य था। 1933 में एक सभा हुई जिसमें 30 हजार स्पृष्य-अस्पृष्य स्त्री-पुरूष सम्मिलित हुये। मंदिर में प्रवेश, सनातनियों को करारा जवाब देना और अस्पृष्यों का सर्वांगीण विकास के लिये समाज को तैयार करना सभाओं का उद्देश्य था।

अस्पृष्यता निवारण हेतु अशासकीय एवं शासकीय घोषाणायें अस्पृष्य आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अस्पृष्यता को समाप्त करना मात्र नहीं था बल्कि इस वर्ग के लोगों में शिक्षा, जागृति, अधिकार एवं समाज में सम्मानीय स्थान प्रदान करना था। अत: उनके आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य अस्पृष्यों की स्थिति में परिवर्तन करना आवश्यक था। मंदिर में प्रवेश निषेध, स्कूलों में बरामदों में पृथक रूप से बैठना तथा सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी भरने की मनाही जैसी कलंकित परम्पराओं को समाप्त करना था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सक्सेना, सुधीर; ऐसे आये गाँधीजी, पृ.क्र. 53
2. मध्यप्रदेश और गाँधीजी, गाँधी शताब्दी समारोह समिति के लिये सूचना प्रसारण संचालनालय द्वारा प्रकाशित 1969, पृ.क्र. 26-28
3. मिश्र, डी.पी.; मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, पृ.क्र. 407
4. फोर्टनाइटली रिपोर्ट इन सी.पी. एण्ड बरार, फाइल क्रमांक 3/23/1933, पृ.क्र. 22
5. अग्रवाल, लोकेश; गाँधीजी का मध्यप्रदेश का हरिजन दौरा लेख, म.प्र. संदेश, वर्ष 9 अंक 6/10 अक्टूबर 1933
6. श्रीवास्तव, पी.एन.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट 1971, पृ.क्र. 68
7. मध्यप्रदेश और गाँधीजी, वही, पृ.क्र. 34
8. सक्सेना, सुधीर;ऐसे आये गाँधीजी, पृ.क्र. 69
9. श्रीवास्तव, पी.एन.; वही,
10. मध्यप्रदेश और गाँधीजी, वही, पृ.क्र. 34
11. ब्यौहार,राजेन्द्र सिंह; मध्यप्रदेश में बापू का प्रवास, म.प्र. संदेश 4 अक्टूबर1969, पृ.क्र.6
12. मध्यप्रदेश संदेश, वर्ष 102 अंक, 10 अक्टूबर 2006, पृ.क्र. 55

****

राष्ट्रीय समविकास योजना का मध्यप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रो पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. अजय वाघे *

प्रस्तावना – स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, ताकि देश के सभी पिछड़े हुए राज्यों में विकास योजनाएँ क्रियान्वित कर इन क्षेत्रो का आर्थिक भौगोलिक विकास किया जा सके। इसके द्वारा सरकार द्वारा राष्ट्र में कई योजनाए जैसे स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वास्थ बीमा योजना इत्यादि आदी लागू कर कई भागों का विकास करने का प्रयास किया गया।

सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी देश मे कई राज्यों में पिछड़ेपन की समस्याओं का सम्पूर्ण निदान संभव नही हो पाया है। इस समस्या के लिये सरकार के साथ-साथ देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियॉ भी उत्तरदायी है। अत: इसी बिन्दू को ध्यान में रखकर देश के पिछड़े हुए राज्यों में सर्वांगिण विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों में इन राज्यों 'राष्ट्रीय समविकास योजना' वर्ष 2004 से लागू कर इन क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना हेतु देश मे लगभग 48 राज्यो का चयन किया गया।

मध्यप्रदेश में यह योजना 10 जिलों में क्रमश: खरगोन, बड़वानी, सीधी, सीवनी, मण्डला, बालाघाट, उमरीया, सतना, डिण्डोरी और शहडोल इत्यादि जिलों में लागू किया गया है। 'राष्ट्रीय समविकास योजना' केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से मध्यप्रदेश के पिछड़े हुए जिलों के विकास हेतु लागू की गई है। इस योजना के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा पिछड़े जिलों की संबन्धित जिला पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सामान्यत: यह देखा गया है कि सरकार द्वारा बड़े लक्ष्यों एवं ऊँचे आदर्शो को प्राप्त करने के लिए योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, परन्तु समय-समय पर परीक्षण, अवलोकन तथा मूल्यांकन के अभाव में योजना की सार्थकता का सही ज्ञान नहीं हो पाता हैं। अत: समय-समय पर योजना का निष्पक्ष मूलयांकन एवं विश्लेषण अपेक्षित है। प्रस्तुत शोध से योजना के क्रियान्वयन की प्रगति, जिला पंचायतों के योगदान की स्थिति व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योजना की सार्थकता स्पष्ट होगी तथा इनके क्रियान्वयन में आने वाली कठनाईयों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठनाईयों को दूर करने के लिए शोध अध्ययन में आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए गये जो की योजना के निर्माता, अर्थशास्त्री, प्रशासकीय अधिकारियों, समाजसेवी संस्थाओं तथा नीति-निर्माताओं आदि को भविष्य में विकास योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। इससे समाज के विभिन्न वर्गो को योजना की प्रगती का ज्ञान हो सकेगा तथा साथ ही इससे नये शोधार्थी भी लाभान्वित होगे। इस प्रकार प्रस्तुत शोध सभी क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगा।

शोध अध्ययन का चयन – यद्यपि यह सर्वविदित है कि भारत एक विकासशील, कृषि प्रधान और गाँवो का देश है। इस देश की लगभग 75 प्रतिशत जनता आज भी गॉव में निवास करती है। इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य भी कृषिप्रधान राज्य है जिसके कई जिले आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए है। इन पिछड़े जिलों के विकास तथा गरिबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के जीवन स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के इन जिलों में 'राष्ट्रीय समविकास योजना' संचालित की गई है। वास्तव में योजना निर्धारित उद्देश्यों को पूरी करने में सफल रही है तथा असफल, दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं इसके लिये जिला पंचायतो के द्वारा इस योजना के अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों का एक सीमा तक निर्वहन किया गया। 'राष्ट्रीय समविकास योजना' विकास की दृष्टि से पिछड़े जिलों का विकास करने मे सफल रही है, यह शोध का विषय है। शोधार्थी की यह जिज्ञासा रही है कि मध्यप्रदेश में योजना हेतु चयनित 10 पिछड़े हुए जिलों में जिला पंचायत में योजना के क्रियान्वयन में जो योगदान दिया है। इसके लिये शोधार्थी की यह जिज्ञासा रही है कि मध्यप्रदेश में योजना हेतु चयनित 10 पिछड़े हुए जिलों में जिला पंचायतो ने योजना के क्रियान्वयन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिये शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के रूप में 'मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय समविकास योजना का लागत लाभ विश्लेषण वर्ष 2004-10' विषय का शोध अध्ययन हेतु चयन किया गया। जिसके लिये शोधार्थी द्वारा शासन की विभिन्न योजना को अनुपातिक विभाजन के रूप में अध्ययन को केन्द्रित किया गया है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य – शोध अध्ययन के लिये कुछ निर्दिष्ट उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य के बगैर अध्ययन की पूर्णता आधुरी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में संचालित 'राष्ट्रीय समविकास योजना' का लागत-लाभ विश्लेषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछ सहायक उद्देश्य भी निर्धारित किये गये है जो निम्नानुसार है –

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारो की आर्थिक स्थिति का पता लगाना।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) विद्योदय महाविद्यालय, मनावर (म.प्र.) भारत

2. योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रो के परिवारों को मिला हैं इसका अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना – प्रस्तुत शोध समस्या के संबंध में शोधार्थी की अपनी पूर्व परिकल्पनाए रहीं है जिनका सत्यापन शोध अध्ययन के आधार से करने का प्रयास किया गया। परिकल्पना के अभाव में न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न ही कोई वैज्ञानिक विधि से कोई अनुसंधान संभव है। वास्तव में परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया हैं क्योंकि परिकल्पना ही शोधार्थी का मार्गदर्शन करती है, कि जिन तथ्यों तथा सूचना को अध्ययन में शामिल किया गया है उसकी सार्थकता का पता लगाया जाता है अत: दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध ने अग्रलिखित परिकल्पनाए निर्मित की है –

1. इस योजना का लाभ ग्रामीण व पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राप्त हुआ है।
2. शासन द्वारा स्वीकृत राशि इस योजना पर पूर्ण रूप से व्यय की गई है।

शोध अध्ययन की विधि – वर्तमान शोध अध्ययन में निदर्शन पद्धति के आधार पर संकलित प्राथमिक व द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है। प्राथमिक समंको को संकलित करने के लिये मध्य-प्रदेश में पिछड़े हुए प्रत्येक जिले के 50-50 पात्र परिवार, का साक्षात्कार प्रश्नावली के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया गया। शोध अध्ययन हेतु समंको का संकलन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्य-प्रदेश के जनपद पंचायतो तथा कर्मचारियों से प्रत्यक्ष वार्तालाप व साक्षात्कार प्रश्नावली के आधार पर किया गया है।

योजना का पिछड़े क्षेत्रो पर प्रभाव – मानव विकास के संकेतक जैसे साक्षरता एवं शिक्षा और मातृ व शिशु मृत्यु दर सतत सुधार दर्शाते हैं लेकिन वे यह भी दर्शाते हैं कि प्रगति धीमी है और हम एशिया में अन्य अनेक देशों से लगातार पिछड़े हैं। जबकि साक्षारता दर जो वर्ष 1951 में 18.3 प्रतिशत थी बढ़कर वर्ष 2001 में 64.8 प्रतिशत हो गई है। अभी भी अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 304 मिलियन से अधिक है। जिससे भारत विश्व में सर्वाधिक अशिक्षित की संख्या वाला देश हो गया है। जीवन-प्रत्याशा दर वर्ष 1951 में 18.3 प्रतिशत थी बढ़कर वर्ष 2001 में 64.8 प्रतिशत हो गई है। अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 304 मिलियन से अधिक है।

भारत विश्व में सर्वाधिक अशिक्षितों की संख्या वाला देश माना गया गया है। जीवन-प्रत्याशा दर वर्ष 1951 की तुलना में लगभग 32 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2001-06 की अवधि में पुरूषों के लिए 63.9 वर्ष व महिलाओं के लिए 66.9 वर्ष हुई है। यह औद्योगीकृत देशों ने यह 80 वर्ष है, और चीन, जहाँ यह 72 वर्ष है, की तुलना में काफी नीचे है। यद्यपि औद्योगीकृत देशों के समान भारतीय महिलाओं की जीवन-प्रत्याशा दर भारतीय पुरूषों से उच्च है, फिर भी भारत में प्रत्येक 1000 पुरूषों पर केवल 933 महिलाओं का प्रतिकूल लिंगानुपात है। सबसे सोचनीय है कि बाल लिंगानुपात (0-6 आयुवर्ग में) जो 1981 में 962 था, वह तेजी से गिरकर 2001 में 927 रह गया है। भारत में मातृ व बाल मृत्यु दरें पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में काफी अधिक हैं, जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच को दर्शाती है।

नौवीं योजना से लेकर अब तक कृषि क्षेत्र की वृद्धि काफी धीमी रही है, जिससे ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर गहराया है और इससे ग्रामीण क्षेत्र के कुछ इलाकों में बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ है। यद्यपि वर्ष 2004 के बाद बीते कुछ सालों में कृषिगत विकास में कुछ बदलाव दिखा है। अर्थव्यवस्थागत कुल रोजगार में तेज बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन श्रमबल इससे भी तेजी से बढ़ा है, जिससे बेरोजगार दर भी बढ़ गई है। संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार घटा है,यद्यपि इस क्षेत्र की फर्में अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। जिससे आर्थिक विकास का क्षेत्रीय संतुलित नहीं हुआ है और कई अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर आवश्यक सामाजिक सेवाओं का प्रदाय अपर्याप्त है। यह असमान विकास का एक प्रमुख कारण है। यदि केवल सेवा-प्रदाय प्रणाली को सुधार लिया जाए तो अर्थव्यवस्था के वर्तमान ढांचे के भीतर ही मानव विकास के और उच्चतर स्तर प्राप्त किए जा सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। जिन पर अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तथापि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर गरीबी, अज्ञान, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। 11वीं योजना,दसवीं योजना में हासिल उपलब्धियों को और सबल बनाने और दर्शित खामियों को सुधारने के लिए निर्णयात्मक रूप से काम करने का अवसर प्रदान करती है।

राष्ट्रीय समविकास योजना की इस व्यापक संकल्पना में अनेक अंत: संबंधित संघटक शामिल हैं, तथा तेजी से वृद्धि जिसमें गरीबी में कमी आए और रोजगार के अवसर सृजित हो सके। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सेवाएँ प्राप्त होने में सुविधा मिल सके। विशेष रूप से गरीबों के लिए, शिक्षा के माध्यम से अवसरों और अधिकारिता में समानता, दक्षता उन्नयन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी पर आधारित रोजगार गारंटी, पर्यावरणिक स्थायित्व महिलाओं की एजेंसियों को मान्यता और बेहतर प्रशासन इत्यादि सम्मिलित है।

क्षेत्र के विकास पर प्रभाव – राष्ट्रीय सम विकास योजना को समान स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों में लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की संभावना किंचित सीमित होती है, तीव्रतम विकास, राष्ट्रीय समविकास योजना में परिकल्पित है, जो ग्रामीण जनता का शहरी केन्द्रों में अधिक तेजी से पलायन किए जाने की संभावना को कम करता है। पहला, मौजूदा आधारभूत संरचना की गुणवत्ता को बड़ी संख्या में लोगों को संशोधित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उन्नत बनाया जाता है और दूसरा परिवेश उपनगरीय नगर क्षेत्रों को जनता के अंतर्वाह को कम करने तथा पुन: संवितरित करने के लिए सेट लाइट काउण्टर मैग्नेट के रूप में विकसित किया गया है।

भारत कम शहरीकृत नही है, अपितु शहरी आधारभूत संरचना की स्थिति, विशेष रूप से पानी एवं गन्दे पानी की निकासी की सुविधाओं की उपलब्धता, से काफी निम्नतर है। शहरी यातायात मूलभूत संरचना को भी अत्यधिक दुरस्त किया जाना आवश्यक है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जिसे दसवीं योजना में शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से उत्पादनकारी कार्यक्रम, न्यायसंगत शहरों को सृजित करना है और इसका केन्द्र बिन्दु निम्न पर है-

1. शहरों की आर्थिक एवं सामाजिक मूलभूत संरचना में सुधार करना तथा उसे बढ़ावा देना।
2. शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए आधारभूत सेवाएं सुनिश्चित करना जिसमें वहनीय दरों पर सुरक्षा अवधि शामिल है।

3. शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के उन सुधारों को आरंभ करना जिनका प्राथमिक उद्देश्य उन कानूनी, संस्थानिक एवं वित्तीय बाध्यताओं को दूर करना है जिनसे शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाओं में निवेश बाधित हुआ है।
4. नगरीय शासन को सुदृढ़ करना तथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अनुसरण में उनकी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करना।

सुझाव – राष्ट्रीय सम विकास योजना के लक्ष्य के अनुरूप, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े भागों में अवसंरचनागत विकास के व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। अवसंरचना क्षेत्र, जिसमें विद्युत, सड़क, पुल, रेल, पत्तन, विमानपत्तन, दूरसंचार, संचाई, पेयजल और स्वच्छता, भंडारण क्षेत्रक शामिल हैं। इस हेतु बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य व शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रकों से तथा निर्धनों के लिए आजीविका सहायता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक संसाधनों की भारी माँग है। अत: राष्ट्रीय सम विकास योजना में अवसरंचना विकास की एक ऐसी रणनीति का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें संयुक्त प्रयास से वृद्धि पर जोर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल ए.एन., भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप विकास पब्लिशिंग समस्या एवं विकास हाउस नईदिल्ली 2002
2. चौधरी सी.एम., ग्रामीण विकास एक अध्ययन सवलाइस पब्लिकेशंस जयपुर-2005
3. दुबे एस.एन., आर्थिक विकास एवं नियोजन सुमित पब्लि. जबलपुर वर्ष 1998

****

वैदिक साहित्य में सामाजिक चेतना

डॉ. लज्जा शुक्ला *

प्रस्तावना – संस्कृत भाषा में साहित्य का आविर्भाव वेदों से हुआ है क्योंकि वेद ही हमारी चिन्तनधारा के कोश है। वेदों में हमारे ऋषियों ने मानव जीवन के विविध पहलुओं की पर्याप्त मीमांसा प्रस्तुत की है। मानव के आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक एवम् राष्ट्र प्रेम आदि भावों को प्रेरित करने वाली सामाजिक चेतना को वैदिक साहित्य में इस प्रकार किया है–

यह दिव्य मेधा, जिसने ऋषियों द्वारा वैदीकधारा को प्रवाहित किया था, जिसने भारतीय संस्कृति के उषा:काल में विश्व व्याप्त उस मौलिक तत्व का साक्षात्कार किया था जिसकी दिव्य विभूतियों का वैदीक देवताओं के रूप में मंत्रों में गान किया गया है, और जिसने मानों प्रकाशमय आनन्दमय लोकों से लाकर मानव जीवन के आनन्दमय लोको से लाकर मानव जीवन के लिए दिव्य संदेशों को श्रुति मधुर पवित्र शब्दों में सुनाया था। भारतीय संस्कृति अमृत स्रोत के रूप अब भीवैदिक मंत्रों में सुरक्षित है। उस अमृत स्रोत में अवगाहन निश्चय ही मानव के संतप्त हृदय को शांति दे सकता है अपनी अद्धितीय उदात्त भावनाओं और अमूल्य संदेशों के कारण उसका निश्चय ही सार्वकालिक और सार्वभौम महत्व है।

इस प्रकार वेदों में ऋषियों ने अपने आराध्य सूर्यद्ध इन्द्र आदि देवी–देवताओं की स्तुति करके मानव जाति की कल्याणकारी भावनाओं को प्रसारित किया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, समृद्ध तथा उन्नतिशील बनाये तथा समाज का और अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाये। जिससे मानव जाति निरन्तर प्रगतिशील पथ पर कदम बढ़ाते जाये–

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वती बह्मजतामिमृष्टुताम्।
प्रतीतां ब्रह्मचारिभिदवानामवसे हुवे।। (2)
स गच्छध्वं स वदध्वं स वो मतासि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते।। (3)

इस प्रकार परस्पर सद्भाव और समानता के भाव को प्रसारित करने वाली ऋषियों की अमृत तुल्य वाणी मानव जाति के सम्पूर्ण विकास की पथ प्रदर्शिका है–

नमो महद्भ्यो नमो अर्थकेभ्यो
नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्य:। (4)
पुमान पुमांसं परि पातु विश्वत:। (5)

इस प्रकार गुणों से बड़े तथा न्युन सभी को नमस्कार करना चाहिये तथा एक दूसरे की रक्षा तथा सहायता करना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य ऋषियों ने अपनी मधुर वाणी द्वारा व्यक्त किये है तथा जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति मानव जाति में राष्ट्रीय भावना को प्रसारित करते है तथा साथ ही में अपनी जन्म भूमि को अपनी मातृभूमि सम्बोधित करने की शिक्षा हमें वेदों से प्राप्त होती है –

इन्द्रो या चक्र आत्मनेऽनमित्रां राचीपति:।
सा नो भूमि र्विसृजतां माता पुत्राय में पय:।। (6)
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास अदिभ्रदोऽमध्यमासो महसा विवावृध:।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवोमर्या आनो आच्छाजिगातन।। (7)

राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने वाली वेद वाणी विश्व शान्ति की कामना अपने आराध्य के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करती है–

द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी
शान्तिरप: शान्तिरोधषधय: शान्ति:
वनस्पतय: शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्बह्न
शान्ति: सर्व शान्ति शान्तिरेव
शान्ति: सा मा शान्तिरेधि।।(8)

विश्वशान्ति को आत्मसात करने की भावना के साथ–साथ पवित्र और शान्ति तथा आनंद को देने वाली ऋषियों की वाणी मानव जीवन के सम्पूर्ण पहलुओं को मंगलदायी कामना से पूर्ण करके व्यक्त करती है। (9)

ब्राह्मण ग्रंथ – हिन्दुजाति की धार्मिक व्यवस्था के संबंध में जो सहस्त्रों नीति नियम और विधि व्यवस्थाएँ है, उनका विस्तार से निरूपण करने वाले आदि ग्रंथ ब्राह्मण है इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रन्थ हिन्दु धर्म के आदि स्त्रोत है धर्म के अति प्राचीन व्याख्यान होने कारण मानव जाति के पहले धर्म ग्रन्थ भी है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का समकक्षी और समकालीन कहा गया है।

इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को सर्वोपरि कर्म कहा गया है साथ ही यह भी उसमें वर्णित है कि यज्ञ करने से मनुष्य सब पापों से विमुक्त हो जाता है। यज्ञ करने से वैक्तिक आत्मोद्धार के अतिरिक्त सामाजिक कल्याण भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में ही कहा गया है कि यज्ञ करने से सम्पूर्ण प्रजा का कल्याण होता है। यज्ञ में दी गई हवि वायु के द्वारा अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर सूर्य तक पहूँचती है और मेधों के साथ मिश्रित होकर वर्षा के रूप में पृथिवी को अभिषिक्त करती है। वर्ष से अन्य की उपलब्धि होती है धन धान्य सम्पन्न होकर प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन करती है। हवि से देवगण प्रसन्न होते है और वे प्रजा का कल्याण करते है। यज्ञ करने से ऐहिक विपत्तियाँ तो विनष्ट हो ही जाती है, मनुष्य जन्म–मरण के असाध्य कष्ट से भी मुक्त हो जाता है। मानव जीवन में यज्ञ की सार्थकता सिद्ध करके तथा जिसमें मानव जीवन जाति का कल्याण नीहित है। ऐसी मंगलदायी वाणी सामाजिक चेतना के रूप में मानव जाति के लिए कल्याणकारी है।

* अतिथि विद्वान, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

आरण्यक – वैदीक साहित्य के प्रपूरक अंक सहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद आरण्यक ग्रंथो का स्थान आता है। संहिताओं का अन्तिम भाग ब्राह्मण, ब्राह्मणों को अन्तिम भाग आरण्यक और आरण्यको का अन्तिम भाग उपनिषद है। कर्मकाण्ड विषयक ग्रन्थ होने के कारण ब्राह्मणों और आरण्यको में विशेष अन्तर नही है।

आरण्यक अर्थात् अरण्यों में उद्धत सांसारिक विषय वासनाओं एवम् नानाविध बाधा बन्धनों का परित्याग कर और शांत, एकांत, जन कोलाहल से दूर वनों में रहकर ऋषि श्रेष्ठों में जिस ब्रह्म विद्याा विषयक महान ज्ञान का साक्षात्कार किया था, उसी का संग्रह आरण्यक ग्रन्थों में परिपूरित है। (11)

इस प्रकार आरण्यक ग्रंथों में ब्रह्मविद्या के द्वारा सामाजिकों में ईश्वर प्राप्ति की कामना हेतु सामाजिक चेतना उत्पन्न की गई।

उपनिषद – उपनिषद युग विचार क्रान्ति का संघर्षमय युग रहा है। भारतीय विचार परम्परा के इतिहास में उपनिषद ग्रंथों के आविर्भाव से वैदीक साहित्य में एक सर्वथा नय युग का सूत्रपात होता है। उपनिषद ज्ञान के आविर्भाव के कारण भारतीय साहित्य में इतना महान परिवर्तन हुआ कि उसकी काया पलट हो गई। यह उपनिषद युग भारतीय विचार धारा की पराकाष्टा का युग रहा है। इस युग में नये अन्वेषण नई मान्यताएँ और चिन्तन हुए। जीवन जगत और ब्रह्म विषयक जिन गूढ़ ग्रन्थियों का समाधान एवम् जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण इस युग में हुआ वैसा संसार के इतिहास में आज तक नही दिखाई देता। यद्यपि उपनिषद भी वेद वचनों का संबल रखकर आगे तथापि वेदों और उपनिषदों में जीवन की शाश्वत भावनाओं के प्रति अपने अपने दृष्टिकोण से विचार किया गया तथा उपनिषदों में समाज में व्याप्त वेद संबंधी भ्रान्ति को भी दूर किया गया कि वेद धार्मिक यज्ञ क्रियाओं से संबंधित है। उपनिषद ग्रंथों से जीवन जगत संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रति मानव जाति में सामाजिक चेतना उत्पन्न की गई जो इस प्रकार है– उपनिषद ग्रन्थ समभाव की प्रेरणा देते है। सभी मानव में एक ही ईश्वर है। जो सबको एक दृष्टि से देखते है–

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवातुपश्चति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। (12)

उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर की समभाव दृष्टि से मानव जाति का कल्याण हो तथा सभी जन सन्मार्ग का अनुसरण करें इसी शुभ तथा कल्याणकारी भावना को इस प्रकार प्रस्तुत किया है जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति का हित सम्मिलित है–

अग्ने! नय सुपंथा राये अस्मान्
विश्वानिं देव वयुनानि विद्धान
युयोध्वस्मजजुहुराणमेनो
भूमिष्ठा ते नमउक्ति विधेम। (13)

इस प्रकार अपने आराध्य देव से वंदना करके मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति की कामना पूर्ति के लिए मानव जाति को सत्य तप, सम्यज्ञान और ब्रह्मचर्य को समन्वित व्यवहार करके ज्ञान प्राप्ति तथा परमात्मा के दर्शन की इच्छापूर्ति होती है जिससे मानवजाति को परम स्थिति प्राप्त होती है। इस भाव के द्वारा ऋषियों ने मानव जाति में अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ भावना के प्रति सामाजिक चेतना जागृत की है।

सतयेन लभ्यस्तपसा ह्योष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन् ब्रह्मचर्चेण नित्यम्।
अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
यं पश्चन्ति यतत: क्षीण दोषा:।। (14)

इस प्रकार मनुष्य अपेन अन्दर ही अपने विशुद्ध स्वरूप अथवा परमात्मा के दर्शन की भावना के साथ ही उपनिषद ग्रन्थ कर्मनिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा करके सर्वजन को कर्म के प्रति इस प्रकार प्रेरित करते है–

यथा वक्षस्य सपुष्पितस्य दूराद गन्धोवाति।
एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद् गन्धो वाति।। (15)

पवित्र कर्मो की सुगंध दूर–दूर तक पहूँच जाती है। इस प्रकार मंगलमय भावना को प्रेरित कर उपनिषद ग्रंथों ने मानव जाति में सामाजिक चेतना को जागृत किया गया है। जो उस युग से निरन्तर वर्तमान समय तक समाज सामाजिक चेतना के भाव से समन्वित है। संस्कृत साहित्य में उपजीव्य काव्यों की श्रेणी में तीन महत्वपूर्ण काव्य है– रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्भागवतगीता। इन तीनों मर्मपर्शी काव्यों का अवान्तर काव्य साहित्य के ऊपर बड़ा ही विशाल मार्मिक तथा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा है। ये महनीय उपजीव्य काव्य सामाजिक चेतना के भाव से समन्वित है। अत: साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी भावना से इन काव्यों की सृजना हुई है जो निरन्तर अपनी काव्य साधना से समाज को सम्पूर्ण मानव जाति को मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्यवहारिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक चेतना जागृत करते है, जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण मानवजाति उन्नति के पथ पर अग्रसर होती रहे तथा समाज बुराईयों से रहित होकर विकास के मार्ग पर कदम आगे बढ़ाता रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सुभाषित शप्तशती
2. अथर्व 6/108/2
3. ऋग्वेद 10/191/2
4. ऋग्वेद 1/26/13
5. अथर्व – 12/1/10
6. ऋग्वेद 5/59/6
7. यजुर्वेद 36/16
8. ऋग्वेद संहिता 1/37/15, 1241/9, 1/55/3, 8/48/14
9. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास
10. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास
11. इशोपनिषद– 6
12. इशोपनिषद – 18
13. मण्डकोपनिषद 3/1/5
14. नारयणोपनिषद 2/11

****

Study of Long-Term Solar Output Variability and their effect on the Earth's Magnetosphere and Galactic Cosmic Rays

A. P. Tiwari * A. K. Saxena ** C. M. Tiwari ***

Abstract - In this paper we have studied the Long-Term variability of solar output and their effect on Earth's magnetosphere and Galactic Cosmic Rays. We know that the entire space weather phenomenon in heliosphere is associated with the Sun's and their activity. Sunspots and their 11-year activity are show as big indicator of solar activity. Halo-CMEs (Coronal mass ejections) and their associated solar flares are linked with sunspots, those have similar 11-year solar activity and plays an important role in heliosphere.
Key words- (Rz) Sunspot number; (CRI) Cosmic ray intensity; (CMEs) Coronal mass ejections; (SC) Solar cycle.

Introduction - Solar phenomenons are the natural phenomena occurring within the magnetically heated outer atmosphere in the Sun. These phenomenons take many form including solar wind, radio wave flux, energy burst such as solar flares, CMEs (Coronal mass ejections) or solar eruption (Carlos et al., 2014) coronal heating and sunspots. The solar surface is full of spots which look back because these are cooler than the surrounding region known as sunspots, these were noticed by several earlier observer (Chapman et al., 1940; Mckinnon, 1987). (Schwabe, 1843) showed that the yearly average sunspot numbers have an approximate 11-year solar cycle. This lead to solar flares (Carrington, 1859; Hudson et al., 1995) and CMEs (Coronal mass ejections) (Parker, 1959; Tousey, 1973). The solar activity parameter of longest history is the sunspots, discovered by Galileo in 1612, who noted that sunspots seemed to be moving on the solar surface. He suggested correctly that this was because the Sun was itself rotating with a rotation period of 27 days, slightly faster at the equator as compared to higher latitudes. The solar output from the Sun corona when reach into interplanetary space it modulated the galactic cosmic rays (mostly contain protons). The temporary disturbance of the Earth's magnetic field by solar plasma and solar magnetic field are called geomagnetic storms. Geomagnetic storms are direct related with halo-CMEs (Coronal mass ejections) and solar flares. In these paper criteria of taking geomagnetic storms is Dst $\leq$ -100 nT.

Data analysis - For this research work we have taken yearly average value of sunspot number from National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) their website is www.ngdc.noaa.gov. To observed the long relationship between Galactic cosmic rays and sunspot number we have used the monthly mean of hourly count rated of Moscow neutron monitor having magnetic cut- off rigidity (Rc = 2.42 GeV) which is located on the Earth at latitude 55.47N as well as longitude 37.32E. For Dst (Disturbance storm time) limit of $\leq$-100 nT we have used Omniweb of NASA.

Result and discussion - Solar cycle have an average duration of about 11-year. Like 11-year solar cycles the number of geomagnetic storm and galactic cosmic rays posse's 11-year solar activity. Solar cycle activity are defined by the sunspots number, it means the sunspot number are the best indicator of solar activity. In long-term (11-year) solar cycles, all other solar phenomenon are shows similarity to sunspot number i.e. solar flare, solar flux, coronal mass ejections (CMEs), geomagnetic storms, galactic cosmic rays etc. In figure (1a) the sunspots number and numbers of geomagnetic storms have shown the similar activity during long-term (11-year) solar activity. According to these figure the number of geomagnetic storms are increases and decreases with sunspots activity. It means the Earth's magnetosphere protect the human lives from solar protons and X-rays on the Earth. A polarity of solar magnetic field plays a dominant role in heliosphere and modulates the galactic cosmic rays intensity. When the solar cycles are in active mode resulting large eruption of CMEs and solar flare ejected on the Sun towards the Earth's that consequences a huge disturbance of space weather are generated in heliosphere. The weak solar activity has been felt throughout the heliosphere, with diminished solar wind speed, density and magnetic field (McComas et al., 2013;

* Department of Physics, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA
** Department of Physics, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA
*** Department of Physics, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA

Gopalswamy et al., 2014 a,b). The Solar activities during period from 1987 to 2015 are decreases their consequences the galactic cosmic rays intensity are increases during the same time period. The correlative study of solar cycle-22 to solar cycle-24 between sunspot number and cosmic ray intensity, sunspot number and number of geomagnetic storms are show the similar correlation during the same time period have shown in figure (2a) and (2b). According to solar activity the galactic cosmic rays intensity and number of geomagnetic storms are decreases during period between solar cycle-22 to solar cycle-24 have shown in figure (1a) and (1b). Its mean geomagnetic storms in the limit of Dst $\leq$ - 100 nT from solar cycle-22 to solar cycle-24 are decreases their consequences number of geomagnetic storms also decreases during the same period of time have shown in figure (3). The halo-CMEs and their associated solar flares are affected the Earth's magnetosphere and ionosphere etc. These are also affecting the galactic cosmic rays which are coming from interstellar space. Near the polar region of the Earth the galactic cosmic rays easily travel and inters into the Earth's magnetosphere causes disrupt the ionosphere. Therefore, ionosphere disturbance disrupt satellite communication and navigation system. Many solar phenomenon changes periodically over an average interval of about 11-years. This solar cycle affect solar irradiation and influences space weather, terrestrial weather and climate. The solar cycle also modulates the flux of short-wavelength solar radiation, from ultraviolet to x-rays and influence the frequency of solar flares, CMEs and other solar eruptive phenomenon.

Conclusion - Analysis of this paper shows the heliospheric disturbance have decreased during period from solar cycle-22 to solar cycle-24. Therefore the associated phenomenon of solar activity i.e. CMEs, solar flares etc. would disrupt the Ionosphere and the Earth's magnetosphere during the same time period. We know that the Inospheric disturbance affect our communication system and GPS (Global positioning system) similarly, the Mgnetospheric disturbance affect the GIC (Geomagnetic induced current). Finally, we found that- (1) the solar activities from solar-22 to solar cycle-24 have decreased. (2) The Galactic cosmic rays during solar cycle-22 to solar cycle-24 have increased. (3) The Geomagnetic storms during solar cycle-22 to solar cycle-24 have decreased.

Acknowledgement - The author gratefully acknowledge the Moscow ground based neutron monitor, Omni web data of NASA and World data centre for providing the data sources.

References :-

1. Carlos, J., Schriver, George, L., (2010). Heliophysics: evolving solar activity and the climate of space and the Earth (Cambridge Univ. Press), ISBN 97805 21112949, 28 August 2014.
2. Carrington, R.C., Description of a singular appearance seen in the Sun on Sept. 1, 1859. Mon. Not. R., Astron.Soc., (UK), 20 (1859, pp 13-15.
3. Chapman, S. And Bartles, J., 1940. Geomagnetism vol. 1 (Oxford Univ. Press, New York), pp 328-337.
4. Gopalswamy, N., et al., 2014a. Geophys. Res. Lett., 41, 2673, doi: 10.1002/2014GL059859.
5. Gopalswamy, N., et al., 2014b. The Earth, Planets and Space, 66, 104, doi: 10.1186/1880-5981-66-104.
6. Hadson, H., Haisch, B. and Strong, K.T., 1995. Comment on the solar flares myth by JT Gosling, J. Geophys. Res., (USA), 100 (A3), pp 3473-3477, doi: 10.1029/29JA02710.
7. McComas, D.J., et al., 2013. J. Astrophys., 779, 2, doi: 10.1088/0004-637X/779/1/2.
8. Mckinnon, 1987. Sunspot numbers, 1610-1985, UAG Report 95 (NOAA Boulder, Colorado), 112.
9. Parker, E.N., 1959. Extension of the solar corona into interplanetary space, J. Geophys. Res., (USA), 64, pp 1675-1681.
10. Schwabe, A.N., 1843. Sounen Beobachtungen in Jahre, Astron. Nachr., (Germany), 21 (1844), pp 233-246.
11. Tousey, R., 1973. The solar corona in the Cospar space research-13, (Academic Verlag Berlin), pp 713-730.

Figure 1,2 & 3 (See in next page)

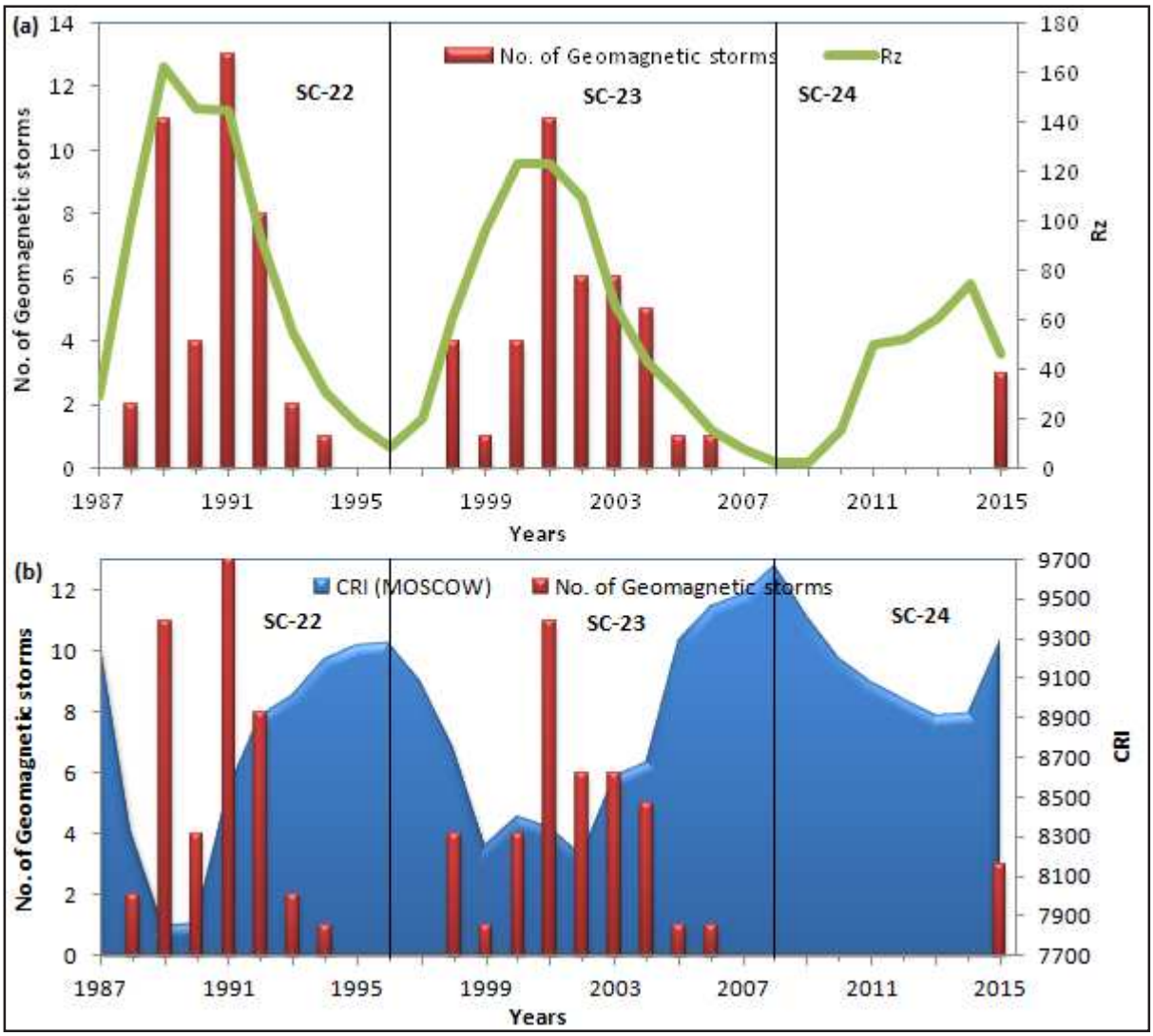

Figure 1: (a) shows the no. of geomagnetic storms (Dst ≤-100 nT) and sunspot number (Rz) during the period from year 1987-2015 and **(b)** shows the no. of geomagnetic storms (Dst ≤-100 nT) and galactic cosmic rays during the period from year 1987-2015.

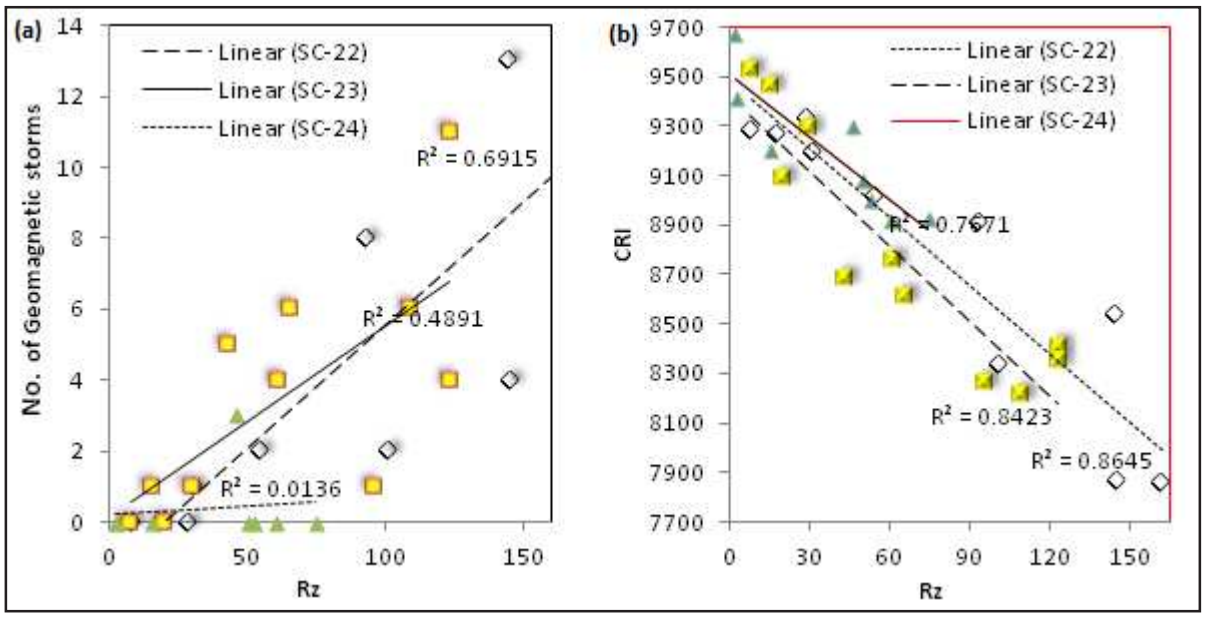

Figure 2: (a) shows the linear correlation curve between sunspot number (Rz) and no. of geomagnetic storms (Dst ≤ -100 nT) of solar cycle 22, 23 and 24. **(b)** Shows the linear correlation curve between sunspot numbers and galactic cosmic rays of solar cycle 22, 23 and solar cycle 24.

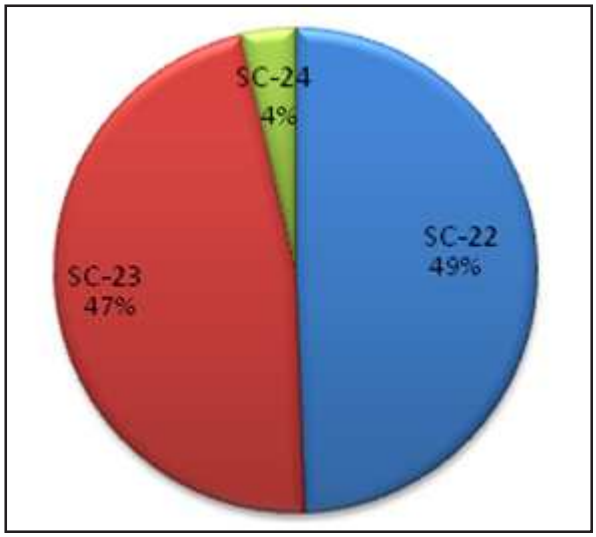

Figure 3: shows the no of geomagnetic storms (Dst ≤ - 100 nT) in (%) during period from solar cycles 22, 23 to solar cycles 24.

****

मैत्रीय पुष्पा के कथा-साहित्य में चित्रित समाज और नारी

डॉ. रश्मि प्रीति गुरु *

प्रस्तावना – मैत्रीय पुष्पा ने अपने कथा साहित्य में नारी की सामाजिक स्थिति को उठाया है। इनकी कहानियों एवं उपन्यासों में 'नारी' परम्परागत जीवन मूल्यों से संघर्ष करती दिखाई देती है। मैत्रीय पुष्पा के कहानी संग्रह में आस्थायें धुधलाता हुआ भविष्य इन्हही दुख दर्द की घटनाओं के ताने-बाने से बुनी से कहानियाँ इक्कीसवीं शताब्दी की देहरी पर दस्तक देते भारत के ग्रामीण समाज का आइना हैं। एक ओर आर्थिक प्रकृति दूसरी ओर शोषण का यह सनातन स्वरूप है।

मैत्रीय पुष्पा ने समाज की बिखरती हुई स्थिति को कहानी के माध्यम से उठाया है। 'मैत्रीय पुष्पा' ने कहानी 'केतकी' में गाँव की जमीदारी प्रथा को कायम रहने की ओर संकेत किया है। देश भले ही इक्कीसवी शताब्दी में पहुँच गया हो परन्तु हमारे गाँव के किसानों का जीवन आज भी गुलामी की जंजीरों को जकड़ा हुआ हैं। इस प्रकार मैत्रीय पुष्पा ने 'चिन्हार' सग्रह की कहानियों में समाज की स्थिति को उठाने का प्रयास किया है। इन कहानियों के मूल्य में नारी के दर्द की गाथा छुपी हुई हैं। कहानियों में नारी पात्र अपने परिवार और समाज में संघर्ष करते हुए विकास की ऊंचाइयों को सुनने के अभिलाषी हैं। परिवार और समाज के रीति-रिवाजों, मान-मर्यादाओं, परम्पराओं को तोड़ना चाहते है।

इक्कीसवीं शताब्दी और विकास की चरम उच्चाई पर पहुँचने के बाद भी हमारा ग्रामीण आज झूठी मान-मर्यादाओं के दर और अंधविश्वासों के बोझ तले दबा हुआ हैं। इन कहानियों के नारी पात्र उस बोझ को उतार फेंक देना चाहते हैं। मैत्रीय पुष्पा ने इन कहानियों के माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया है।

'कहानी' फैसला में नारी के समाज में उठते हुए रूप को सामने रखा गया हैं कहानी की पात्र 'वसुमति' गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ती है और वह चुनाव जीत जाती हैं। मैत्रीय पुष्पा ने नारी के उभरते हुए स्वरुप की चर्चा करते हुए लिखा है 'बरोबरी का जमाना ठहरा' प्रधान बन गई हैं न 'वसुमति' 'इंदिरा गांधी' का राज्य है। बोलो इंदिरा गांधी की जय नारी के इस विस्तृत स्वरूप को परिवार और समाज एकाएक स्वीकार नहीं कर पाता है। इसी कारण पहले पहल समाज के द्वारा विरोध किया जाता है। 'रिजिक' कहानी की नायिका 'लल्लन' गांव में रहती हुई दाई का काम करती है 'लल्लन' एक ऐसी नारी पात्र है। जो समर्पित भाव से अपने कार्य को अंजाम देती है। मैत्रीय जी ने दाइयों को सरकार द्वारा दी जीने वाली ट्रेनिंग की भी चर्चा की है। दाईयों को इसलिए ट्रेनिंग दी गई कि वे प्रसूति के समय सफाई का ध्यान रखे। गाँव में फैले अंधविश्वासों को दूर करे। इन कहानियों के नारी पात्र अपने समय के समाज और परिवार से संघर्ष करते हैं।

मैत्रीय पुष्पा एक नायिका प्रधान लेखिका हैं इसलिए उनके कथा साहित्य में नायिकाओं का व्यक्तित्व अधिक उभरता हैं। 'राजेन्द्र यादव' ने इनकी कहानियों के बारे में लिखा है। नारी अपने सुख-दुखों, यंत्रणाओं और योतनाओं में तपकर अपनी स्वतंत्र पहचान मांग रही है उनका अपने प्रति ईमानदार होना ही 'बोल्ड' है।

'फैसला' कहानी की 'वसुमति' सामाजिक विषमताओं और आर्थिक शोषण की चुनौती देती हैं 'इदन्नमम' की 'मंदा' और उसी से कदम मिलाती हुई जातिगत और राजनीतिक दलालों से सिंहासन छीनने का इरादा किया हैं। 'चाक' उपन्यास की 'सारंग नेनी' आधी दुनिया के बासिन्दे सब नैतिक दृष्टि से आजादी में दोवदारी करने लगे है।

'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी में चुनावी माहौल और चुनावी आरक्षण को उठाया गया है। प्रधानी पद के लिए जब आरक्षण हो जाता है। तब हर खेमे में जीतने वाली महिला की खोज-खबर शुरु हो जाती हैं और चुनावी प्रचार जोरो से शुरु हो जाता हैं। मैत्रीय पुष्पा ने दहेज के कारण रूकती हुई शादी की चर्चा की हैं। पर्याप्त दहेज न होने के कारण अनमेल विवाह करने के लिए मां बाप बेबस हो जाते हैं। मैत्रीय पुष्पा ने छुआछूत, ऊंच-नीच के भेदभाव की चर्चा भी की है।

'कहनी साँप सीढ़ी' में बढ़ती हुई बेरोजगारी और नौकरी की चर्चा की गई हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि मैत्रीय पुष्पा की रचना यात्रा के अंतर्गत उपन्यास का प्रारंभ 'स्मृतिदेश' से होता है। मैत्रीय पुष्पा अपने उपन्यासे में नारी जीवन की समस्याओं को गंभीरता से उठाती है। इनकी कहानियों में समाज के नगरीय और ग्रामीण दोनों परिवेशों का चित्रण हुआ है। निश्चित ही मंत्रीय पुष्पा की रचना यात्रा समाज के नारी वर्ग की समस्याओं को केन्द्र में रखकर चलती हैं।

इस प्रकार मैत्रीय पुष्पा ने अपने उपन्यास और कहानियों में समाज के ग्रामीण परिवेश की नारियों का चित्रण किया है। ये नारी पात्र समाज की परम्पराओं, रीति-रिवाजों, अंध विश्वासों को तोड़कर स्वतंत्रता की पुकार लगाती है और संघर्ष करती है इनकी कहानियों में ग्रामीण परिवेश के साथ नगरीय परिवेश का चित्रण हुआ है।

मैत्रीय पुष्पा के कथा साहितय में नारी का चित्रण करने के लिए प्रमुख सामाजिक चुनौतियों राजनैतिक संदर्भ और सांस्कृतिक संदर्भ की चर्चा की

* अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, उदयपुरा, जिला - रायसेन (म.प्र.) भारत

गई है। इनके उपन्यासों में नारी के संघर्ष को उठाया गया है। समाज में नारी की वास्तविक स्थिति को समझना है तो इनके उपन्यासों में देखा जा सकता है।

मैत्रीय पुष्पा ने अपने उपन्यास और कहानियों में समाज की वर्तमान यथार्थता को चित्रित करने का प्रयास किया है। साथ ही नारी वर्ग के प्रति पुरुष सोच को भी उठाने का प्रयास किया हैं तो कभी नारी दासी के रूप में चित्रित की गई तो कही पुरुष वर्ग से विद्रोह करती दिखाई देती हैं। मंत्रीय जी के नारी पात्र समय से संघर्ष करके ऊपर उठती हुई सामने आती हैं और समाज के रीति-रिवाज मान-मर्यादा को निभाती हुई स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करती है।

मैत्रीय पुष्पा के नारी पात्र अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के अभिलाषी है उसके लिए उन्हें पुरुष समाज से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में कही तो वे सफल होती हैं और कही संघर्ष करके मर-खप जाती है। मरते-मरते समाज के अन्य पात्रों के लिए एक चेतना की चिन्गारी छोड़ जाती है यह चिन्गारी समाज के अन्य नारी पात्रों को विकास का मार्ग दिखाती है 'सुनीता-चतुर्वेदी' ने लिखा है कि समाज की उन्नायन अवस्था बनाने की व्यवस्था का सबसे प्रमाणिक तरीका है उस समाज में नारी की स्थिति को समझना जिस समाज में नारी की स्थिति उच्च होगी वह समाज निश्चय ही विकसित हो जायेगा।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मंत्रीय पुष्पा ने अपने कहानियों और उपन्यासों में बदलते हुए जीवन मूल्यों और नारी की सामाजिक स्थिति द्धारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं कि अब नारी समाज और परिवार में अब पुरुष की मोहताज नहीं है ये मूल्य नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास की ओर संकेत करते है।

इन सभी महिला कथाकारों के नारी पात्र समाज और पुरुष वर्ग से संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। नारी अब किसी की मोहताज नहीं है क्योकि उसने स्वयं आश्रित होना सीख लिया है इस स्वयं आश्रित होने के कारण सबसे पहले उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। मैत्रीय पुष्पा ने ग्रामीण समाज में रहने वाली स्त्रियों की वास्तविक स्थिति को सामने रखा है। ग्रामीण समाज की नारी किस तरह अपने स्वाभिमान को दबाकर और अपमानित होकर रह रही है 'अलमा कबूतरी' में कबूतरा जनजाति और सवर्णो के अत्याचारों को लेखिका ने उठाने का प्रयास किया हैं। उपन्यास में नारी दैहिक शोषण, भ्रष्टाचार, संघर्ष विषमता और विपन्नता को चित्रित किया है। समाज में अब नारी की चेतना जागृत हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कहानी संग्रह: 'चिन्हार' मैत्रीय पुष्पा, आर्य प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 98, पृ. 12
2. 'ललमनिया' मैत्रीय पुष्पा 'किताब घर दिल्ली',पृ. 97, पृ. 18, पृ. 104
3. 'हिन्दी कथा साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान', राधा प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 112, पृ. 304
4. 'मानव मूल्य और साहित्य', डॉ. धर्मवीर भारती, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी1960
5. हंस पत्रिका : जनवरी 2000

****

मैत्रीय पुष्पा के कथा-साहित्य की नारियाँ - व्यक्तित्व और संघर्ष

डॉ. रश्मि प्रीति गुरु *

प्रस्तावना - मैत्रीय पुष्पा बीसबी शताब्दी के अंतिम दशक में हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण महिला कथाकार के रूप में उभरी है। इनके लेखन में बहुत कुछ भोग हुआ यथार्थ है। बीसबी शताब्दी के उत्तारार्द्ध की भारतीय ग्रामीण नारी की सामाजिक परिस्थितियों से जूझने की क्षमता उजागर होती है। रचनाकार का जीवन उसका सामाजिक संघर्ष, द्वन्द्व से उपजे तनाव और समाहारों से लेखिका के मन ममें भाव जागृत होता है।

मैत्रीय पुष्पा ने अपने उपन्यास और कहानियों में नारी की सामाजिक स्थिति उसकी वर्ग चेतना और मूल्य दृष्टि को सामने लाने का प्रयास किया है। उनके लेखन में ग्राम्य जीवन की अंतरंग झलकिया देखने को मिलती हैं। मैत्रीय पुष्पा के उपन्यास और कहानियों में बुंदेलखण्ड अंचल का ग्रामीण परिवेश, लोक संस्कृति, लोकभाषा वहाँ की प्रकृति, जलवायु, नदी, पहाड़, खेत-खलियान संपूर्ण स्वरूप के साथ उभरकर सामने आते है।

मैत्रीय पुष्पा के कथा साहित्य में ग्रामीण समाज की नारियाँ सामाजिक और पारिवारिक परिवेश से संघर्ष रती दिखाई देती हैं। उनका यह संघर्ष सामाजिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को तोड़कर स्वतंत्र जीने के लिये होता है। इस स्वतंत्र जीवन जीने में दैहिक स्वतंत्रता को उनके द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। फिर चाहे 'इदन्नमम' की 'कुसुमा भाभी' को या 'चाक' की 'सारंग नेनी' अथवा 'कलावलती चाची' हो या 'अलमा कबूतरी' की 'कदमबाई' या 'झूला नट' की 'शीलों' ये सभी नारी पात्र अपनी दैहिक स्वतंत्रता की पक्षधर है। मैत्रीय पुष्पा ने इन नारी पात्रों के माध्यम से नारी की स्वतंत्रता को उठाने का प्रयास किया है।

'स्मृतिदेश' के केन्द्र में 'भुवन' एक ऐसी नारी पात्र है जो समाज और परिवार की मार सहते हुए जीने के लिए संघर्ष करती रहती हैं और इसी संघर्ष में अंतत: दम तोड़ देती है। एक भुवन की ही नही तिल-मिल मिटती कई भुवनोय की कहानी है, भुवन जीवन के अपने बचपन से लेकर अंतत: संघर्ष करती रहती है यह समाज की उन नारियों की कथा है जिसका बचपन से लेकर जवानी तक का जीवन संघर्षमय रहता है। समाज और परिवार दोनों में भारतीय नारी कभी भी सम्मान-जनक जीवन नहीं जी पाई है यही भुवन की कथा भी है और आत्मकथा भी है।

इस प्रकार 'स्मृतिदेश' उपन्यास में मैत्रीय पुष्पा ने 'भुवन' के माध्यम से एक संघर्ष करती नारी की कथा कही है।

'बेतवा बहती रही' उपन्यास मैत्रीय पुष्पा का यह पहला उपन्यास हैं जो उनके लेखन की पहली सीढ़ी माना जाता हैं। 'बेतवा बहती रही' यह अंचल विशेष से जुडत्रा उपन्यास हैं जिसमें बेतवा नदी के आस-पास का जनजीवन चित्रित किया गया है। 'बेतवा बहती रही' उपन्यास में बेतवा नदी के किनारे बसे ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। यह परिवेश प्रमुख रूप से राजगिरी, सिरसा, चंदनपुर, गांव के जनीवन को लेकर उभरा है। इस उपन्यास मे संपूर्ण कथा 'उर्वशी' के इर्द-गिर्द घूमती हैं यह उपन्यस के वल 'उर्वशी' की कथा ही नहीं कहता बल्कि किसी ग्रामीण कन्या की व्यथा हो सकती है। विपन्नता का अभिशाप, शोषण और सनातन संघर्ष एक विविश यातना में नाटकीय जीवन है। 'बेतवा बहती रही' उर्वशी का जीवन संघर्ष में बीतता है। उर्वशी बचपन से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक समाज से संघर्ष करती है।

मंत्रीय पुष्पा ने उर्वशी के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश की नारी कथाओं को उठाया है। 'उर्वशी' ग्रामीण परिवेश की नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है 'उर्वशी' कुछ दिन ही वैवाहिक जीवन जी पाई उसके बाद एक दुर्घटन में सर्वदरमन की मृत्यु हो जाती है।

'मैत्रीय पुष्पा' ने 'बेतवा बहती रही' उपन्यास में नारी की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट किया है। नारी कभी 'उर्वशी' विधवा होने के बाद अपने बड़े भाई द्वारा बेच दी जाती हैं।

'उर्वशी' अकेली ऐसी नारी नहीं है जो पुरुष समाज के अपान का शिकार हुई है बल्कि और भी नारिया हैं जिन्होंने पुरुष समाज का अपमान सहा है। तात्पर्य यह है कि नारी-पुरुष के द्वारा कभी पैसे के लिये बेची खरीदी जाती हैं तो कभी पर्यापत दहेज के कारण 'डोली' बिन ब्याही ही लोठ जाती हैं। 'उर्वशी' अपने जीवन में हर दुख सहन करती है। वह समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार नाना के पसंद से किए हुए वर से विवाह करती है और नारी समाज की चेतना को जागृत करती है।

इस उपन्यास में मैत्रीय पुष्पा ने भारतीय ग्रामीण समाज की ऐसी नारियों का चित्रण किया है तो समाज के अत्याचारों का शिकार हो रही है 'उर्वशी' ग्रामीण परिवेश की नारी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पात्र हैं। बेतवा के किनारे का अंचन केवल बेतवा का कछार ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश हैं जहाँ नारी के साथ समाज का अत्याचार बराबर बना रहताव है।

मैत्रीय ने इस उपन्यास में बुंदेलखंड अंचल के रीति रिवाजों, परम्पराओं, धार्मिक संस्कारों, सामाजिक संस्कारों के रुप में उठाया है। मैत्रीय जी ने बुंदेलखण्ड अंचल के समाज में घुसकर कथा निकालने का प्रयास किया है।

मैत्रीय पुष्पा ने विंध्य के जिस अंचल को उठाया हैं। वह आजादी के पचास साल भी 'मेला आंचल' के पूर्णिया जिले से अधिक पिछड़ा हुआ है।

* अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, उदयपुरा, जिला - रायसेन (म.प्र.) भारत

उपन्यास की कथा से लेखिका की आत्मीय संवेदना गहराई से जूड़ी है। उपन्यास के केन्द्र में तीन नारी पात्रों की जीवन गाथा है। 'बऊ प्रेमा, मंदाकिनी' इन नारी पात्रों के माध्यम से लेखिका ने तीन पीढ़ियों की कथा को यथार्थ देने का प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है 'पीढ़ियों का अंतर' कहानी का ताना-बाना मंदाकिनी से शुरु होता है। उपन्यास में घटनायें बड़ी तेजी से घटित होती है। समाज में अकेली नारी को कितना संघर्ष करना पड़ता है इसी संघर्ष के कारण ही उसमें आत्मचेतना का विकास हुआ है।

'मैत्रीय पुष्पा' के उपन्यास 'इदन्नमम' में नारी की संघर्ष की कहानी को सामने रखा है 'मंदा' एक ऐसी नारी पात्र है जो गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करती है। वह गरीबों को हक दिलाने का प्रयास करती है। वह गरीबो के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार करती है, करीब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोलती है। 'इदन्नमम' उपन्यास में मैत्रीय पुष्पा ने अंचल क्षेत्र की समस्या को उठाया है। इस उपन्यास के नारी पात्र अनपढ़, पिछड़े होने के बाद भी विकास की नई संभावनायें तलासते हैं। अंधविश्वासों, रीतिरिवाजों, सामाजिक मान-मर्यादाओं का खुला विरोध किया हैं। 'उपन्यास की मंदा' समाज में बहती हुई नारी का प्रतिनिधित्व करती है। वह नारी के अधिकारों के प्रति समाज को जागरुक करती है। और गरीब मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए समाज से पूछती है और मजदूरों को अधिकार के प्रति जागरूक बनाती है।

मैत्रीय पुष्पा ने उपन्यास 'इदन्नमम' में नारी संघर्ष की कहानी को सामने रखा है। बऊ, मंदा और उसकी जायदाद बचाने के लिए 'मंदा' को साथ लेकर दर-दर भटकती है। वह 'मंदा' को तो बचा लेती है। पर जायदाद के लिए अपनों के द्वारा छली जाती है। निष्कर्ष: परिवार में नारी की स्थिति कई दृष्टिकोणों से अपना महत्व रखती हैं परिवार में नारी की अहम, भूमिका होती हैं यदि पुरुष घर के बाहर समाज का संचालन करता हैं तो निश्चित रूप से नारी घर के अंदर परिवार का संचालन करती हैं। इतना होने के बावजूद नारी की स्थिति की बात सामने आती हैं तो इसका उचित फल नहीं मिलता लेकिन अब नारी चेतना जाग्रत होने लगी हैं। अब नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी से चलने लगी है।

मैत्रीय पुष्पा के उपन्यासों में इनके नारी पात्र अपने व्यक्तिव के विकास के लिए परिस्थितिओं और समाज से संघर्ष करते हैं। मैत्रीय पुष्पा के कथा साहित्य में नारियों के व्यक्तित्व की चर्चा की हैं इन्होंने अपने कथा साहित्य में पुरुष और नारियों के संघर्ष को उठाया हैं।

इस तरह 'मैत्रीय पुष्पा' की कहानियों में आये नारी पात्र भी समाज से संघर्ष करते हैं एवं व्यक्तित्व का भी विकास करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमृतलाल नागर के उपन्यासों में नारी की सामाजिक स्थिति, शोध प्रबंध पृ. 111
2. 'स्मृतिदेश', मैत्रीय पुष्पा - किताब घर, दिल्ली, पृ. 48, पृ. 70, पृ. 62
3. 'बेतवा बहती रही', मैत्रीय पुष्पा - किताब घर, दिल्ली, पृ. 15, पृ. 22, पृ. 30, पृ. 37, पृ.42
4. 'इदन्नमम', मैत्रीय पुष्पा - किताब घर, दिल्ली, 1994, पृ. 269, पृ. 268, पृ. 305, पृ. 307
5. 'अलमा कबूतरी', मैत्रीय पुष्पा - किताब घर, दिल्ली, पृ. 219, पृ. 177, पृ. 32, पृ. 43

****

Stoichiometry and product analysis during the oxidation of aldose by thallium (III) acetate

Soma Mishra *

Abstract - In the present paper we discuss stoichiometry of the reaction and identification of intermediate free radical, reduction product of thallic acetate and final product for each aldose.

Introduction - Stoichiometry- The stoichiometry of the reaction was determined for each thallic (III) acetate – aldose system using following procedure:

In the determination of stoichiometry the concentration of thallic acetate was taken higher (≈ 10 times) over the concentration of aldose. The calculated quantity of oxidant was taken in a conical flask and requisite volume of sulphuric acid was added to it. The aldose solution was taken in another flask. Both these flasks are equilibrated in a thermostat at experimental temperature. After attaining the temperature the solutions are mixed and zero time reading for T1 (III) concentration is obtained immediately by titrating it iodometrically. The concentration of unreacted thallium (III) was determined at different time intervals till a constant value was obtained suggesting that the aldose is completely consumed. The observations are recorded in the Table IV -1.

Table IV – 1

Summary : Stoichiometry of the reaction between aldose and thallic acetate-

Sr. No.	[Aldose] 10^3M	Initial[T1 (III)] 10^2M	Final[T1 (III)] 10^3M	consu-med[T1 (III)]10^4M	[T1(III)] [Aldose]
[$H_2SO_4$1 = 1.0M, HOAc – H_2O = 40% (V/V), Temp. = 50°C.					
			1 – Glucose		
1.	1.00	1.00	9.05	9.50	0.95
2.	1.20	1.20	10.88	11.20	0.93
			2 – Galactose		
1.	1.00	1.00	9.02	9.80	0.98
2.	1.20	1.20	10.89	11.10	0.93
			3 – Xylose		
1.	1.00	1.00	9.04	9.60	0.96
2.	1.20	1.20	10.91	10.90	0.91
			4 – Arabinose		
1.	1.00	1.00	9.01	9.90	0.99
2.	1.20	1.20	10.90	11.00	0.92
			5 – Ribose		
1.	1.00	1.00	9.03	9.70	0.97
2.	1.20	1.20	10.88	11.20	0.93

Persual of Table IV – 1 reveals that one mol of aldose requires one mole of thallium (III) for oxidation.

Product Analysis- The analysis of the final product and identification of the intermediate formed , if any, for each aldose – thallium (III) system was made qualitatively under experimental conditions.

(I) Identification of intermediate free radical - For the identification of free radicals 5ml of reaction mixture was taken at different time intervals and 1-2 ml of acrylonitrile was added to it. The colour of reaction mixture remains unchanged and no white turbidity or precipitate is observed indicating the absence of free radical intermediate.

(II) Identification of reduction product of thallic acetate - A drop of standard solution of phosphomolybdic acid was placed on the filter paper and test solution was run from a capillary into the middle of spot. A drop of HBr was then added. A light blue stain is formed confirming the presence of thallium(I). Thus the reduction product of thallium(III), thallium(I) is confirmed.

(III) Identification of final product for each aldose - The identification of the product of the oxidation of aldose by thallic acetate was made qualitatively using paper chromatography[1].

After the completion of the reaction between T1(III) and sugar, the reaction mixture was concentrated on water bath. The concentrated solution was extracted by ether and the extract was used for chromatography using Whatman No.-1 filter paper.

A strip of filter paper, about 40cm long and 5cm wide was marked lightly with pencil line about 5cm from one end. The test solution was spotted on to the marked spot in the middle of pencil line, with the help of capillary pipette. The solution of the spot was then, allowed to evaporate.

The elutant was prepared by mixing n-butanol, acetic acid, water and concentrated hydrochloric acid in the ratio 20:5:25:1. The phases were allowed to separate clearly and the upper layer was drawn off. A little quantity of the upper layer was taken in small dished which were placed in the bottom of a chromatographic chamber. The paper was hung in the chamber with upper end held in the glass tube. The

* Guest Lecturer (Chemistry) Govt. P.G. College, Shahdol (M.P.) INDIA

liquid was introduced to saturate the air in the chromatographic chamber. After a while the paper becomes conditioned to the reagent. The elutant which was the top layer of the solvent prepared as described above, was now introduced in the glass tube and the chromatographic chamber was closed. Solvent moves by capillary action into the paper and aided by gravity, passes down over the spotted spot of the test solution and solvent front proceeds.

After the solvent front has moved to almost the lower edge of the paper, the chromatographic chamber is opened, the paper was removed and the position of the solvent front was marked immediately. The paper was allowed to dry and the dried paper was moistened with a thin spray of xylene. The paper was then sprayed with 1% solution of lead tetracetate in benzene. The solvents were allowed to evaporate at room temperature. White zone appeared on brown background. Rf value was measured which comes out to be 0.173 (0.48) which is in good agreement with the Rf value of 0.18 (0.45) for gluconic acid. The values in the bracket are for diffused zone.

References :-

1. Sen Gupta, K.K., Sen, S. and Basu, S.N.:arbohyd. Res., 1979, 71, 75.
2. Shukla, S.N. and Bajpayee, C.D.:Oxid. commun., 1986, 8(1-2), 159.
3. Grover, K.C. and Mehrotra, R.C.:Z. physik. chem (Frankfurt), 1958, 14,c 345.
4. Rathore, B.S. and Grover, K.C.:Indian J. Appl. Chem., 1970, 33(5), 317.

****

Dependence of rate on the variation of initial concentration of thallic acetate

Soma Mishra *

Abstract - Dependence of rate on the initial concentration of thallic acetate was investigated by varying the concentration of oxidant while other experimental conditions were kept constant. The summarised values of pseudo first order rate constants are recorded in Table III: B-1.

Introduction - TABLE : III B-1

Summary: Dependence of rate on the variation of initial concentration of thallic acetate.

[substrate = 1.66 X 10^{-2}M, HOAc–H_2O = 40% (v/v), [H_2SO_4] = 1.0 M, Temperature = 50^0C.

Sr. No.	[T1(III)] 10^3M	Glucose 1	Galac-tose 2	Xylose 3	Arabi-nose4	Ribose 5
1.	1.25	14.19	18.15	19.26	20.41	20.61
2.	1.66	10.85	13.58	14.51	15.00	15.35
3.	2.00	9.61	10.17	12.18	11.33	13.06
4.	2.50	8.12	7.53	10.74	8.38	11.61
5.	5.00	6.11	5.73	8.34	6.42	8.64

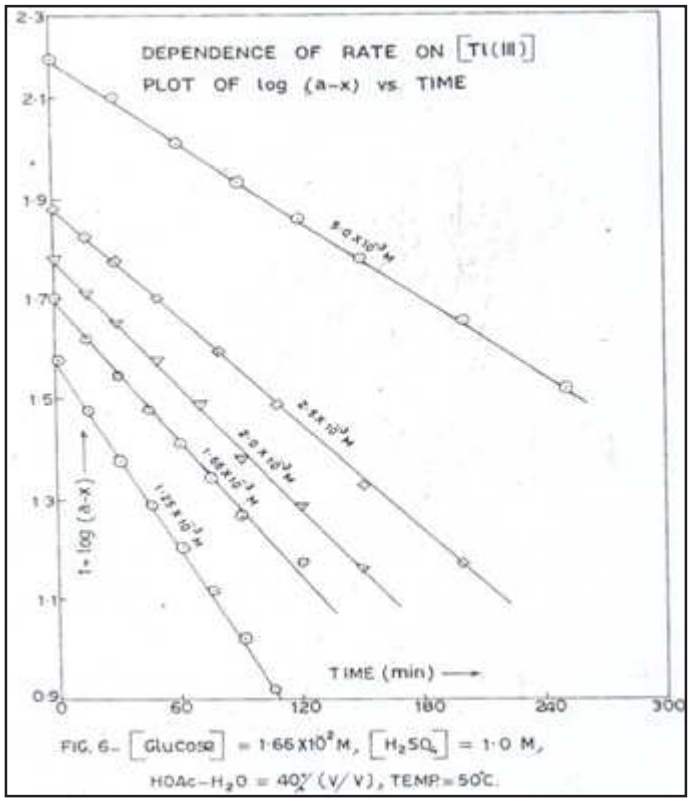

FIG. 6.- [Glucose] = 1·66 X 10^{-2}M, [H_2SO_4] = 1·0 M, HOAc–H_2O = 40% (V/V), TEMP = 50°C.

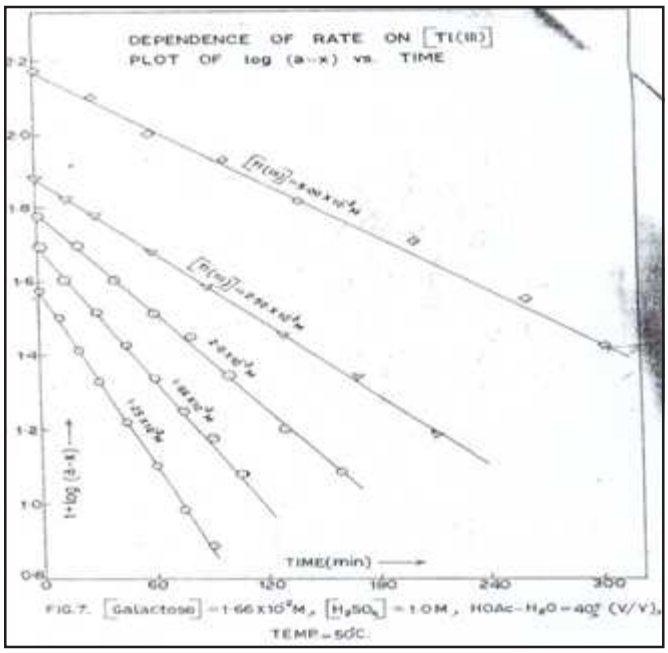

FIG.7. [Galactose] = 1·66 X 10^{-2}M, [H_2SO_4] = 1·0 M, HOAc–H_2O = 40% (V/V), TEMP = 50°C.

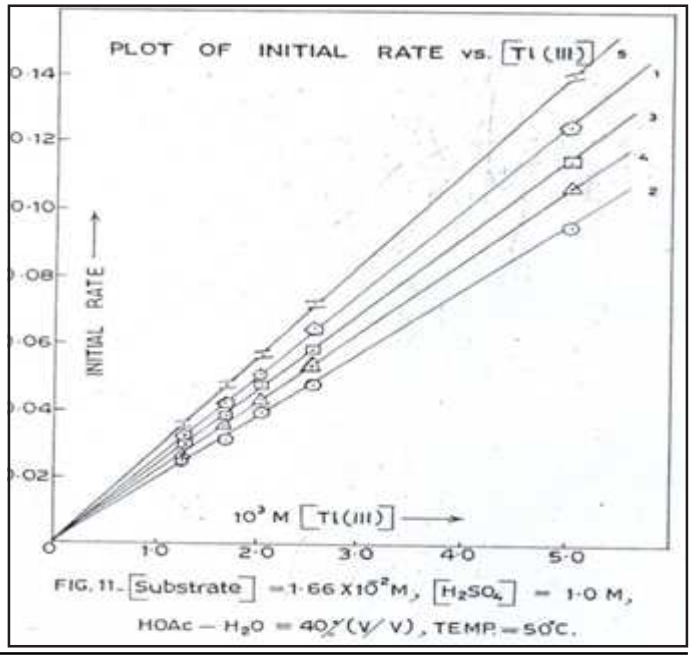

FIG. 11.- [Substrate] = 1·66 X 10^{-2}M, [H_2SO_4] = 1·0 M, HOAc — H_2O = 40% (V/V), TEMP. = 50°C.

* Guest Lecturer (Chemistry) Govt. P.G. College, Shahdol (M.P.) INDIA

The order of the reaction with respect to oxidant was determined using following methods :-

(i) Integration method.
(ii) differential method.

Integration method – The pseudo first order rate constant for the different concentration of oxidant was calculated from integrated first order rate equation (Table III B-1) which shows that the reactions follow first order kinetics but the values of rate constant decreases with increases in the concentration of oxidant. This is also confirmed from the varying slopes of the plots of log(a-x) versus Time (Fig. 6 -7).

Differential method – The initial rate of the reactions (–dc/dt) was evaluated from the plot of (a–x) versus time for each run (Table: III B–2) using plane mirror method. The plot between initial rate and [T1(III)] is linear passing through origin for each substrate suggesting that the order in thallium (III) is one (Fig. 11).

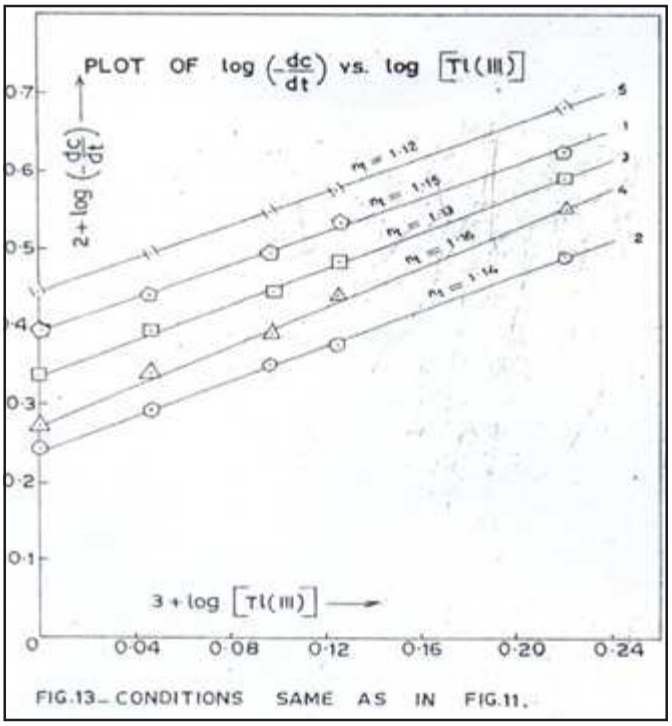

FIG.13– CONDITIONS SAME AS IN FIG.11.

TABLE : III B-2

Sr. No.	[T1(III)] 10^3M	Glucose 1	Galac-tose 2 Initial	Xylose 3(-dc/dt)	Arabi-nose4	Ribose 5
1.	1.25	0.033	0.025	0.030	0.026	0.036
2.	1.66	0.042	0.031	0.039	0.036	0.048
3.	2.00	0.051	0.040	0.048	0.044	0.057
4.	2.50	0.065	0.047	0.059	0.054	0.072
5.	5.00	0.125	0.095	0.115	0.107	0.142

further the log-log plots of (–dc/dt) against [T1(III)] were obtained linear (Fig-12, Table: III B-3) with slope (1)=0.98, (2) =1.02, (3)=1.00, (4) =0.99 and (5)=1.01 suggesting the concentration order (n_a) to be one.

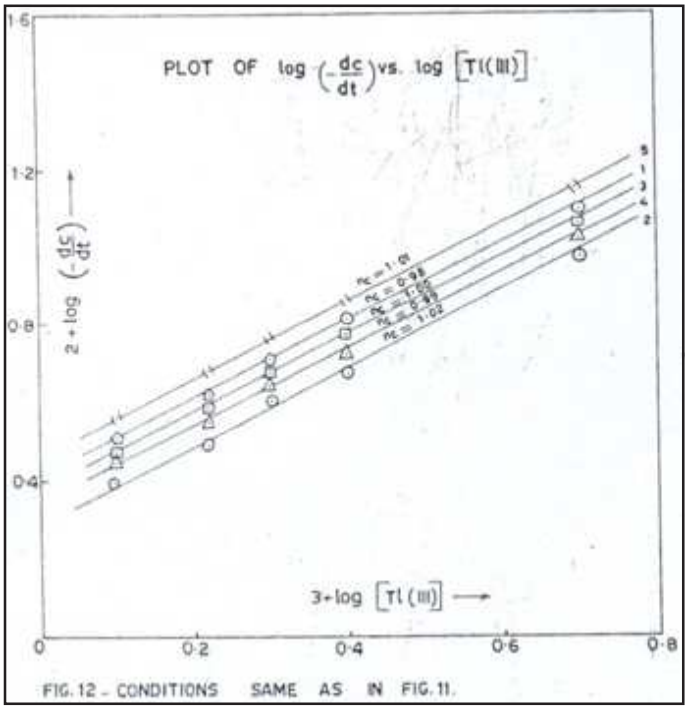

FIG.12 - CONDITIONS SAME AS IN FIG.11.

TABLE : III B-3 & **B-4 (See in next page)**

References :-

1. Shukla, S.N. and Kesarwani, R.:(a) Carbohyd. Res., 1984, 133, 319
(b) React. Kinet. Catal. Lett., 1984, 26(3-4), 409.
2. Laidler, K.J. :"chemical Kinetics" Tata McGraw-Hill, Inc. N.Y., 1980, 17.
3. Srinivasan, V.S. and Venkatasubramanisn, N.:Indian J. chem., 1970, 8, 57.
4. Mohanty, S.B. Acharya, R.C., Nanda, C.N. and Rout, M.K.:J. Indian Chem. Soc., 1976, 53, 59.

TABLE : III B-3

Sr. No.	[T1(III)] 10^3M	3+log [T1(III)]	Glucose 1	Galactose 2 Initial	Xylose 3 (-dc/dt)	Arabinose 4	Ribose 5
1.	1.25	0.097	0.518	0.398	0.477	0.460	0.556
2.	1.66	0.222	0.623	0.491	0.591	0.566	0.681
3.	2.00	0.301	0.708	0.602	0.681	0.643	0.756
4.	2.50	0.398	0.813	0.672	0.771	0.732	0.857
5.	5.00	0.699	1.097	0.977	1.061	1.029	1.146

The time order (n_e) of each reaction was determined from log-log plot between (-dc/dt) and corresponding concentration of oxidant (fig. 13, Table : III B-4) with slope (n_e) (1) = 1.15, (2) = 1.14, (3) = 1.13, (4) = 1.16, and (5) = 1.12.

TABLE : III B-4

Sr. No.	[T1(III)] 10^3M	3+log [T1(III)]	Glucose 1	Galactose 2 Initial	Xylose 3 (-dc/dt)	Arabinose 4	Ribose 5
1.	1.00	0.000	0.395	0.245	0.335	0.275	0.445
2.	1.11	0.046	0.441	0.292	0.395	0.341	0.497
3.	1.25	0.097	0.494	0.351	0.442	0.392	0.545
4.	1.33	0.125	0.535	0.375	0.485	0.440	0.574
5.	1.66	0.222	0.623	0.491	0.591	0.556	0.681

The time order (n_e) of each.

****

भारतीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक चेतना एवं संबद्धता का विश्लेषण (मतदान व्यवहार के संदर्भ में)

डॉ. ऋतु उमरे(सेन)*

शोध सारांश – मानव जीवन का परम लक्ष्य अपने जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसके लिए उसे कुछ ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है, जिसके अभाव में न उसके जीवन का अस्तित्व ही संभव है, और न ही वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। अत: **लास्की** के इस विचार से असहमत कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, इन्ही सुविधाओं और परिस्थितियों को प्राप्त करनें के लिए मानव स्वतंत्रता चाहता है तथा इसी प्रकार की स्वतंत्रता स्त्रियां भी चाहती है जो केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की मांग स्वीकृत हो जाने पर एवं व्यवहारिक रुप से लागू हो जाने पर सभी क्षेत्रों में विकास कर पायेंगी और अधिकारों का उपयोग राजनीति के क्षेत्र में कर सकती है। महिला प्रतिनिधियों के इस चिन्तन के खिलाफ संघर्ष करके ही अपनी पहचान कायम करनी होगी।

प्रस्तावना – देश के राजनीतिक परीदृष्य में आज भी महिलायें हाशियें पर है। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि आजादी की स्वर्ण जयंती बीत जाने पर भी राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का सवाल हल नहीं हो पाया है।1952 से लेकर 2014 तक सोलहवीं लोकसभा में कुल 811 महिलाओं को सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ है। प्रथम लोकसभा 1952 में महिला सांसदो की संख्या 22 यानि कुल सांसदो का मात्र 4.4 प्रतिशत थी। बाद के सालों में स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन चौदहवीं लोकसभा तक महिला सांसदो की संख्या 10 प्रतिशत को पार नहीं कर पाई जो कि वाकई चिंता का विषय है। यह विडंबना ही है कि जिस देश में महिला मतदाताओं की संख्या जो कुल आबादी की लगभग आधी हो लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत भी ना हो।

15वीं लोकसभा में महिला सांसदो की संख्या अवश्य बढ़ी पर यह स्थिती बहुत उत्साहवर्धक नहीं मानी जा सकती। दरअसल 1952 से अबतक लोकसभा में महिलाओं की संख्या 19 से लेकर 61 तक झूलती रही 1952 में 22, 1957 में 27, 1962 में 34, 1967 में 31, 1971 में 22, 1977 में 19, 1980 में 39, 1996 में 39, 1998 में 43, 1999 में 52 , 2004 में 45, 2009 में 58, 2014 में 61 महिलायें चुनाव जीती।

ये आंकडे साबित करते हैं कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई है। हांलाकी हर पार्टी मंचों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने की बात करती है, परन्तु व्यवहार में उसका आचरण ठीक उसके उल्टा है, जाहिर है कि राजनीतिक दलों की नियत और नीत में फर्क है। एक तो राजनीतिक दल महिलाओं को नाममात्र की ही टिकट देते हैं, इन नाम मात्र की टिकटों में भी भेदभाव किया जाता है। ज्यादातर टिकट राजघरानों की महिलाओं को दिए जातें हैं। साधारण परिवार में महिलाओं को टिकट देने में प्राय: गुरेज किया जाता है, पार्टी संगठनों में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादातर बेहतर नहीं है। प्रमुख पार्टियों की चुनाव समिति में महिलाओं की नुमाइंदगी ही नाममात्र की है । ऐसी स्थिती में भला महिलाओं को टिकट दिए जाने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। अब फिर टिकटों के बटवारे का मौसम आ गया है। इस बार भी राजनीतिक दल की जीत की संभावनाओं जातीय समीकरण आदि के तर्कों पर महिलाओं की भागीदारी को नज़र अंदाज करेंगे।

वही लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ईकाई है पंचायत, यहीं से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी प्राचीन समय से लेकर महात्मा गांधी के समय तक पंचायत की बात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो ढंग से होती रही है। वर्ष 1955 में पंचायतों की व्यवस्था की गई जो कई कारणों से आज असफल सिद्ध हुई है। इस एक बहुत बड़े अंतराल के बाद 1993 में 73 वें एवं 74 वें संसोधन पर अभी तक हाशिए पर रही। महिलाओं को इसमें 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो समाज में उनकी व्यापक भागीदारी को प्रभावित करती है, जैसे पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा, रूढ़ीवादी परंपरा, अशिक्षा, पितृसत्तात्मक समाज, अचेतना, वंश जाति, परिवार, समाज आदि।

भारतीय महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व

घरेलू हिंसा– महिलाओं के प्रति पुरूषों की संकीर्ण विचारधारा के कारण महिलाए घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, राजा महाराजाओं के समय से कई रानियों को रखना भी महिला हिंसा ही थी, पुरूष वादी सोंच ने महिलाओं को आज दबाकर रखा है। जहॉ एक ओर महिलाओं का देवी समझ पूजा जाता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं का शोषण किया जाता है।

रूढ़ी वादी परंपरा – जिसके कारण से घर में महिलाओं के साथ हिंसा किया जाता था। पुरूषों से पहले खा लेने पर उन्हे मारा पीटा जाता था।

क्या भारत में महिलाए अपनी मर्जी से वोट देती हैं? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि महिलाओं की रूचि राजनीति जैसे मामलों में कम होती है, वे अखबार मैग्जीन कम पढती हैं, न्यूज चैनल भी नहीं देखती हैं। ऐसे में घर की महिलाए भी घर में पुरूषों की बात मान लेती हैं। गॉवों में तो ये बात आम है।

कोई महिला किसे वोट देती है यह उसकी चेतना से जुड़ा मामला है। ग्रामीण और निरक्षर महिलाए भी सचेतन होती है और अपने विवेक से वोट डालती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में सचेतना नहीं है।महिला जितने प्रतिशत

*अतिथि विद्वान, पं.शंभूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

स्वावलंबी होती जाएगी, वह स्वविवेकी से मतदान करने का निर्णय लेती जायेंगी।

पिछलें कुछ सालों में मतदान व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है जिसमें सवर्ण जातियों, की महिलाओं की अपेक्षा निम्न जातियों की महिलाए राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हो गई हैं। वे अपने घर के पुरूषों से विरोध करके भी अपनी मनमर्जी से मतदान करती हैं।सवर्ण महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है।घोर पितृसत्तात्मक समाज में औरतों की राजनीतिक और सामाजिक चेतना कुंद होती जाती है।और मतदान व्यवहार इसी चेतना पर निर्भर करता है। बहुत सी महिलाएँ अपना वोट अपने घर परिवारवालों के कहने पर देती हैं। कुछ महिलाए होती हैं जो विज्ञापन, नारों घोषणाओं के आधार पर देती हैं। कुछ जाति वंश के प्रभाव में अपना वोट डालती हैं फिर भी इस क्षेत्र में बहुत महिलाए ऐसी हैं जो स्वयं के विवेक से प्रत्याशी की योग्यता व क्षमता का सही मूल्यांकन कर अपना वोट डालती हैं।

शोध में पाया गया कि गॉव हो या शहर, प्रत्येक में महज 10 प्रतिशत उच्च शिक्षित महिलाए ही अपनी मर्जी से मतदान करती हैं। 12वीं तक पढ़ी-लिखी 3 फीसदी शहरी और 5 फीसदी ग्रामीण महिलाए स्वतंत्र मतदान करती हैं जबकि अनपढ़ महिलाओं में केवल दो फीसदी ही अपनी मर्जी से मतदान करती है। जातिगत आंकड़ो के मुताबिक ग्रामीण इलाको में सामान्य जाति की सिर्फ दो फीसदी और शहरी ईलाकों में 4-5 फीसदी महिलाए ही वोट डालने का फैसला स्वयं करती हैं।

पति की मर्जी पर डलते हैं पत्नियों के वोट- वोट पत्नी की मगर मनमर्जी पति की। जी हॉ आजाद देश में महिलाओं को समान अधिकार को लेकर जगी हुई अलख में वोट के मामले में कुछ ऐसा ही अंधकार छाया हुआ है। वोटों की बुनियाद पर खड़ें इस लोकतांत्रिक देश में आज भी पत्नियां मतदान के मामले में अपने पत्नियों के हुक्म की तामील ही करती हैं। कहना न मानने का ता सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह कोई उपरी बात नहीं, बल्कि यथार्थ पर खडा हुआ एक सच है। इस सच को उजागर किया कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के **डॉ. सुखदेव शर्मा, डॉ. अजमेर हुड्डा** व अर्थशास्त्र विभाग के **डॉ. प्रदीप चौहान** के ताजा सर्वेक्षण ने सर्वेक्षण के अनुसार महिलाए वोट डालने के मामले में मनमर्जी नहीं कर सकती उनके वोट पर अधिकार उनके पतियों का ही होता है।

हरियाणा के सभी जिलों में यह सर्वेक्षण कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के महिला शोध केन्द्र ने करवाया है।इसमें सबसे हैरानी वाला तथ्य यह सामने आया है कि सिर्फ 20 से 30 फीसदी महिलाए ही अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी को वोट दे पाती हैं। बाकी के मामले में मतदान के समय वे किसी पारिवारिक पुरूष सदस्य के आदेश से प्रभावित होती हैं।

शोध करने वाली टीम का प्रमुख उद्देश्य था, महिलाए मतदान के समय अपने विवेक का कितना इस्तेमाल करती है। टीम के सदस्य **डॉ. सुखदेव शर्मा** के अनुसार शोध को मुख्य रूप से इस बात पर केन्द्रित किया गया था कि क्या महिलाए स्वतंत्र ढंग से मतदान कर पाती है और कितनी फीसदी महिलाए अपने पति और अपने पिता से वोट डालने का सांझा फैसला करती हैं और कितनी फीसदी महिलाएं अपने परिवार के पुरूषों के वोट पर प्रभाव रखती है।

इस चौकाने वाले सर्वे के नतीजे यही बताते हैं कि लड़कियॉ क्या पढे, क्या पहने, उनकी शादी कहॉ हो, किससे हो, यह तो परिवार वाले तय करते ही हैं मगर अस्सी प्रतिशत घरों में पुरूष ही यह तय करते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं किसे वोट दें, पिछडी जाति की महिलाओं में ग्रामीण इलाकों में 1-2 फीसदी व शहरों में 2-3 फीसदी महिलाएं अपना मनमाना मतदान कर पाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की 4-5 फीसदी दलित महिलाए और शहरी क्षेत्रों में 7 से 8 फीसदी अपनी इच्छा से मतदान करती है।

सर्वेक्षण में आत्मनिर्भर महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर बताई गई है। गांवों में 20-30 फीसदी और शहरों में 30 से 40 फीसदी कामकाजी महिलाएं स्वेच्छिक मतदान करती है। जिन महिलाओं के पति नौकरी पेशे के कारण घरों से दूर रहते हैं, उनमें से 60-70 फीसदी ग्रामीण और 70-80 फीसदी शहरी महिलाएं खुलकर मताधिकार का उपयोग कर पाती हैं।

भारतीय राजनीति में आजादी के इतने वर्षो बाद भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम बनी हुई है। वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है। विकास की धारा इन्हें प्रभावित नहीं कर पाई है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हे विकास की धारा से जोड़ा जाए। तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लांघकर आज की महिला ने अपना अस्तित्व कायम किया है। भारत की राजनीति में वर्षो से पुरूष ही राज करते हैं। हालॉकि भारत उन देशों में से एक है जिसने देश को पहले ही अपनी बागडोर इंदिरा गॉधी के हाथों में सौंप दी थी, लेकिन आज भी हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। भारतीय राजनीति में महिला भागीदारी बहसों और सेमिनारों में रहती है।

देश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस व भाजपा ने पार्टी के संगठन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर रखा है।लेकिन इस नियम का ईमानदारी से पालन नहीं हो पाता है। भारत की आधी शक्ति एवं क्षमता होने के बावजूद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम रही है।

निष्कर्ष - भारतीय राजनीति में आजादी के इनते वर्षो के बाद भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम बनी हुई है। वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है विकास की धारा इन्हें प्रभावित नहीं कर पाई है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें विकास की धारा से जोड़ा जाए। तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लॉघकर आज की महिलाओं ने अपना अस्तित्व कायम किया है।भारत की राजनीति में वर्षो से पुरूषों ने ही राज करते आये हैं। हलाकि भारत उन देशों में से एक है। जिसने देश की बागडोर पहले ही इंदिरा गॉधी के हाथों में सौंप दी थी। लेकिन आज भी हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। भारतीय राजनीति में महिला की भागीदारी बहसों और सेमिनारों में रहती है। भारतीय राजनीति के आम चुनावों में महिलायें बहुत कम संख्या में भाग लेती है। वो प्राय: राजनीति की उॅची कुर्सी को प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं। आज का प्रदूषित राजनीतिक वातावरण महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का आकर्षण नहीं देता। इसके उपरांत भी भारतीय महिलायें अपनी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति करना चाहती है। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने स्वयं के बलबूते पर महत्वपूर्ण स्थिति बनाई है।

महिलाये अब अपने मत का प्रयोग अपने स्वविवेक से करने लगी है। पहले और अब की महिला मतदाताओं में अंतर देखा गया है। पहली की महिलाये वंश, जाति, व्यक्ति या अपने पति या अपने परिवार वालों के कहने पर अपने मत का प्रयोग करती थी। किन्तु आज परिस्थितियॉ बदल चुकी हैं। आज महिलायें अपने मतों का प्रयोग प्रत्याशियों को परखकर तथा उनकी

नीतियों को जानकर करती हैं।

संदर्भ ग्रथ सूची:-

1. महिला मताधिकार पर बहस - www.streekaal.com,blog. post25
2. Bhaskar News Network-March /09 /2014
3. **रोजगार और निर्माण-** जनसंपर्क विभाग मध्यप्रदेश
4. **नया इंडिया टीम-** नया इंडिया राजनीतिक ब्यूरो 26th 2013
5. www.dnaindia.com,locality.
6. **परिचर्चा -** विषय (मतदान व्यवहार), रायपुर।
7. **शोध प्रबंध-** राजनीति विज्ञान, महिला मतदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन।
8. सिरीस्कर व्ही.एम.सावरेन्स विदाउट क्राउन्स, ए. बिहेवियरल, एनालिसिस आफ दि इंडियन, अलेक्टोरल प्रासेस, बम्बई पापुलर 1973।
9. वर्मा, बी.एन.एंड के वर्मा-बुलेट्स एंड बेलट्स, दि पार्लियामेंटरी अलेक्शन्स इन इंडिया 1984।
10. वर्मा शांति प्रसाद एंड सी.पी. भाम्भरी अलेक्शन एंड पोलिटिकल कानशसनैस इन इंडिया मेरठ 1967।

****

मतदान व्यवहार का सैद्धान्तिक विश्लेषण

डॉ. ऋतु उमरे(सेन)*

प्रस्तावना – वर्तमान लोकतंत्रो का आधार चुनाव है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वह शासन है जिसमें सत्ता अंतिम रूप से जनता में केन्द्रित रहती है। इस व्यवस्था का आदर्श स्वरूप प्राचीन यूनान के राज्य थे जहॉ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती थी। किसी विषय पर निर्णय नगर के बाहर एकत्रित होकर नागरिक समूहों द्वारा किया जाता था। लोग इस समूहों में भाषण देते थे। वाद विवाद करते थे और हाथ उठाकर बहुमत से निर्णय लिये जाते थे। आज नगर राज्यों की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। नगर राज्य आज के बड़े गांवों या छोटे नगरों के समान होते थे। इनमें एथेन्स और स्पार्टा प्रमुख थे।

आज के बड़े राज्यों में यह व्यवस्था संभव नहीं है। प्रत्यक्ष (Direct Greek Democracies) अतएव यूनान लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधि लोकतंत्र (Representative Democracies) की स्थापना हुई। करोड़ों लोगों के द्वारा यूनानियों के समान नगर के बाहर बैठकर कोई निर्णय लेना असंभव है। 19 वीं शताब्दी के बाद सामंतवादी राज्यों की समाप्ति हो चुकी थी और उनके स्थान पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन लोकतंत्रों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने लगा और ये प्रतिनिधि ही देश और ये प्रतिनिधि ही देश संसदों या विधायकों में बैठकर देश का शासन चलाने लगे। उसके बाद धीरे–धीरे गुप्त मतदान प्रणाली (Secrete Ballet of System) का प्रयोग होने लगा।

आज मतदान की प्रणाली का बड़े व्यापक पैमाने पर उपयोग होने लगा है। विभिन्न दल दबाव समूह व्यवस्थापिका आदि क्षेत्रों में लोग मतदान करतें हैं जिसे चुना जाता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने चुनने वाले मतदाताओं और निर्वाचकों के हितों में कार्य करेगा। यह नैतिक दायित्व दुहरा है मतदाताओं का दायित्व है कि वह सुयोग्य प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे और प्रतिनिधियों का दायित्व है कि मतदाताओं के आदेश का पालन करें। यह विचार कि लोकतंत्र में मतदाताओं का एक–एक मत कीमती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अगर वे मत का गलत ढंग से प्रयोग करे गलत प्रतिनिधियों को पैसा लेकर या अन्य निजी लाभ के लिए बेच दे तो गलत प्रतिनिधि चुनकर आ जायेंगे और वे भी जितना उन्होनें खर्च किया उससे कई गुना पैसा निकालने या अन्य लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यही मतदान और चुनाव का आधार है। अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव कीजिए और इन प्रतिनिधियों से लोकहितकारी लाभ करवाइए।युनानी लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि वे सोचते थे कि कोई प्रतिनिधि कभी भी उनकी इच्छाओं आर्थात् लोक या राज्य के हित में कार्य नहीं करेगा। यूनानियों ने इस विचार को रूसो से अपनी सार्वजनिक इच्छा के सिद्धांत (Theory of General Will) में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति की इच्छा को उसी व्यक्ति की इच्छा को उसी व्यक्ति के द्वारा इस इच्छा का अभिमत किया जाना संभव नहीं हैं।

किन्तु आज प्रत्येक व्यक्ति शासन में भाग नहीं ले सकता। आज के राज्यों में प्रतिनिधि शासन ही संभव है। प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं अतएव प्रतिनिधि को मतदाताओं की इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। यही कारण है कि आज मतदाता कैसा व्यवहार करते हैं यह विषय अत्यधिक महत्व का हो जाता है और इसीलिए यह धारणा भी बलवती होती जा रही है, कि जैसे मतदाता होगें वे वैसे ही प्रतिनिधि का निर्वाचन भी करेगें।

भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है वह सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। मताधिकार नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच समानता स्थापित करता है। प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक आदि यह नहीं कर सकते कि वे शासक है और शासितों या मतदाताओं से उंचे है और मतदाता अपने मत का सदुपयोग करेगा और पूरी राजनैतिक व्यवस्था और राष्ट्र की राजनीति का अच्छी तरह से अध्यन करके मतदान करेगा वही आदर्श मतदाता होगा।

मतदान व्यवहार के बारे में कई अध्ययन हुए हैं, सम्पूर्ण चुनाव व्यवस्था में आमुल सुधार के सुझाव पेश किये गये हैं। चुनाव की वर्तमान व्यवस्था में कई दोष आ गये हैं। धन, बल, बाहुल आदि–आदि का प्रभाव बढता जा रहा है। यह आम आरोप है कि चुनाव के समय पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और जो पैसा बहाया जाता है तो चुनकर आये लोग इस पैसे को तो वसूल करेंगे ही, साथ ही अगले चुनाव के लिए भी पैसे का इंतजाम करेंगे। लोगों में यह धारणा फैलती जा रही है कि चुनाव पूर्व सांसद का जैसा जीवन स्तर था चुनाव के बाद उसमें आमुल परिवर्तन हो गया है। उसके पास बंगले, कार आदि हैं और उसमें कई कीमती जमीन को खरीद लिया है। चुनाव के पूर्व कम लोग उम्मीदवार के पास आते थे, चुनाव के बाद उसके पास ढेर सारे लोग आने लगे उसके आगे पीछे चलने लगे है। वह अपने को शासक समझने लगा है। चुनाव आयोग की व्यवस्था है किन्तु चुनाव प्रतिनिधि जिन हथकंडो को अपनाते हैं उस पर वे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकते।

भारत में चुनावों का व्यवहारवादी अध्ययन हाल ही में प्रारभ हुआ। यह अध्ययन लगभग 40 वर्षो से किया जा रहा है किन्तु पश्चिमी देशों में यह अध्ययन लगभग 60 से 70 वर्ष पुराना है। मतदान व्यवहारों और चुनावों के अध्ययन में अब सुस्थापित वैज्ञानिक प्रणालियों का अध्ययन किया जा रहा है। चुनाव में मतदाता की मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। आजकल कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है इनसे केवल मशीनी अध्ययन ही संभव है, कम्प्यूटरों द्वारा संग्रहित किये आंकड़ो का विश्लेषण ही किया जा सकता है। किन्तु

*अतिथि विद्वान, पं.शंभूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

मतदान के पूर्व मतदाता के मस्तिष्क में कौन से विचार उठ रहें है, लोगों के आचार विचार जिन्हें हम राजनैतिक संस्कार और आर्थिक संस्कार कहते हैं इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता, इन पर कम्पयुटर की कोई पकड़ नहीं। हर व्यक्ति अलग–अलग बातों से प्रभावित होता है। थोड़े से ही मतदाता ऐसे हैं जो सोच समझकर मत देते है अधिकांश लोग बिना सोच समझे मत देते हैं। ऑकाड़ों का अध्ययन जरूरी है किन्तु ऑकड़ों के साथ–साथ मतदाताओं की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक परिस्थितियों का भी अध्ययन होना चाहिए। चुनावो के व्यवहारवादी अध्ययन में इन सभी बातों का विशेष रूप से अध्ययन होना चाहिए। सोच समझनकर मत देने वाले और बिना सोंच समझ मत देने वाले मतदाताओं की संख्या 70 से 80 प्रतिशत तक हो सकती है। कई मतदाता मतदान में भाग नहीं लेते कुछ प्रतिशत मतदाता अस्थिर अनिश्चित होते हैं, उनको मत देना है इसलिए वे मत देते हैं इन्हें (Floating Voters) की संज्ञा दी जाती है। ऊपर जो प्रतिशत दिये गये हैं वे कोई निश्चित गणितीय तथ्य की ओर इंगित करते।

वे एक प्रतृप्ति की ओर इंगित करते हैं। कई ऐतिहासिक धारणाओं का भी मतदान पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। जैसे इंदिरा गांधी या क्षेत्र के किसी बड़े नेता की हत्या इससे मतदान व्यवहार पर तुरंत प्रभाव पड़ता है इस तरह से चुनावों का अध्ययन करते समय दर्जनो कारणों, प्रभावों का भी अध्ययन किया गया।

आज के लोकतंत्र ने सरकार के निर्णय में थोडे से चुने हुए लोंगों का प्रभाव है, वे ही मतदान ही के समय सक्रिय रहते हैं, वे ही सरकार के संचालन में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। ऐसी व्यवस्था (एश्रळींश) एलीट की व्यवस्था है। एलीट वर्गों की मतदाताओं को प्रभावित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहॉ एलीट वर्गों की भूमिका कमजोर होती है वहॉ मतदान का प्रतिशत नीचे गिर जाता है।

एलीट वर्ग दोनों संस्थाओं में अवस्थित होते हैं। रातनीतिक दल और दबाव समूह चुनाव के अवसर पर दबाव समूह की भूमिका एकाएक बढ़ जाती है, वे विविध हितों का जोरदार भूक्षरण करने लगते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। यह नारा अक्सर सुनाई पड़ता है। यदि दबाव समूह न रहे तो लोगों की अधिकांश मांगों का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी ओर राजनीतिक दल दबाव समूह द्वारा उठाये गये मांगों को एकत्रित करते हैं और उनकों चुनावी घोषणा पत्र (Menifesta) का साार्वजनिक तौर का प्रकाशन प्रचार आदि करता है और उसके आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इन तत्वों के अतिरिक्त भी अन्य कई तत्वों का मतदान की प्रक्रिया मतदान के तौर तरीकों पर प्रभाव पड़ता है जैसे जाति, भाषा, धर्म, साम्प्रदायिकता, प्रेस सूचना ओर प्रसार के अन्य साधन जैसे दूरदर्शन रेडियो आदि।

मतदान व्यवहार एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है – इस प्रकार अब तक लोकतंत्र के बारे में पूर्व धारणाओं का खंडन हो चुका है। पूर्व में प्रचलित दो धारणाएं थी मतदाता सम्प्रभु है और वह सरकारों के निर्माण में और सरकारों को गिराने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। यह धारण खंडित हो चुकी है। सरकारों के निर्माण में एलीट वर्ग, दबाव समूह, प्रेस दल, जाति, भाषा आदि तत्वों की विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। मतदाता की भूमिका के स्थान पर इन्ही तत्वों की भूमिका होती है। राजनैतिक व्यवस्था में यही तत्व मुखरण (Article Action) का कार्य करते हैं और मतदाता इन सभी प्रभावों से प्रभावति होकर मतपेटियों में जाकर मत दे आता है। मतपेटियों में मत डालना ही उसका प्रमुख कार्य है। शेष कार्यो को सम्पन्न करने का कार्य इन विविध तत्वों का है।

मतदान व्यवहार के अध्ययनों ने जो एक दूसरी धारण का खंडन किया है वह मतदाता का विवेकशील होना है। राजनीति में विवेक का प्राधान्य (Rationalism Political) नहीं है। विज्ञान के उदय के साथ यह समझाा जाने लगा कि व्यक्ति एक विवेकशील Rational प्राणी है। वह जो कार्य करता है वह बहुत सोच समझकर करता है। यह कहा गया है कि जहॉ अन्य प्राणी अन्त: प्रेरणाओं में से प्रेरित होता है और तर्क विवेक करने की उसमें क्षमता उसमें नहीं होती, वहीं मनुष्य कहीं एक ऐसा प्राणी है जिसमे तर्क विवेक करने की शक्ति है। इस तर्क वितर्क की शक्ति के कारण मानव इस सृष्टि का सिरमौर बन चुका है। यही बात मतदान की प्रक्रिया पर लागू होती है। व्यक्ति बहुत सोच समझकर मतदान करता है। अत: वह सबसे योग्य उम्मीदवार को ही मत देता है।

किन्तु इस विचार का आज कई दृष्टिकोणों से खंडन हो चुका है। मनोवैज्ञानिकों को, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों यहां तक की राजनीतिशास्त्र के विद्धानों ने इस बात का खंडन कर दिया है कि मनुष्य एक उतना विवेकशील प्राणी नहीं है जितना कि उसके बारे में समझा जाता है। वह अंत: प्रेरणाओं से बहुत अधिक संचालित होता है। वह क्षणिक जोश में आकर बहुत सी बातें कर बैठता है जिसके लिए वह भविष्य में पछताता भी है। इसे कहते हैं, सोचने का काम बहुसंख्यक जनता का नहीं है। इस संबंध में मार्गदर्शन एलीटस नाना प्रकार के दबाव समूह और राजनीतिक दल करते हैं, जाति, भाषा, धर्म अर्थिक और सामाजिक परिस्थितियॉ उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं।

यही कारण मतदाता की सम्प्रभुता के सिद्धांत को खंडित करते हैं। मतदाता सम्प्रभु नहीं है वह स्वेच्छा से कार्य नहीं करता है। समाज के नेताओं या एलीट वर्ग से वह बुरी तरह प्रभावित होता है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकांश व्यक्ति राजनीति में उतनी गहरी रूचि नहीं लेते जितना कि सोचा जाता है। अधिकांश व्यक्ति राजनीति के प्रति उदासीन होते हैं और उनकी इस उदासीनता के चलते यह मूर्खता होगी कि आम व्यक्ति राजनीति में सक्रियता पूर्वक अपनी भूमिका अदा करता है। राजतनीति के इस उदासीनता के रोग को (Political Pathology) राजनैतिक उदासीनता कहा जाता है। जिसमें राजनैतिक प्राणी को सक्रिय न बनाकर एक बीमार व्यक्ति का रूप प्रदान कर दिया है। जिसे दवा देने, रोग मुक्त करने के लिए कई चिकित्सक हैं। जिन्हे एलीट दल दबाव समूह आदि कहा जाता है। आज राजनीतिक उदासीनता के कारणों का विशेष रूप से पॉलिटिकल पैथालॉजी के अंतर्गत अंध्न किया जाता हैं। (राजनीतिक उदासीनता का चिकित्सा शास्त्र) इन्हीं सब कारणों से आज का मानव विच्छिन्नता, (Anomie) विसम्बन्धन और अस्तित्व की समस्याओं Existentialism से गुजर रहा है। यही कारण है कि आज भी तुलसी दास की यह उक्ति लागू होती है। 'कोउ नृप हो हमें का हानी'। कोई भी चुना जाए या कोई भी सरकार चलाए उससे हमे क्या मिलना जुलना है वास्तविक शक्तिधन, बल को चुने हुए लोगों में ही केन्द्रित रहेगी। राजनीति में इस अपराधीकरण , भ्रष्टाचार, मिथ्याचरण को देखकर ही किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति गुंडागर्दी का खेल है (Politics is game of Scoundrels)।

राजनैतिक व्यवस्था में चुनावों की जटिल भूमिका को निर्वाचकों के मतदान आचरण के व्यवहार पर ही स्पष्ट करना संभव होने के कारण मतदान आचरण के अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा। यूरोप विषेशकर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययन होने लगे। इन सब अध्ययनों में मतदान की आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को

समझने का प्रयास किया गया। समाज और व्यवस्था में मनुष्य अपने को जिस प्रकार से समायोजित करने का प्रयास किया ।उनका राजनीतिक व्यवहार भी वही रूप धारण करता है इन मतदान व्यवहार के अध्ययनों में इस बाज को समझनें का प्रयास किया गया कि व्यक्ति का मतदान आचरण कब, क्यों और कैसे तथा किन तथ्यों से प्रभावित होता है। सभी मतदान आचरण अध्ययनों के केन्द्र बिन्दु तथा प्रमुख उद्देश्य यह जानना रहा है कि मतदाता वोट देते समय किस या किन–किन तथ्यों से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। वे कौन से मुद्दे हैं, जो आम मतदाता को अपना मत इधर से उधर देने के लिए प्रेरित करतें हैं।

पारस्परिक राजनीतिशास्त्र के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी इस उदार मान्यता को आँख मूँदकर स्वीकार कर लिया गया था कि मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का विश्लेषण करते हुए उन्हे अपने हितों के साथ संबंधित करते हुए काफी सोच समझकर अपनी बुद्धि, विवेक का प्रयोग करके मतदान करता है। अपने हितों के संदर्भ में वह पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों के अलावा अपनें राजनीतिक मूल्यों का विषेश ध्यान रखता है। मोटे तौर पर इस मान्यता को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन यह मान्यता मतदान व्यवहार की वास्तविकता का विश्लेषण करनें सहायक नहीं हो सकती क्योंकि मतदान करनें में मतदाता अपनी मात्र अपने बुद्धि, पसन्द तथा हित का ही ख्याल नहीं रखता बल्कि वह अन्य तत्वों से भी प्रेरित होता है। इसके अलावा बुद्धि, पसन्द तथा हित उपरी तौर पर ही प्रेरक तत्वों की भूमिका निभा सकतें हैं और वास्तविकता कुछ दूसरी ही हो सकती है।

नागरिकों के द्धारा मतदान का उपयोग करना ही नागरिकता है। वह जिस प्रकार से अपने मतदान का उपयोग करेगा उसकी नागरिकता की प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी। किन्तु जब मतदान आचरणों का और लोकतंत्रीयता चुनवों का व्यवहारवादी अध्ययन आरंभ हुआ तो यह सब आदर्शवादी दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं। अधिकांश मतदाता कई ऐसे कारकों, तत्वों से प्रभावित होता जो इसकी निजी संकुचित हित, जातिगत हित, रक्त संबंध, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता आदि बातों से प्रभावित होता है। उसे समाज और राष्ट्र की परवाह नहीं होती। कई लोग दलों, दबाव समूहों के प्रभावो में मत देते हैं। कई तो बिना सोचे समझे मतपेटियों में मत डाल के चले जाते हैं। इस प्रकार अधिकांश मतदाता उच्च मूल्यों, आदर्शों, अपने विवेक को दरकिनार कर देते हैं। और कुछ अन्य बातों से प्रभावित होकर मतदान करतें हैं। नीति संबंधी मुद्दों पर मत देने वालों का प्रतिशत कम होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

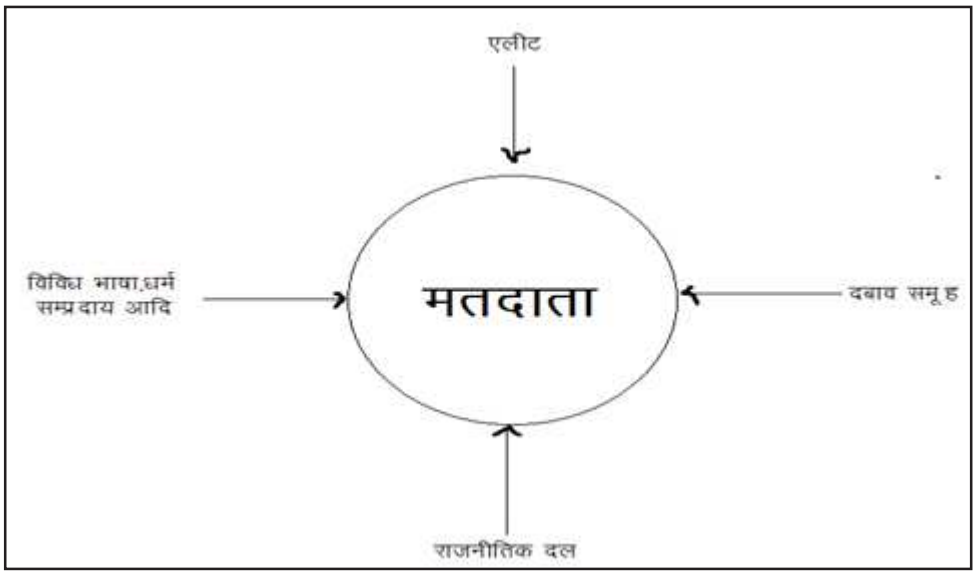

****

Rebellion Theme in Shakespeare's Tragedies

Dr. Pallavi Sharma *

Introduction - The age of Elizabethan has rightly received the remark of Hamlet "What a piece of work is man!" Started with the year 1550, the Elizabethan age witnessed one of the richest periods in the history of England.

William Shakespeare , the great dramatist, was not of an Age, but of Ages. He reigns supreme in dramatic art and he is the sovereign of the willing soul. His understanding of human nature, portrayal of characters and presentation stand no comparison.

Shakespeare's all great tragedies are the outcome of some profound personal experience. The invention of the dramatist has given then a habitat , the poet's insight has impressed the crude facts with a poignancy and passion.

Due to all these excellent qualities of his work, I decided to read Shakespeare's tragedies thoroughly. The one common thing was the theme of Rebel. This rebellious passions were hovering around all Shakespeare's tragedies. In common term it is believed that only a villain can rebel but we find that all characters in all tragedies are affected from rebellious passions.

In the famous soliloquy of the play Hamlet, the hero himself utters rebellious words-

"To be, or not to be; that is the question:
Whether it is nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
and by opposing end them?"

In king Lear the rebellious passion arises due to the individual behavior of characters when we see the king we find him slightly insane, incapable to take right decision and these shortcomings in his characters are responsible for his rebellious actions which have become rebellious not only for king but for other characters as well.

In Macbeth the tempting words of witches have become rebellious for the hero Macbeth . At the same time his wife lady Macbeth also induces him to rebel. In this way the induced rebellious instinct dominates the whole tragedy.

Othello is a domestic tragedy where the hero has suspicious rebellious instinct. This instinct of Othello forces him to rebel against his own lovable beautiful innocent wife Desdemona. Through the villain Iago, rebellious passions enter into the heart of hero. As a result of such rebellious instincts all characters reach towards their tragic end.

In other minor tragedies of Shakespeare, namely Antony & Cleopatra, Julius Caesar, Coriolanus, Romeo and Juliet and Timon of Athens such rebellious passion is present everywhere.

In his tragedies Love, Friendship, Marriage, the ties of parent and child, jealousy, ambition, hatred, revenge, loyalty, devotion, mercy etc. were not insignificant affairs because belonging to a world which passes away: human life being of importance, these, the blessings and curses of human life were important also.

In his tragedies while dealing with rebellious theme he does not present women as neither as a satanic bait to catch the soul of man nor as the supernatural object of medieval chivalric devotion, she was no miracle, yet not less nor other than that endlessly interesting thing – women.

let us not suppose because Shakespeare declines to assault the real world and the world of imagination and take them by violence, that he is therefore a person of slight force of character. So we like Shakespeare because of his rich profound and meaningful utterance about life and its varied aspects. He may not have a philosophy of life but his observations about life and its different facets are so meaningful that we do not find such a rich treasure house of wisdom regarding human life in any of the plays of his contemporaries and dramatists of the later times.

So we can find that theme of rebel is dominating every character. In Hamlet his rebel is partially induced and partially due to his own conscience. Firstly he rebels against his mother's hasty marriage but after ghosts' revelation he rebels against his inner rebellious instinct of over thoughtfulness throughout the play and reaches at the end of his tragedy. In king Lear, the king has to suffer due to his evil, rebellious passions for his daughter Cordelia. But during his own suffering his target of rebel shifts from Cordelia to Goneril and Regan.

In Othello hero's self reliance and honesty give him a position of supreme significance. He has full control on his passions but his friend Iago induced him to rebel against his wife Desdemona. Here the writer is presenting the cause

* Guest Faculty (English) Govt. S.M.S.P.G. College, Shivpuri (M.P.) INDIA

and source of rebel through a simple handkerchief.

In his Roman Tragedies like Julius Caesar, Antony & Cleopatra etc. we find that rebel arises due to the extreme Love and reliance of the hero towards his companion. Caesar does not know that his dearest friends of senator are conspiring against him. His close friend Brutus rebels against him for the sake of his country.

In Antony & Cleopatra the feeling of love is the source of rebel in the play. Sometimes the feeling of love between two lovers overpowers theirs duties towards their nations and sometimes their love shatters and they prefer their duties towards their country as their main motive.

Kingdoms are clay for Antony when his passionate love for Cleopatra rebels against his love towards his country. But when he is overpowered by the feeling of responsibility for his nation, he decides to return Rome to help his nation, his friends and the citizens against the threat of attack of Sextus Pompus.

To sum up I can say that Shakespeare has presented rebellious theme in his tragedies in various forms and moods. By depicting the rebellious theme in his tragedies he wishes to communicate the message to the readers that excess of everything is bad. To meditate is good, but to be too thoughtful is harmful; never to be too biased in your judgments, never to be overpowered by supernatural sources, never turn too suspicious, never make haste, never have fluctuation on your decisions, never have too faith on any man, never be too expensive and never have too pride, otherwise all these rebellious emotions, instincts are going to be harmful to human beings.

References:-

1. Personal Research.

****

म.प्र. वित्त निगम द्वारा प्रदत्त औद्योगिक ऋणों का तुलनात्मक अध्ययन (इन्दौर जिले के संदर्भ में)

डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा *

प्रस्तावना – केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति तथा विभिन्न प्रान्तीय समितियों ने भारत में औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित करने की सिफारिश की। इसी श्रृंखला में राज्यों में वित्त निगमों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा म.प्र. में वित्त निगम सन् 1956 में स्थापित किया गया। इसका प्रधान कार्यालय इन्दौर में स्थापित है। निगम का मुख्य उद्देश्य म.प्र. में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य और केन्द्र सरकारों की औद्योगिक नीति को लागू करना तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों, कुशल कारीगरों और महिला उद्यमियों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदाय करना ताकि वे अपना लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने में सक्षम हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

1. औद्योगिक विकास हेतु इंदौर जिले के उद्योगों को निगम द्वारा प्रदान किये गये ऋणों का अध्ययन।

म.प्र. वित्त निगम द्वारा इन्दौर जिले में प्रदत्त विविध ऋण

मध्यप्रदेश वित्त निगम केपिटल मार्केट (M.P.F.C. Capital Market) म.प्र. वित्त निगम ने परियोजनाओं में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त मर्चेन्ट बैंकिंग तथा अन्य नई परंपरागत क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने व्यवसाय का विविधीकरण किया है। मर्चेन्ट बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय कार्यो के लिए निगम द्वारा 'मध्यप्रदेश वित्त निगम केपिटल मार्केट' के नाम से एक पृथक विभाग की वर्ष 1994-95 में स्थापना की। जिसका सेबी **(SEBI)** में मर्चेन्ट बैंकिंग वर्ग-1 में पंजीयन हो चुका है।

इस विभाग ने सार्वजनिक निगमों की परियोजनाओं का मूल्यांकन हामीदारी, सार्वजनिक निर्गमों के लिए सहप्रबंध, नानफण्ड पर आधारित प्रकरणों एवं वृहद् ऋणों के प्रकरणों में 'ओटीसीआय' के लिये अनुबंध करना, पूँजी निवेश में सहभागिता, सम्पत्ति आधारित वित्तीय सहायता तथा धन पर आधारित अल्पावधि ऋणों को वित्तीय सहायता आदि कार्य आरंभ कर दिए है।

म.प्र. वित्त निगम के मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग 'मध्यप्रदेश वित्त निगम कैपिटल मार्केट' ने अपना कार्य वर्ष 1994-95 से प्रारंभ कर दिया था। अपने प्रारंभ के वर्ष से ही अपने कार्य को आगे बढ़ाया।

म.प्र. वित्त निगम ने केपिटल मार्केट के अलावा अपने उद्यमियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दो बीडीसी (Business Development Corporation) की स्थापना की थी। म.प्र. वित्त निगम का ही एक अंग है। अपने ग्राहकों को दूरी एवं समय की बचत के उद्देश्य से ऐसे बीडीसी संचालित किए जो इन्दौर के एम.टी.एच. कम्पाउण्ड एवं पोलोग्राउण्ड पर स्थित होकर सफलतापूर्वक गतिमान है। इस प्रकार इन्दौर जिले के उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन इन्दौर, इन्दौर -1 एवं इन्दौर-2 अपनी सुविधानुसार किसी एक में करना होता है। यहाँ इन्दौर, इन्दौर-1 तथा इन्दौर-2 से अभिप्राय क्रमश: केपिटल मार्केट, निगम का एम.टी.एच. कम्पाउण्ड में स्थापित कार्यालय तथा निगम का पोलोग्राउण्ड क्षेत्र में स्थापित कार्यालय से है।

वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक म.प्र. वित्त निगम द्वारा इन्दौर जिले में स्वीकृत किये ऋणों को हम निम्न तालिकाओं से समझ सकते है :-

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम ने वर्ष 2005-06 में कुल स्वीकृत ऋण राशि की तुलना में रुपये 929.49 लाख रुपये का वितरण किया जो स्वीकृत राशि का 65.64 प्रतिशत था, इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में स्वीकृत ऋण राशि 1994.25 लाख रुपये में से रु. 1977.10 लाख का वितरण किया, जो कुल स्वीकृति का 99.14 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 में स्वीकृत ऋण राशि रु. 3277.75 लाख में से रु. 1873.80 लाख का वितरण किया गया जो कुल स्वीकृत राशि का 57.17 प्रतिशत था, इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में भी कुल स्वीकृत राशि रु. 3988.77 लाख में से वितरण राशि रु. 1975.23 लाख का हुआ जो कुल स्वीकृति का 49.52 प्रतिशत रहा।

साथ ही वर्ष 2009-10 में म.प्र. वित्त निगम द्वारा कुल स्वीकृत ऋण राशि रु. 3762 लाख में से वितरण राशि रु. 1859.48 लाख का हुआ जो कुल स्वीकृति का 49.43 प्रतिशत रहा। प्रतिशत की दृष्टि में मध्यप्रदेश वित्त निगम ने कुल स्वीकृत राशि की तुलना में वितरण राशि का प्रतिशत वर्ष 2005-06 में ज्यादा रहा, परन्तु वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2009-10 में प्रतिशत की दर घटती दिषा में दिखाई दे रही है।

यह एक गणितीय संकेत है, इसका अभिप्राय निगम की कार्यकुशलता से नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि जिस प्रकार वितरण राशि प्रतिशत की दर कम हुई है, उसी तुलना में स्वीकृत राशि भी कम हुई है।

विशेष योजनाओं में सहायता – वर्ष 2008-09 में म.प्र. वित्त निगम द्वारा लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों हेतु एक विषेष योजना 'लिक्विड फण्ड योजना' संचालित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 48 प्रकरणों में रु. 39.55 करोड़ स्वीकृत किए गए एवं रु. 38.60 करोड़ की राशि वितरित की गई। यह अत्यंत ही संतोष का विषय है, इस योजना में वितरित ऋण की लगभग समस्त मूलधन राशि मय ऋण के वसूल कर ली गई है।

निष्कर्ष – म.प्र. वित्त निगम की स्वयं की अंशपूँजी नहीं है। अंशपूँजी औद्योगिक विकास बैंक एवं राज्य सरकार की है। विशेष पूँजी एवं पूँजी के स्थान पर ऋण भी इन्हीं दोनों से निगम प्राप्त करता है। आवेदकों की ऋण राशि की मांग की तुलना में म.प्र. वित्त निगम के पास पर्याप्त वित्त के अभाव में बहुत से आवेदकों को निराशा ही हाथ लगती है। वित्त की अपर्याप्तता के कारण म.प्र. वित्त निगम को अपने कार्यपालन में कठिनाई होती है।

* प्रध्यापक (वाणिज्य) अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., इन्दौर (म.प्र.) भारत

म.प्र. वित्त निगम की वित्तीय स्थिति ऋण की मांग की तुलना में कमजोर है। इसकी ब्याज दर और व्यय भी ऋण राशि को महंगा बनाते है। ऋण स्वीकृति एवं वितरण में समय भी अधिक लगता है। परिणामस्वरुप इस अवधि में उद्यमी को अपनी कार्यशील पूँजी व्यवस्था के लिये परंपरागत वित्तदाताओं के पास जाना होता है, जिसके लिये उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कभी-कभी केन्द्र और राज्य सरकार की सबसीड़ी का भुगतान भी म.प्र. वित्त निगम समय से नहीं कर पाता। म.प्र. वित्त निगम ने उपरोक्त परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी वित्त की आवश्यकता को, समय-समय पर बढ़ाया है तथा इन्दौर जिले में औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। म.प्र. वित्त निगम ने अपनी ऋण नीतियों के माध्यम से इन्दौर जिले के उद्योगों को जो सहायता पहुँचायी है, उसका यह परिणाम है कि वित्त निगम को मेसर्स क्वालिटेट वेरीहॉत क्वालिटी एश्योरेस, नावे के दल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या 9001 : 2000 का प्रमाण पत्र वर्ष 2007-08 से निरंतर प्राप्त हुआ है।

म.प्र. वित्त निगम का व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है। म.प्र. वित्त निगम से ऋण की माँग बड़ी मात्रा में की जाने लगी है, क्योंकि म.प्र. वित्त निगम से ऋण स्वीकृति के नियम भले ही ज्यादा हो परन्तु ऋण नीति उद्योग हितैषी है। जब ऋण की ज्यादा माँग होती है, तब म.प्र. वित्त निगम पुनर्वित्त योजना के माध्यम वित्त की व्यवस्था का प्रयास करता है।

सुझाव व अनुशंसाएँ :

1. ऋण स्वीकृति के संबंध में म.प्र. वित्त निगम को स्वयं छोटे पूँजी आधार के अधिकतम उद्योगों को प्रोत्साहित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इसका काम यह होगा कि छोटे आकार का एक उद्यम डूब जाने की स्थिति में भी वित्त निगम लाभ में चलने वाले अन्य उद्योगों से अपना उधार की क्षतिपूर्ति कर लेगा। छोटे पूँजी आकार के अधिक उद्योगों को भी ऋण देने की अपेक्षा बड़े आकार के एक ही उद्योग को ऋण दिये जाने की प्रवृत्ति के कारण मध्यप्रदेश वित्त निगम अपने ऋण स्वीकृति के निर्धारित लक्ष्यों को तो शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर सकता है, किन्तु दीर्घवधि में ये बड़े उद्योग के बंद हो जाने की स्थिति में एक बड़ी राशि डूब जाने से स्वयं वित्त निगम की तरलता में प्रभावोत्पादक कमी होगी। अतएव म.प्र. वित्त निगम यदि कम अवधि के छोटे पूँजी के आकार उद्योगों के वित्त पोषण पर अधिक ध्यान दे तो प्रदेश के पिछड़े जिलों एवं उद्योग विहीन जिलों के विकास में तो सहायता प्राप्त होगी ही, स्वयं मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उधार दी गई राशि भी सुरक्षित रह सकेगी।
2. स्वीकृत परियोजना को समयबद्ध रुप से कार्यषील बनाने की दृष्टि से ऋण वितरण की गति को लंबी एवं अनावष्यक क्रियाओं से बाधित नहीं होने देना चाहिए। ऋण वितरण में विलंब के कारण परियोजना लागत में वृद्धि हो जाती है तथा उत्पादन मे आने तक ब्याज की बढ़ती बकाया से उस उद्योग की काम की संभाव्यता भी समाप्त हो जाती है। वितरण को विलंबित होने से बचाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते है :-
   - ऋण संबंधी कार्य के लिए निगम को सामान्य आवेदन लेकर प्रोजेक्ट की सफलता का मूल्यांकन करने के पश्चात् त्वरित ऋण प्रदान करना चाहिए अथवा औपचारिकताओं का निर्वाह करवाये बिना ही प्रथम दृष्ट्या ही आवेदन को अस्वीकृत कर देना चाहिए।
   - ऋण स्वीकृति के पश्चात् औपचारिकताओं को अविलंब पूर्ण करवाकर राशि का वितरण तुरंत कर देना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट को अनुमानित लागत में ही पूर्ण किया जा सके।
   - ऋण भुगतान पृथक खाते में जमा करके एक मुष्त किया जाना चाहिए। इससे ऋणग्राही शीघ्र ही धनराशि का सदुपयोग करने में समर्थ हो जायेगा।
3. म.प्र. वित्त निगम यदि केवल वित्त पोषक अभिकरण के रुप में ही कार्य करें तो लघु उद्योगों की स्थापना में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती। उसे तो जिले के औद्योगिक विकास के लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे। ।
4. म.प्र. वित्त निगम को स्वयं अपनी ऋण नीतियों को व्यावसायिक तथा सामाजिक हित को दृष्टिगत रखकर संचालन करने की स्वायत्तता होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. म.प्र. सम्पूर्ण अध्ययन-सिद्दकी शाबाद अहमत-उपकार प्रकाशन 2009
2. अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया-राजेन्द्र मिश्र-तक्षशिला परिसर नई दिल्ली 2002.
3. वित्तीय प्रबंध-अग्रवाल एण्ड अग्रवाल
4. Cash study solution course in finance - H. Kaushal Macmillan Publisher – 2008
5. Business Statistic – S.C. Gupta – Himalaya Publisher – 2008
6. Industrial Finance – Vishwanathan – Macmillan Publisher – 2003
7. योजना - सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय भारत सरकार-नई दिल्ली
8. प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (1948-50)
9. म.प्र. वित्त निगम के पत्र-पत्रिकाऐं।
10. म.प्र. वित्त निगम की वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की वार्षिक रिपोर्ट।
11. दैनिक भास्कर - भास्कर समूह

वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक स्वीकृत एवं वितरित राशि का वर्षवार अध्ययन

(रु. लाख में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि					वितरित ऋण राशि				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
इन्दौर	885	1265	2555	3212	2957	671.27	1481	1424.74	1199.39	1204.73
इन्दौर-I	296	348.25	593.75	559.25	502.50	150.85	269.35	297.25	645.45	361.80
इन्दौर-II	235	381	129	217.52	302.50	107.37	226.75	151.81	130.39	292.95
कुल	**1416**	**1994.25**	**3277.75**	**3988.77**	**3762**	**929.49**	**1977.10**	**1873.80**	**1975.23**	**1859.98**

स्त्रोत:- इन्दौर में स्थित प्रधान कार्यालय के रिकॉर्ड से।

स्वयं के परिवार से दूर रहने वाली विवाहित कार्यकारी महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता, तनाव एवं वैवाहिक समायोजन का अध्ययन

माया देवड़ा * डॉ. रशीदा कॉंचवाला **

प्रस्तावना – वर्तमान समय में महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप रखती है। वे हर व्यवसाय एवं खेल में आगे हैं। महिलाओं ने दुनिया के प्रत्येक कोने में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। वे प्रत्येक क्षेत्र जैसे–सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में कार्य कर रही है। विश्व के अन्य देषों में ही नहीं वरन् भारत में भी महिलाएँ केवल चार दीवारी का हिस्सा न रहकर वह समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गई, जिससे अब हमारा राष्ट्र भी विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। प्राय: यह माना जा रहा है कि तकनीकी युग के कारण दुनिया में बदलाव तेजी से हो रहा है। इस बदलाव ने महिलाओं को भी घर से बाहर निकालकर प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। हम यदि स्वतत्रंता के पहले एवं स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का विवेचन करें तो एक ओर तो यह पाते हैं कि इनकी कार्यकुशलता में तेजी से वृद्धि हुई है, परन्तु दूसरी ओर ये दिखाई देता है कि उन्हें घरों से बाहर निकलकर कार्य करने से कई प्रकार की नवीन सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विवाहित महिलाओं की स्थिति इससे भी गंभीर प्रतीत होती है। जहां एक ओर हमारे समाज में पुरूष अपनी जिम्मेदारी केवल अपने व्यवसाय अर्थात् केवल आर्थिक कार्यों तक सीमित रखते हैं और परिवार की अन्य जिम्मेदारियों से वे स्वयं को विमुक्त रखते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएँ यदि आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देती है तो उन्हें उस अतिरिक्त कार्य के साथ–साथ परिवार के संपूर्ण कार्यों को भी करना पड़ता है।

संवेगात्मक परिपक्वता

कोले (1934) के अनुसार – सांवेगिक परिपक्वता तनाव सहन करने की योग्यता के साथ ही सांवेगिक परिपक्वता व्यक्ति को मजाक और मनोरंजन के लिए क्षमताओं को दृढ करता है । वह क्रियात्मक जिम्मेदारिया और खेल दोनों में आनंद उठाता है, और दोनों में वह एक उचित संतुलन बनाये रखता है। सांवेगिक रूप से परिपक्व महिलाओं में स्वयं से, परिवार से तथा समाज से समायोजन करने की षक्ति होती है।

सांवेगिक अपरिपक्व एवं अस्थिरता व्यक्ति में स्वतंत्रता एवं आत्म निर्भरता को विकसीत करने में उसकी असफलता को दर्शाता है। भावनात्मक रूप से विचलित या अस्थिर व्यक्ति परेशानियों को हल करने की योग्यता की कमी को दर्शाता हैं जिससे दैनिक कार्यो का निर्वाह करने हेतु उसे निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती हैं। इस तरह से लोग झगडालु, आत्म केन्द्रित एवं मांगने की प्रवृत्ति वाले होते है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में जीवन की विषम कठिनाईयों तथा किसी भी आयु एवं बौद्धिक योग्यता के व्यक्तियों के साथ जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संतुलित रहता हैं। वहीं वास्तव में संवेगात्मक परिपक्व है।

संवेगात्मक परिपक्वता तत्वो पर निर्भर करती है जिनमे मुख्य है ।

1) **शारीरिक स्वास्थ्य** – प्राय: यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति थका हुआ है या बीमार है तो उसे आसानी से संवेग (भाव) प्रभावित कर लेते है। अस्वस्थ व्यक्ति संवेगो से शीघ्र प्रभावित होते है। उनका अपने संवेगो पर कम नियंत्रण होता है। अत: एक व्यक्ति को संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करना चाहिए।
2) **बुद्धि –** अध्ययनों द्वारा देखा गया है कि जिन महिलाओं की बुद्धि स्तर निम्न होती है संवेगात्मक अस्थिरता उच्च होती है परंतु इसके विपरीत उच्च स्तर की बुद्धि वाली महिलाओं में संवेगात्मक अस्थिरता कम देखी जाती है। धामी. जी. एस. (1974) ने बुद्धिमता और सांवेगिक परिपक्वता में अर्धपूर्ण सार्थक संबंध प्राप्त किया। सेठ एवं पटेल (1987) ने पाया कि जिन शिक्षिकाओ की बुद्धिमता उच्च थी, उन्हैं संवेगात्मक परिपक्वता में भी उच्च अंक मिले थे।
3) **लिंग** –पुरूषों मे महिलाओं की अपेक्षा भय संवेग कम मात्रा में रहता हैं। इसी प्रकार महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा ईर्ष्या अधिक होती है। भार्गव एवं शर्मा ने पुरूषों में सामाजिक कुसमायोजन अधिक पाया। अंजूम नसीर एवं अनिल भार्गव (1998) ने देखा कि पुरूष तथा स्त्री नेताओं की संवेगात्मक परिपक्वता में अंतर नहीं होता है।
4) **सामाजिक वातावरण** –व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उनमें उसी प्रकार का संवेग उत्पन्न और विकसीत होते है, यदि परिवार, पड़ोस या समाज का वातावरण तनाव उत्पन्न करने वाला होता है तो व्यक्ति में भी संवेगात्मक अस्थिरता अधिक देखी जाती है।
5) **सामाजिक आर्थिक स्तर** –उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं में संवेगात्मक परिपक्वता कम देखी जाती हैं जबकि मध्यम और निम्न स्तर वाली महिलाओं में संवेगात्मक परिपक्वता अधिक पायी जाती है।
6) **व्यक्तित्व** –जिन महिलाओं में सुरक्षा की भावना अधिक पायी जाती हैं उनमें भय संवेग कम देखे जाते है। बार्हिमुखी व्यक्तित्व वाली महिलाओं में भय संवेग अधिक होते है क्योंकि अनुकरण द्वारा ये अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं जबकि अंतरमुखी वाली महिलाओं में भय संवेग कम मात्रा में होते हैं।
7) **पर्यावरण पर नियंत्रण** –किशोरो के मामले संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त करने के मार्ग में पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण नियंत्रण दोनों ही बाधक

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

सिद्ध हुए हैं। यदि एक महिला के आस–पास का वातावरण उसके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल है तो वह समस्याओं का सामना सही ढंग से करने में असफल नहीं रहेगी और निरंतर संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त करती रहेगी।

8) **प्रसन्न रहने की प्रकृति** –सदैव प्रसन्न रहने की प्रकृति संवेगात्मक परिपक्वता को प्राप्त करने की विशेषता को सिद्ध करता है। यह प्रकृति उसकी चिंताओं को कम करती है यदि यह विशेषता महिलाओं में विकसीत हो जाती है तो वह सुगमता से संवेगात्मक परिपक्वता को प्राप्त कर सकती है।

1.2.0 तनाव – तनाव को किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावनात्मक कारक के रुप में समझा जा सकता है, जो शारीरिक तथा मानसिक बैचैनी उत्पन्न करे और वह रोग निर्माण का एक कारक बन सकता है। ऐसे शारीरिक या रासायनिक कारक जो तनाव पैदा कर सकते है उनमें सदमा, संक्रमण, विष, बीमारी तथा किसी प्रकार की चोट शामिल होते है। तनाव के भावनात्मक कारक तथा दबाव कई सारे है और अलग–अलग प्रकार के होते है। कुछ लोग जहाँ 'स्ट्रेस' को मनोवैज्ञानिक तनाव से जोड़कर देखते हैं , तो वहीं वैज्ञानिक और डॉक्टर इस पद को ऐसे कारक के रुप में दर्शाने में इस्तेमाल करते है, जो शारीरिक कार्यो की स्थिरता तथा संतुलन में व्यवधान पैदा करता है जब लोग अपने आसपास होने वाली किसी चीज से तनाव ग्रस्त महसूस करते है तो उनके शरीर रक्त में कुछ रसायन छोड़कर अपनी प्रतिक्रिया देते है। ये रसायन लोगों को अधिक उर्ज्जा तथा मजबूती प्रदान करते है। हल्के मात्रा में दबाव तथा तनाव कभी कभी फायदेमंद होता है।

1.3.0 वैवाहिक समायोजन – इस विज्ञान एवं तकनीकी के संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करने में लगा हुआ है। तेजी से बदलली हुई दुनिया में बदलाव बहुत दिशाओं में हो रहा है। इसलिए वह अपने आप को गत्यात्मक बनाए रखना चाहता है। खासतौर पर महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कार्य करना शुरू किया है। जिस कारण उसे दोहरी भूमिकाएँ निभाना पड़ रही है। वह एक और किसी संस्था के कर्मचारी है व दूसरी ओर घरेलू व्यवस्थापिका इस प्रकार की दोनों भूमिकाओं को निभाने से कई विपरित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वह पारिवारिक समायारेजन नहीं कर पाती है। इस कारण उनमें तनाव उत्पन्न हो रहा हैं। महिलाओं में तनाव उत्पन्न होने से कई प्रकार की मनोविकृति एवं मनोरोग जैसे उच्च रक्त चाप, गुस्सा, कुण्ठा, चिंता, लड़ाई झगड़े, संवेगात्मक परिपक्वता एवं वैवाहिक समायोजन, तनाव आदि उत्पन्न होने लगते है। अत: विवाहित कार्यकारी महिलाएँ जो घर से दूर रहकर कार्य करती है। इसलिए उन्हें वैवाहिक समायोजन, संवेगात्मक परिपक्वता एवं तनाव का ज्ञान हो तो उन्हें कई प्रकार की समस्याओं से बचाया जा सकता है।

अत: प्रस्तुत शोध के द्वारा विवाहित कार्यकारी महिलाएँ जो घर से दूर रहकार कार्य करती हैं, उनके वैवाहिक समायोजन, संवेगात्मक परिपक्वता एवं तनाव पर प्रकाष डालना था, जिससे वह परिवार में वैवाहिक समायोजन कर अपने परिवार में तनाव को कम कर स्वास्थ्यप्रद वातावरण में अपनी कार्यक्षमता को बडा कर कार्य कर सकने में सक्षम हो सके। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर शोधार्थी के द्वारा स्वयं के परिवार से दूर एवं पास रहने वाली विवाहित कार्यकारी महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता, तनाव एवं वैवाहिक समायोजन का अध्ययन (इंदौर शहर के संदर्भ में) करने का निश्चय किया था।

शोध पत्र के उद्देश्य

- निजी एवं शासकीय संस्थाओं में अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करने वाली विवाहित महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना।
- विवाहित कार्यकारी महिलाओं का अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करने का उनके तनाव के स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- निजी संस्थान में विवाहित कार्यकारी महिलाओं का अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करने का उनके वैवाहिक समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना –

- निजी एवं शासकीय संस्थाओं में अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करने वाली विवाहित महिलाओं के संवेगात्मक परिपक्वता के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- निजी एवं सरकारी संस्थाओं में विवाहित कार्यकारी महिलाओं का अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करने का उनके तनाव के स्तर पर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।
- निजी एवं सरकारी संस्थाओं में विवाहित कार्यकारी महिलाओं का अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करने का उनके वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

शोध प्रविधि – अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही वैज्ञानिक तरीके से न्यादर्शन की योजना बनाई। ताकि वह अध्ययन क्षेत्र में जो इकाईयाँ है। उनसे संपर्क कर वास्तविक एवं गुणात्मक तथ्यों को संकलित कर सके, जिससे अनुसंधान के निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ हो इसका पुरा ध्यान रखा गया है। निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षो की यथार्थता के लिए आवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि चुनाव कार्य मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। निदर्शन का शाब्दिक अर्थ किसी भी इकाई को चुनने से होता है। गुडे तथा हट्ट के अनुसार 'एक निदर्शन जैसे कि नाम से स्पष्ट करता है, सम्पूर्ण समूह का निम्नतम प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत शोध में सोद्देश्य निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध हेतु इंदौर शहर के निजी एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत 300 महिला कर्मचारियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया, जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष की है। इसमें से निजी संस्था में कार्यरत 150 महिला कर्मचारी एवं शासकीय संस्थान में कार्यरत 150 महिला कर्मचारियों कों न्यादर्श के रूप में चुना गया। न्यादर्श में चुनी गई निजी एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारी संयुक्त एवं एकांकी परिवार की महिलाएं थी। इसमें से 150 संयुक्त परिवार एवं 150 एकांकी परिवार की कार्यरत महिलाओं का चयन किया गया।

उपसंहार – इस उद्देश्य के परिणाम से यह स्पष्ट होता हैं कि निजी संस्थाओं में विवाहित कार्यकारी महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता, शासकीय संस्थाओं में विवाहित कार्यकारी महिलाओं के संवेगात्मक परिपक्वता से तुलनात्मक रूप से अधिक पाया गया हैं। संभवत: इस परिणाम का कारण यह हो सकता हैं कि शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में संवेगात्मक परिपक्वता का अभाव होता है जबकि निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में संवेगात्मक परिपक्वता होती है। साथ ही शासकीय संस्थानों की अपेक्षा निजी संस्थानों में कार्य अवधि में स्थिरता नहीं पायी जाती है। यह कार्य अवधि शासकीय संस्थानों की तुलना में अधिक होती है। इन बडी हुई कार्य अवधि की वजह से निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने परिवार एवं कार्य स्थल के मध्य उचित समायोजन करने में

असमर्थ महसूस करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें मानसिक अस्थिरता, चिंता एवं अवसाद कि स्थिति उत्पन्न होती है और यही मानसिक अस्थिरता संवेगात्मक परिपक्वता के रूप में उभरकर सामने आती है। संवेगात्मक परिपक्वता की दिशा में क्रोध, भय एवं खुशी मुख्य रूप निजी क्षेत्र में कार्य करनी वाली महिलाओं में अपेक्षाकृत कार्य के स्वभाव के कारण अधिक देखे जाते है। इसी वजह से निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में संवेगात्मक परिपक्वता, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संवेगात्मक परिपक्वता की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक पाया गयी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Aggarwal, J. (2009), Psychological, Philosophical & Sociological foundations of Education, Shipra Publications.
2. Aggraval, R. S. (1966). Modern Approach to Verbal and Non Verbal Reasoning. New Delhi. S. Chand.
3. Buch, M.B. (Ed) (1991): Fourth Survey of Research in Education, New Delhi, NCERT (1983-88).

****

Himalayan Fibres And The Possibilities Of Sustainable Livelihood Among Bhotia Tribes In Uttarakhand

Sambaditya Raj * Prof. Himadri Ghosh ** Dr. Prabir Kumar Choudhuri ***

Abstract - After the agriculture sector, textile industry is the second largest production unit in India, contributing a large portion of the GDP. With the onset of industrialization and commercialization through application of modern methods in manufacturing of textile products, there has been an increase in large scale production bringing the practice of indigenous techniques to a standstill. The rural population in the mountainous range of Uttarakhand, especially the *Bhotias.* practice their indigenous art through collection of fibres from locally available plants like Nettle, Hemp, Sisal as well as from local Himalayan Wool. Adaption of newer techniques of production of handicraft as well as poverty has gradually forced the population, mainly the youth to migrate and opt for other means of livelihood. This paper studies the efforts taken by various Organizations and Government initiatives to preserve the age long tradition of these artisans. The researcher has attempted to conduct various experiments to study the spinnability of locally available fibres and development of yarns and extend his methods of application and learning to the local community through capacity building trainings for better productivity and for a sustainable livelihood of the local artisans.
Keywords: *Uttarakhand, Indigenous, Bhotias, initiatives, sustainable livelihood.*

Introduction - Textile manufacturing is one of the oldest industries in the world. During the ancient period people used to depend solely upon animals for their skins and furs to keep their body covered. Gradually, they began to look around for some other means to keep them covered, warm and more comfortable. At a certain time, they collected long thin natural fibres from various plants and animals and twisted together to form fibrous strand known as yarns and then converted them into woven cloth.

Textiles and garments industry contributes the major responsibility in the development of the national economy of our country. The textile sector is the second largest provider of employment after agriculture. This industry employs around 45 million population and accounts for nearly 11% share of the country's total exports basket according to the Annual Report 2012-13, Ministry of Textiles, Government of India. In the Global Textiles, India's share has increased by 17.5% in 2013.

In the recent years, the most suitable natural fibres among the many available have been selected for production in the global textile industries. Today, natural fibres like cotton, jute, flax, silk, wool are the widely used textile fibres. Those have already registered their existence in the manufacturing of textiles while some other natural fibres namely Nettle, Hemp, Bhimal, Coir, Sisal etc. have relatively very limited utility in the textile industry. Himalayan region is the chief source of the natural fibres like Nettle, Hemp, Sisal and many others.

The Indian Himalayan Region (IHR) with a diversified bio-geographic and eco climatic characteristics, comprises of rich bio-physical resources and ethnic cultural groups. These ethnic groups practiced unique, indigenous methods of using available resources that have ensured long term demand for provisions of these natural resources. Among them, natural fibres extracted from locally grown plants, inheriting a combination of strength with flexibility, have extensively contributed in the economy of the region for agricultural purposes, clothing and household products. In the mountainous regions, fibre based products constituted the core component of rural society regardless their limited contribution in income generation.

In India most of the craftsmen inherit the skills from their family. With the onset of modernization and industrialization followed by increased demand of commodities, new economy and industrial products have gradually replaced the traditional indigenous techniques. Moreover, lack of capital to invest, scarcity of raw materials, unavailability of reasonable rates as well as poor networking with the current markets are the key constraints in forcing these artisans to opt for some alternative mode of income of generation thus bringing an end to their family art.

UTTARAKHAND - Situated in the northern part of the country, located in the Himalyan range, Uttarakhand extends over an area of around 53,825 km, with approximately 93%

***Assistant Professor, Banasthali Institute of Design, Banasthali Vidyapith (Rajasthan) INDIA**
**** Dean, Banasthali Institute of Design, Banasthali Vidyapith (Rajasthan) INDIA**
*****Assistant Professor, Department of Silpa Sadana, Visva Bharati University, West Bengal, INDIA**

of the geographical area comprising of mountains and forests. The state consists of a population of 1.01 crores (census 2011). Due to its remoteness and immaculate environment the local folklores refers the state as '*Dev Bhoomi*' or the Land of the Gods. More than 75 percent of the population engaged in agriculture for livelihood, contributes a large proportion in the Indian economy More than 95 different plant origin fibres exist in Uttarakhand, out of which a few of them are essential in the lives of tribal communities of the state.

COMMUNITIES OF UTTARAKHAND - Uttarakhand is the home of five major Scheduled tribes namely the *Tharus, Buxas, Bhotias (Shaukhas), Jaunsaris* and *Ban Rajis* with their prominent ethnicity, socio cultural norms, traditional practices, their livelihoods and dialects**.** Each and every ethnic group have their distinct cultural occupation. The local people in Himalayan region are engaged on terrace farming and collection of raw materials like wood, grass, wild bushes etc. from surrounding forest for production of handicrafts at a small scale for their livelihoods. Various researches portray the involvement of Bhotia community in using of fibres collected from locally grown Nettle, Sisal, Hemp as well as Wool obtained from rearing of sheep.

BHOTIA TRIBES - The Bhotias, sub grouped explicitly into the Jadh, the Marcha and the Shaukhas usually reside in the high altitudes of the Himalayas, mostly scattered in the rural areas of Almora, Chamoli, Pitthoragarh and Uttarkashi districts of the state. The Bhotia tribe is a Mongoloid ethnic community originally migrating from Tibet. Bhotias, occupy the geographical area termed as 'Bhot' by the British administrators.

This ethnic group practices seasonal migration by shifting during winter with their livestock from a higher altitude to a lower altitude. In the summers they climb to a higher altitude for cultivation and collection of various wild plants. In the winters, the women folks weave woollen carpets and knit woollen garments for trading.

Various researches conducted on the utility of available plants reveal the possibilities of industrialization and commercialization. Efforts have been made by various NGOs in promoting the use of Rambans (*Agave cantala*), Bhimal (*Grewia optiva*), Industrial Hemp, (*Cannabis sativa* L.), Stinging Nettle (*Gerardinia diversifolia*), etc. In the urge to pursuit a change and promote their livelihood the women of Bhotia community are involved to produce various handicrafts through extraction of fibres, spinning them into yarns.

The local people in Himalayan region are engaged in collection of raw materials like wood, grass, wild bushes etc. from surrounding forest for production of handicrafts at a small scale for their livelihoods. The people of the hilly region mainly the Bhotia tribes of Uttarakhand are involved in developing different handicrafts from Nettle fibre. Limited source of income has resulted in frequent migration especially among the youth in search of employment for better standard of living. Before the Indo-China war, the natives of India traded with the natives of Tibet exchanging potatoes, grain, spices for ghee, wax, wool and salt from Tibet that came to a standstill after 1962.

Ecological disasters, dying traditional farming and depreciating tourism are the major problems leading to unemployment and severe migration in the Nettle fibre producing region of Uttarakhand. For combating such crisis and to prevent frequent migration of the rural community from higher altitude of himalayan belt as well as to preserve the age old traditions, organizations, to name a few, Uttarakhand **Bamboo & Fibre Development Board,** Avani, Chirag, Women's Development Organisation, Girish Griha Resha Udyog, HOPE etc are coming forward to promote sustainable livelihood through preservation of their indigenous methods through value chain system. The Uttarakhand Bamboo & Fibre Development Board has highlighted the usage of Himalayan Nettle for clothing by the local people thousand years back. As it has lost its popularity the Board is taking necessary initiatives to promote the usage of wildly grown but eco friendly fibre, Nettle, among the hill people specially Bhotia community of Uttarakhand who are crafting variety of products in nettle fibre.

It is believed that forming and strengthening the community based organizations would promote socio economic status of the local masses, enhance their access and control over natural, financial and developmental resources. Government has taken initiatives to promote this decentralised sector of handicrafts making through financial supports, knowledge transfer and providing security. This is aiming towards distribution of economy among the peoples of rural areas in particular and thereby uplifting the economic conditions of the craftsmen, artisans to a great extent.

The researcher experimented on the study of spinnability of fibres available, Himalayan wild plants like Nettle, Hemp and Sisal and locally available wool to convert into yarn and subsequently into woven textiles through in-depth, systematic and scientific studies. This could be further applicable in designing and developing newer and innovative products which in turn may lead to economic development of the region and prevent migration thus helping the local artisans to fight against poverty and preserve their traditional regional art and craft.

References :-

1. http://www.textbooksonline.tn.nic.in/books/11/stdxi-voc-textiles-em.pdf
2. Annual Report 2012-13, Ministry of Textiles, page 40, Government of India.
3. A Brief Report on Textile Industry in India, ASA & Associates LLP, 2015.
4. Promising Fibre-Yielding Plants of the Indian Himalayan Region, G.B. Pant Institute of Himalayan Environment & Development, Uttarakhand, 2010. Retrieved from http://gbpihed.gov.in/PDF/Publication/Fiber Plants.pdf
5. District wise skill gap study for the State of Uttarakhand. National Skill Development Corporation. Retrieved from http://www.nsdcindia.org/sites/default/files/files/uttarakhand-sg-report.pdf

6. Chopra, R. (2014). *Uttarakhand: Development and Ecological Sustainability*. Oxfam India. https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/WP8UttarakhandDevpEcoSustainabiit3.pdf
7. http://www.ubfdb.org.in/natural-fibers/
8. Tolia, R. S. Great Tribal Diversity of Uttarakhand.http://uic.gov.in/Without%20Fear%20or%20Favor/Great%20Tribal%20Diversity%20of%20Uttarakhand.pdf
9. Rai, R. K. (2016). *Tribes of Uttar Pradesh, Brief Introduction*. International Journal of Advanced Research. 4 (1). Pp. 1143 – 1149.
10. Himalayan Ecology. Envis Bulletin. G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development. 2010. Vol. 8.
11. Mahajan, A. (2014). *Ethno medicine of Bhotia tribe in Mana village of Uttarakhand.* International Journal of Sociology and Anthropology. Vol. 6 (10). Pp. 296 – 304.
12. Chen, Q. And Tao Zhao. (October, 2016). *The thermal decomposition and heat release properties of the nylon / cotton, polyester / cotton and Nomex / cotton blend fabrics.* Textile Research Journal. Vol. 86 (17).. SAGE. Pp – 1859 – 1868.
13. De, S. K. and Mitra, A. (May, 2013). *A Study of Some Mechanical Properties of Eri Fabric and Comparative Study with Wool Fabric*. Man - made Textiles in India. Vol. 41 – 5. Pp – 162 – 166.
14. Frank R. (2005). Bast and Other Plant Fibers. Woodhead Publishing. Cambridge. p.331

Researcher sharing his experiments through training of Local Artisans on the spinnability of Himalayan fibres

The Artisans' work in Progress

****

धर्मनिरपेक्षता – भारतीय संदर्भ

डॉ. हनुमान प्रसाद मीना *

प्रस्तावना – धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा धार्मिक संस्थाओं का कोई समर्थन नही किया जायेगा, राज्य में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, सार्वजनिक सेवाओं या नागरिक अधिकारों के लिये कोई धार्मिक परीक्षा नहीं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं ओर धार्मिक आस्थाओं के विषय में किये गये प्रश्नों पर कोई दण्ड नहीं। धर्म निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को समाज के समान नागरिकों के रूप में देखें तथा जिसके अन्तर्गत राजनीतिक अधिकारों के इस्तेमाल के लिए किसी भी प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक स्तरीकरण को मान्यता प्रदान न की हो।

भारत दुनिया का सबसे अधिक बहु आयामी एवं जटिलताओं से परिपूर्ण देष है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद को विकसित किया। विवेकशीलता, जागरूकता तथा सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलनों के युग मे वे धर्म को व्यक्तिविशेष तक सीमित एंव राजनीति से अलग रखना चाहते थे। लेकिन जैसे–जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में विदेशी प्रभुत्व के विरूद्ध सभी वर्गों की भागेदारी बढ़ती गयी वैसे ही विभिन्न वर्गों के नेता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का पालन दृढ़ता के साथ न कर सके क्योंकि उनको भय था कहीं धार्मिक विचारों वाले लोग एवं समूह समर्थन देना बंद न कर दें। इसी दौर में भारतीय समाज में धार्मिक, जातिय एवं क्षेत्रीय मतभेदों को शोषित करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ भी हुआ इसी ने भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता को भी जन्म दिया।

धर्मनिरपेक्षता के दो अर्थों को लेकर प्रारम्भ से ही मतभेद थे। इस के एक अर्थ के अनुसार धर्म को सार्वजनिक जीवन में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म में निष्ठा रख सकता है, कोई भी अपने घर के अन्दर या पूजा स्थल पर अच्छा हिन्दू या अच्छा मुसलमान हो सकता है। लेकिन जब वह सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश करे तब उससे यह आशा की जाती है कि उसने अपने धर्म को पीछे छोड़ दिया है। इस विचारधारा के अन्दर यह निहित है कि सार्वजनिक जीवन का प्रबंधन करना एक विज्ञान है और विज्ञान की वैज्ञानिक अवधारणा को यदि धर्म चुनौती देने लगे तब इसको आधुनिक राजनीति के लिये खतरा समझा जाना चाहिये।

धर्म निरपेक्षता का अभिप्राय है सभी धर्मो का समान रूप से सम्मान करना। धर्मनिरपेक्षता की यह अवधारणा सभी धर्मो के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है। जब कोई राज्य धर्म के प्रति सहनशील है तब इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह समाज में धार्मिक बुराईयों के प्रति सहनशील है। धर्मनिरपेक्षता की इस अवधारणा के सबसे बड़े प्रणेता महात्मा गांधी थे। उन्होंने राज्य द्वारा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का जोरदार समर्थन किया और सभी धर्मो को सम्मान करने पर बल दिया। उनकी प्रार्थना सभायें उनके इस दृष्टिकोण द्योतक थी। उनके इस दृष्टिकोण के कारण यह अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करने में सफल रहे। गांधी के इस दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष वामपंथियों ने संदेह से देखा तथा कई बार इसकी कड़ी आलोचना भी की। यद्यपि यह दृष्टिकोण अवगुणों से मुक्त न था लेकिन इस दृष्टिकोण का अपना सकारात्म पक्ष भी था। हमारी जनता की संस्कृति का आधार है कि हमें अपनी परम्पराओं को धारण करना चाहिये न कि यूरोप के नास्तिक धर्मनिरपेक्षता के नारे को। लेकिन इस दृष्टिकोण में भटकाव का भी पूरा खतरा विद्यमान है। फिर भी भारत के संविधान में इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था की गयी है।

धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख धारा 25 से 30 तक में किया गया है। संविधान की इन धाराओं के साथ–साथ अन्य कुछ धाराओं में भी धर्म की स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गयी है।वध पाह धार्मिक समूहों सहित व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता की गारण्टी प्रदान करता है। साथ यह नागरिकों को समानता का अधिकार भी प्रदान करता है अर्थात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा (धारा 15.1), सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना (धारा 16.1.2), शैक्षिक संस्थाओं में कोई भेदभाव न करना (धारा 29.2), और कोई साम्प्रदायिक चुनाव मण्डल न बनाना (धारा 325),(तीसरे) इसके द्वारा धर्म एवं राज्य को अलग कर दिया गया है अर्थात धर्म को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कर न लगाना (धारा 27) और सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को न खोलना (धारा 28)। संविधान में वर्णित इन प्रयोजनो से स्पष्ट है कि संविधान की प्रवृत्ति न तो किसी धर्म का विरोध करने की है और न इसे तर्क संगत बताने की। इसमें धार्मिक मामलों में राजय की तटस्थता एवं निष्पक्षता बनाये रखने की प्रवृत्ति है।

धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं में से एक है मार्च 1994 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बोमाई केस में उच्चतम न्यायालय की नौ जजों की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में इस अवधारणा की सुस्पष्ट व्याख्या की। अन्य तर्कों के अलावा उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कहीं रू भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य को धर्म के प्रति विरोध का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये अपितु उसे विभिन्न धर्मो के विषय में तटस्थ रहना चाहिये। यदि राजनीतिक उद्देश्यों के लिये धर्म का इस्तेमाल किया जाता है और राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थो के लिये इसकी वकालत की जाती है तब राज्य की

* व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

तटस्थता का उलंघन होगा। इस आलेख से दो व्यापक निष्कर्ष निकलते है धर्म के आधार पर मतदाताओं का आह्वान करना धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को आघात पहुंचाता है और दूसरा राजनीति तथा धर्म को नहीं मिलाया जा सकता। इस सिद्धान्त से संबंधित उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की इस घोषणा को सही ठहराया कि हिमाचल, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की भाजपा सरकारों को सत्ता से इसलिये हटाया गया क्योंकि उत्तूर प्रदेश में भाजपा की सरकार अयोधया में बाबरी मस्जिद को गिराने में शामिल थी। 1995 के प्रारम्भ में बाबरी मस्जिद के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने पुनरू अपने अवलोकन में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि धर्म के मामलों में सभी व्यक्तियों एवं समूहों को उनकी विभिन्न आस्थाओं के बावजूद समानता की गारण्टी प्रदान की गयी है क्योंकि स्वयं राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा समानता के अधिकार के एक पक्ष के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में उल्लेखित है।

धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के रूप में भी समझा गया है। यह पाया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक गहरी धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक भी हैं क्योंकि वे राज्य से निष्पक्षता एवं तटस्थता की आशा करते हैं । एक अन्य मतानुसार धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ पूर्णत: नकारात्मक है। संविधान निर्मात्री सभा में धर्म को लेकर बहुत वाद-विवाद हुआ। संविधान निर्माताओं का मानना कि 'सत्य धर्म' की रक्षा की जानी चाहिये। जिस समय वे सत्य धर्म की बात करते उनका अभिप्राय उस धर्म से था जो धर्म से संबंधित अंधविश्वासी निष्ठाओं एवं व्यवहार अलग था। लेकिन प्रत्येक धर्म के व्यवहार में अधयात्मिक प्रकार की निष्ठा, नैतिक प्रकार की नियमावली या मूल्यों की व्यवस्था, और निर्देशित अनुष्ठानों में विश्वास रहता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त जब धर्म विरोधी बात नहीं करता या सभी धर्मों का समर्थन करता है, तब क्या एक दूसरे रूप में इन तीनों पक्षों में धर्म शामिल नहीं होता? या फिर यह प्रत्येक के कुछ पक्षों का समर्थन करेगा न कि सभी का इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता की इस प्रकार की अवधारणा समस्याओं को और अधिक उत्पन्न करेगी। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में राज्य धर्म के प्रति विरोधी दृष्टिकोण नहीं रखता। इस अवधारणा में यह अर्थ अन्तर्निहित है कि राज्य सभी विद्यमान धर्मों के साथ नये धर्मों को भी प्रगति करने की आज्ञा प्रदान करता है और राज्य उनकी गतिविधियों के दौरान स्वयं एक सक्रिय तटस्थता की भूमिका अदा करेगा। इस धर्मनिरपेक्षता की उदारवादी व्याख्या यह भी की जाती है कि राज्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा और धर्मों की एकता के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जायेगा।

व्यवहार धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक वर्षों की परिस्थितियों में भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के स्थानीय अर्थ को कोई भी तर्क संगत तरीके से प्रयोग कर सकता था। लेकिन शीघ्र ही धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग अवसरवादी नारे के रूप में किया जाने लगा। न तो शासक दल ने और न ही विरोधी दलों ने इसका वास्तविक अर्थों में प्रयोग किया। राजनीतिज्ञ सभी धर्मों के प्रति एक समान सम्मान के नाम पर धार्मिक समूहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण करने लगे या फिर वे अपना वोट बैंक बनाने के लिये लोगों को धर्म के नाम पर संगठित करने लगे। दुर्भाग्यवश कानून ने भी ऐसे राजनीतिक दलों पर रोक नहीं लगायी जिनको धर्म आदि के आधार पर संगठित किया गया यद्यपि चुनावी कानून में धर्म के नाम पर अपील करना मना है। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें इस प्रसंग में कुछ कमजोरियां छोड़ते हुए व्यवस्था दी कि ऐसे राजनीतिक दल जिनकी पहचान विशिष्ट जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के साथ की गयी है वे अपने विरोधियों के विरुद्ध घ्रणा उत्पन्न किये बगैर अपने उद्देश्य के लिये मत प्राप्त कर सकते हैं। तीन जजों की खण्डपाठ ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिनकी सदस्यता किसी समुदाय या धर्म तक सीमित है या फिर उनमें किसी विविष्ट समदाय का बाहल्य है। इस प्रकार के दला के प्रत्याशियों द्वारा मतों के लिये की गयी अपील पर अप्रत्यक्ष रूप में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा का प्रभाव हो सकता है। यदि कानून इस प्रकार के दलों की पहचान कर भी लेता है तब भी इस प्रकार की स्थितियों से नहीं बचा जा सकता है। लेकिन इस संबंध में राजनीतिक दलों की बात ही क्या है। सरकार भी धार्मिक गतिविधियों एवं मामलों के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ी रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बहुत से सरकारी समारोहों के उद्घाटन के समय धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं। प्रधान मंत्री, मंत्री एवं राज्यों के नेतागण मंदिरों-मस्जिदों में पूजा अर्चना आदि करने के लिये जाते रहे हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं कि जा सकती है कि कोई भी नेता अपनी निष्ठाओं के अनुरूप पूजा एवं धर्म में विश्वास रख सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहना चाहिये। लेकिन जब मीडिया के माध्यम से जनता के बीच इसका प्रचार किया जाता है तब यह धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के अलावा कुछ और नहीं करता। उस समय भी यही स्थिति बनी रहती है जब नेतागण किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं और उसका प्रचार उसी प्रकार से जनता के बीच किया जाता है।

इस तरह राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाना और अधिक समस्याओं को जन्म देता है। चंचल सरकार के अनुसार 'धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम सभी समुदायों के उत्सवों को मानते हैं और दुनिया के किसी भी देश की अपेक्षा विकासशील देश में अधिक छुट्टियों को प्रदान करते हैं।' यदि हम भयंकर खाद्यान्न की समस्या का सामना करने के लिए कोई आदेश जारी करते हैं तब हम चर्च, मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारों को भोग या प्रसाद लगाने के लिये छूट दे देते हैं। मुनीस रजा इस प्रवृत्ति को संक्षिप्त में व्यक्त करते हुए कहते हैं, 'पाकिस्तान एक इस्लामी धार्मिक राज्य है परन्तु भारत हिन्दू धार्मिक, मुस्लिम धार्मिक और ईसाई धार्मिक सभी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियों का राज्य है। संविधान बनाने वालो ने परिकल्पना की थी कि इस अवधारणा से देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। किन्तु धार्मिक कार्यों में राज्य की भागेदारी ने समुदायों के बीच और अधिक वैमनस्य को उत्पन्न किया है। इन परिस्थितियों में एक सार्वभौमिक राज्य की स्थापना की प्रक्रिया में संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, उग्रता जैसी कई अन्य प्रवृत्तियां तेजी के साथ उत्पन्न हुई है। जब यह माना जाने लगा कि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्य एक साधन हो सकता है तब विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपनी भाषा एवं अपने धर्मों के आधार पर संगठित होने का प्रयास करना आरम्भ कर दिया। व्यापक बहुआयामी-सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा इस प्रकार के छोटे एवं विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को संगठित करना सरल है। राज्य भी सांस्कतिक आधार पर संगठित बहुत से समूहों को मान्यता प्रदान करता है। पिछले कछ वर्षो से इस दिशा मे बड़े ही सोचे-समझे ढंग से कार्य किया जा रहा है। जैसे ही आम चनाव का समय आता है वैसे ही उससे पूर्व धार्मिक भावनाओं को खूब भड़काया जाता है इस भावना को इस प्रकार से उभारा जाता है कि चुनाव में विजय दिलाने में यह एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों ने साम्प्रदायिकता को खूब मजबूती प्रदान की है । हिन्दु पुनत्थान जैसी प्रवृत्ति के विषय में एक दशक या इससे कुछ

अधिक वर्ष पर्व शायद ही कोई बात करता था। अब इस प्रवृत्ति को हिन्दू प्रतिक्षेप के नाम से जाना है और अक्सर यह कहा जाता है या कहने में यह अन्तर्निहित होता है कि अल्पसंग प्रकार की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं और हिन्दुओं की अवहेलना की जा रही है पर उनके भी कोई अधिकार हैं। यह एक नया मुहावरा है जिसका स्वतंत्र भारत में पहली व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

लोकतंत्र एवं धर्म को अलग करने के लिये एक मजबूत संवैधानिक व्यवस्था की गयी थी, राजनीति के वास्तविक व्यवहार में अधिकतर राजनीतिक दलों ने भारत की वास्तविक संवैधानिक व्यवस्था को आत्मसात नहीं किया है। इसके लिये दो महत्वपूर्ण कारण है। प्रथम भारत के अधिकतर लोग व्यक्तिगत जीवन में गहरायी के साथ धार्मिक हैं। एक अति धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्ष राज्य को यह सिद्ध करना पड़ता है कि नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की इसकी इच्छा नहीं है।

दूसरे, भारत केवल एक बहु आयामी धार्मिक देश ही नहीं है अपितु धार्मों के मानने वाले लोग अपने-अपने धर्म पर गर्व भी करते हैं और वे तत्परता से अपनी धार्मिक पहचान बनाये रखना चाहते हैं। इस प्रकार इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनी कार्यशैली में सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाकर रखनी होती है और उसी समय में उसे अन्तर-धार्मिक सामाजिक संबंधों में सौहार्दता भी बनाकर रखनी होती है। भारत के राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग में धर्मनिरपेक्षता के व्यवहारिक पक्ष को लेकर काफी गहरे मतभेद हैं। असगर अली इंजीनियर इन मतभेदों को निम्नलिखित धाराओं मे वर्णित करते हैं प्रथमवे लोग जो धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी दृष्टिकोण एवं प्रसंग में परिभाषित करते हैं। यह राजनीति तथा राज्य के प्रति एक पूर्णत: गैर-धार्मिक दृष्टिकाण है। इस वर्ग में वामपंथियों, उदारवादियों तथा विवेकशील लोगों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में इस श्रेणी में जो लोग हैं उनकी संख्यां काफी कम है दूसरी लोग हैं जो धर्म निरपेक्षता की परिभाषा राज्य राजनीति एंव सामाजिक व्यवहार में सभी धन के प्रति समान सम्मान दृष्टिकोण के रूप में करते हैं। गांधीवादी और धर्म में कुछ विश्वास करने वालों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर ईमानदारी के साथ कहा जा इस श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्यां भी काफी कम है। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो धर्मनिरपेक्षता के विषय में बातें खूब करते है हमने इसकी परिभाषा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अनरूप करते हैं। सभा प्रकार राजनीतिज्ञों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वास्तव में यही वे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं तथा बौद्धिक भ्रांति उत्पन्न करते है। य उन लोगों से अधिक खतरनाक हैं जो उन्मुक्त रूप से साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं यद्यपि कोई भी यह दावा नहीं करता कि वह साम्प्रदायिक है।

राजनीतिक दल जाति एंव साम्प्रदायिकता के आधार पर अवसरवादी गठबंधन करते रहते हैं। यदि वे यह देखते हैं कि गठबंधन करने से चुनाव में कुछ और स्थान प्राप्त कर सकते हैं तब वे राक्षस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। केन्द्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों से इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दिये जा सकते हैं। चुनावों के दौरान प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिये उनको योग्यता के आधार पर चुनाव में खड़ा नहीं किया जाता अपितु जाति एवं समुदाय उनका आधार होता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक गम्भीर संकट का सामना कर रही है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू का जो दृष्टिकोण था वह नष्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि सत्ता के सामाजिक निर्माण तथा सामुदायिक पहचान के लिये धर्म का लगातार इस्तेमाल बढ़ रहा है। सामूहिक आर्थिक हितों तथा राजनीतिक गतिशीलता को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिये यह पहचान एक आधार बन गयी है। अब अखिल भारतीय स्तर पर हम एक अभूतपूर्ण हिन्दू चेतना के संक्षेपण को देख रहे हैं जो जातीगत एवं क्षेत्रीय मतभेदों से परे है। इसको हिन्दू प्रतिक्षेप कहा जा रहा है। यह अन्य धार्मिक समूहों की राजनीतिक गतिशीलता के विरूद्ध हिन्दू प्रतिक्रिया भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धार्मिक समुदायों के अनेक आंदोलन आधुनिकता से संबंधित उस सांस्कृतिक संकट का परिणाम है जिसने उनकी समाजिक पहचान को नष्ट कर दिया है तथा सम्भवत: गुमनामी की एक व्यापक भावना को जन्म दिया है। इन परिस्थितियों में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पुनरू अवलोकन महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत में धर्म निरपेक्षता के जिस स्वरूप को अपनाया तथा प्रेरित किया गया वह अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। इस दिशा में पहल तभी की जा सकती है जब कि इस विचार का परित्याग कर दिया जाये कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान व से सम्मान करना है। अपितु धर्म को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन से पर्णत बाहर निकालना होगा। इस का अभिप्राय यह कदाचित् भी नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ गैर-धार्मिक होना चाहिए। भारतीय प्रसंग में धर्मनिरपेक्षता के गैर-धार्मिक अर्थ के विरूद्ध व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक दोनों स्तरों पर प्रश्न उठाये जायेंगे। हमारी जनता का अधिकतम भाग न तो नास्तिक है और न ही दिखावटी। वे किसी न किसी प्रकार के परम्परागत धर्मों में विश्वास करते है, इस स्थिति में यदि राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य बनने के लिये प्रतिबद्ध और धर्म के प्रति संकचित एवं नकारात्मक दष्टिकोण रखेगा है, तब वह धर्म विरोधी राज्य होगा। लकिन यदि वह लोकतांत्रिक राज्य है तब उसको ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सकारात्मक रूप में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है '..किसी भी प्रकार की निष्ठा रखने तथा उसका प्रचार करने के लिये नागरिकों के अधिकार स्वतंत्र हैं। धर्म के लिये किसी भी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता।'

इस संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता राज्य की भूमिका से जुड़े दो मौलिक आधारों पर आधारित है। प्रथम सर्वाधिकारवादी राज्य की अवधारणा का परित्याग करना है क्योंकि मानव की रुचि एवं प्रयासों के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर राज्य की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। दूसरा आधार राज्य की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा पर आधारित है क्योंकि इस प्रकार की राजनीति विचारों के भय में जीवित नहीं रह सकती।

इसलिये यहां पर तर्क धर्म का विरोध या उसकी अवहेलना करने का नहीं है। एक लोकतंत्रवादी या एक धर्मनिरपेक्षतावादी राज्य को धर्म निश्चय ही खारिज नहीं करना चाहिए और न वह ऐसा कर सकता है। इसी के साथ-साथ क्योंकि धर्म सामाजिक स्तर पर एक वास्तविक रूप में विद्यमान एवं सत्ता है, इसलिये राज्य को इससे दूर रहना चाहिये जिससे राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों एवं उत्तरदायीत्वों को धर्म से अलग बनाकर रख सके।

आज भारत में आवश्यकता इस बात की है कि राज्य को धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षीकरण की नीति का अनुसरण करना चाहिये। एक धर्मनिरपेक्ष समाज की सहनशीलता, सामाजिक न्याय, आर्थिक जनकल्याण एवं कानून के समक्ष समानता महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं। धर्म विज्ञान का विरोधत्मक नहीं है। किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने एवं झूठे सन्तों, ज्योतिषियों एवं संकीर्णतावादी अनुष्ठानों के व्यवहार के बीच विरोधाभास अवश्य है। नेहरू जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास किया कहने को यह एक अपूर्ण दृष्टिकोण हो सकता है किन्तु वैज्ञानिक वास्तविकता को ठीक से समझने के लिये यह एक पर्याप्त साधान भी हो सकता है।

भारत की एकता अनेकताओं की सम्पन्नता पर आधारित है। इसको स्वीकार करने के लिये एक उचित एंव परिष्कृत जानकारी का होना आवश्यक है। भारत को यह स्पष्ट करना है कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी नागरिकों के लिए स्थान है तथा उनकी प्रगति की सभी प्रकार की उनकी अभिलाषाओं को सुविधाएं देने के लिये प्रयत्नशील है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी करना, परम्परागत समुदायों तथा व्यवसायों का आधुनिकीकरण करना, कुशल कामगारों के लिए नये रोजगार उत्पन्न करना, शहरों में रहने वालों की स्थितियों में व्यापक सुधार करना तथा सामुदायिक आवासीय क्षेत्रों का निर्माण करना ऐसे कार्य हैं जिनकी सहायता से साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त किया जा सकता है। ये कार्य उसी प्रकार के है जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाये रखना। इसमें राष्ट्रीय एकता परिषद तथा अल्पसंख्यक आयोग के प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज भारत की एकता अखण्डता तथा शान्ति बनाए रखन के लिए सैद्धान्तिक धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लागु करना अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन एवं फड़िया, भारतीय राज व्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 304
2. एम लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, मेकग्रा हिल, पृ. 7.16 2016
3. एस एम सईद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2007 पृ0 49
4. सुभाष काश्यप, हमारा संविधान, 2010, पृ. 116
5. सुभाष काश्यप, हमारा संविधान, 2010, पृ0 117
6. एस.एम. सईद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2007 पृ0 49
7. जैन एवं फड़िया, भारतीय राज व्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 305
8. डी.डी. बसू, भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, 2019, पृ0 481
9. एनसीईआरटी कक्षा 11, राजनीतिक सिद्धान्त, पृ. 115
10. ए. एस. नारंग, भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, 2008 पृ. 36010 चहार, एस.एस. गवर्नेन्स ऐट ग्रास रूट लेवल इन इण्डिया, कनिष्का पब्लिशर्स नई दिल्ली - 2005
11. प्रो. वर्मा गोविन्दराम भारतीय राजनीति और शासन मेकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली - 1982
12. कौशिक, सुशीला (सं.) भारतीय शासन एवं राजनीति हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली

****